



**भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  
का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**



**लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा**  
**Dedicated to Truth in Public Interest**

**राजस्थान सरकार**  
**वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3**



**भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  
का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**राजस्थान सरकार  
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3**



## विषय सूची

<b>प्राक्कथन कार्यकारी सारांश</b>	<b>v vii</b>
<b>अध्याय I: विहंगावलोकन</b>	
<b>अनुच्छेद संख्या</b>	<b>पृष्ठ संख्या</b>
1.1	राज्य का परिदृश्य 1
1.1.1	राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2
1.2	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण 4
1.3	प्रतिवेदन की संरचना 4
1.4	सरकारी लेखों की संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन 5
1.4.1	वित्तीय स्थिति का सारांश 8
1.4.2	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश 9
1.5	राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति 10
1.6	लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयतायें 16
1.6.1	लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा 16
1.6.2	लेखापरीक्षा पश्चात-कुल लोक ऋण 17
<b>अध्याय II: राज्य का वित्त</b>	
2.1	वर्ष 2019-20 की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव 19
2.2	निधियों के स्रोत एवं प्रयोग 20
2.3	राज्य के संसाधन 21
2.3.1	राज्य की प्राप्तियाँ 22
2.3.2	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 23
2.3.2.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि 23
2.3.2.2	राज्य के स्व-संसाधन 25
2.3.2.3	केंद्र द्वारा हस्तांतरण 31
2.3.3	पूँजीगत प्राप्तियाँ 37
2.3.4	संसाधनों की वृद्धि में राज्य का प्रदर्शन 38
2.4	संसाधनों का उपयोग 38
2.4.1	व्यय का संयोजन एवं वृद्धि 39
2.4.2	राजस्व व्यय 41
2.4.2.1	राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन 42
2.4.2.2	प्रतिबद्ध व्यय 43
2.4.2.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अनुन्मुक्त दायित्व 46
2.4.2.4	अर्थ-सहाय्य 47
2.4.2.5	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 49

विषय सूची		
2.4.3	पूंजीगत व्यय	50
2.4.3.1	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	51
2.4.3.2	निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता	53
2.4.4	व्यय की प्राथमिकताएं	54
2.4.5	कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय	55
2.5	लोक लेखा	56
2.5.1	लोक लेखा निवल शेष	56
2.5.2	आरक्षित निधियाँ	57
2.5.2.1	राज्य आपदा मोचन निधि	58
2.5.2.2	प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि	61
2.6	ऋण प्रबंधन	61
2.6.1	ऋण रूपरेखा: घटक	62
2.6.2	ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	67
2.7	ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)	69
2.7.1	उधार ली गई निधियों का उपयोग	72
2.7.2	प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें	73
2.7.3	रोकड़ शेषों का प्रबंधन	74
2.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	77
<b>अध्याय III: बजटीय प्रबंधन</b>		
3.1	बजट प्रक्रिया	79
3.1.1	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिकर्यों का सारांश	82
3.1.2	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	82
3.2	विनियोग लेखे	83
3.3	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर टिप्पणियाँ	83
3.3.1	अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	83
3.3.2	अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन	84
3.3.3	अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतों/अर्थर्पण	85
3.4	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	90
3.4.1	एकमुश्त बजट प्रावधान	90
3.5	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	91
3.5.1	बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के बीच अंतर	91
3.5.2	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	93
3.5.3	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	95

विषय सूची		
3.5.4	व्यय का प्रवाह	98
3.5.5	चयनित अनुदानों की समीक्षा	101
3.6	प्रशंसनीय कदम	116
3.7	सिफारिशें	116
<b>अध्याय-IV : लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग</b>		
4.1	उपकर/अधिभार की वसूली	117
4.1.1	राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में उपकर का कम हस्तांतरण	117
4.1.2	जल संरक्षण उपकर निधि में उपकर का कम हस्तांतरण	118
4.1.3	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि में अधिभार का कम हस्तांतरण	119
4.1.4	राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष में उपकर की राशि का कम हस्तांतरण	121
4.2	राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना	123
4.2.1	राज्य सरकार की बजट से इतर उधार एवं आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि	123
4.3	स्थानीय निधियों की जमा	124
4.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	125
4.4.1	अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना	129
4.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिल	131
4.6	निजी निक्षेप खाता	135
4.6.1	जिला स्वनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)	137
4.6.2	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड (आरएसआरडीसी)	138
4.6.3	निजी निक्षेप खातों का मिलान	139
4.6.4	निजी निक्षेप खातों में प्रतिकूल शेष राशि	139
4.6.5	अप्रचलित निजी निक्षेप खाते	140
4.7	लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	140
4.8	मुख्य उचंत शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	142
4.9	विभागीय आंकड़ों का मिलान	145
4.10	नकद शेष का मिलान	145
4.11	लेखांकन मानकों की अनुपालना	145
4.12	स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	146
4.13	विभागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कम्पनियां	147
4.14	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	148
4.15	पेंशन का अधिक/कम भुगतान	149
4.16	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	150
4.17	निष्कर्ष	150
4.18	सिफारिशें	150

अनुलग्नक		
परिशिष्ट-1.1	राज्य के वित्तीय आंकड़े	153
परिशिष्ट-1.2	31 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	154
परिशिष्ट-2.1	वर्ष 2020-21 में प्राप्तियों और संवितरणों का सार	156
परिशिष्ट-2.2	राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े	161
परिशिष्ट-2.3	ऋण की शब्दावली	164
परिशिष्ट-3.1	बजट सम्बन्धित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	165
परिशिष्ट-3.2	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	168
परिशिष्ट-3.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही	170
परिशिष्ट-3.4	₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	172
परिशिष्ट-3.5	एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ पांच करोड़ से अधिक था)	173
परिशिष्ट-3.6	योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	176
परिशिष्ट-3.7	मामले जहाँ विगत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे	184
परिशिष्ट-3.8	व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	186
परिशिष्ट-3.9	विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत ध्यान में आयी उल्लेखनीय बचतें	190
परिशिष्ट-4.1	वर्ष 2020-21 तक के बकाया आकस्मिक बिलों की स्थिति	192
परिशिष्ट-4.2	वर्ष 2016-21 के दौरान अप्रचलित रहे पीड़ी खातों का व्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	193
परिशिष्ट-4.3	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ	194
परिशिष्ट-4.4	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	196
परिशिष्ट-4.5	विभिन्न विभागों में श्रेणीवार चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का विवरण	199
परिशिष्ट-4.6	पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण	200

## प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. प्रतिवेदन के अध्याय I में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड, प्रवृत्तियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/कमी, राजकोषीय आधिक्य/कमी आदि शामिल हैं।
3. प्रतिवेदन के अध्याय II और III में क्रमशः 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच में प्रकट होने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। राजस्थान सरकार से जहां भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।
4. अध्याय IV “लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं” पर वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
5. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, बोर्ड, सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुये आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों के आक्षेपों वाले प्रतिवेदनों को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।



### पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा, पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों से प्राप्त किये गए अन्य वित्तीय आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

### प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन को चार भागों में बाँटा गया है:

**अध्याय 1-विहंगावलोकन:** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन प्रदान करता है।

**अध्याय 2-राज्य का वित्त:** यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रुपरेखा और लोक लेखों के प्रमुख लेनदेनों, मुख्य रूप से राज्य के वित्त लेखों पर आधारित, का विश्लेषण करता है।

**अध्याय 3-बजटीय प्रबंधन:** यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार की विनियोजन और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

**अध्याय 4-लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग:** यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

### राज्य सरकार की उपलब्धियां

वर्ष 2020-21 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (37.64 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60.00 प्रतिशत) के भीतर रहा।

(अनुच्छेद 2.7.2)

राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए व्यय और प्राप्तियों का नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) कार्यालय के साथ 100 प्रतिशत अंक मिलान किया।

(अनुच्छेद 4.9)

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों-राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और बकाया ऋण के जीएसडीपी से अनुपात के संदर्भ में देखा जाता है।

जीएसडीपी के प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में 3.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 6.20 प्रतिशत हो गया, जो कि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार का वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 44,001 करोड़ था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (42.37 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (38.20 प्रतिशत) से अधिक था।

(अनुच्छेद 1.5)

### राज्य का वित्त

राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 5,805.93 करोड़ (4.14 प्रतिशत) की कमी हुई है, तथापि राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,824.31 करोड़ (1.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जिसके कारण राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.3.2.1 एवं 2.4.2)

पूँजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 552.44 करोड़ (3.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.4.3.1)

### बजटीय प्रबंधन

राज्य सरकार के वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे और बजट तैयार करने और निष्पादन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए बजट पूर्व एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाने के बावजूद, बजटीय अनुमान एक स्तर तक सही नहीं थे, और बजट के निष्पादन और अनुश्रवण पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

वर्ष के दौरान ₹ 27,052 करोड़ (10.08 प्रतिशत) की बचत हुई और ₹ 36,253.96 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुए। आगे, वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुपूरक अनुदान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए। पिछले कई वर्षों से इन मामलों को प्रत्येक वर्ष उठाने के बावजूद राज्य सरकार इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

आवंटन के साथ-साथ व्यय में विचलन के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये। इस संबंध में जन लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वर्ष के दौरान अनुदानों के अंतर्गत लगातार बचतों के मामले देखे गए।

(अनुच्छेद 3.5.1)

#### **लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग**

आरक्षित निधि/जमा निधि में उपकर/अधिभार की अहस्तांतरित राशि इंगित करती है कि राज्य सरकार का राजस्व/राजकोषीय घाटा अहस्तांतरित राशि की सीमा तक कम किया गया है और राज्य सरकार की ओर से बकाया देयता का प्रतिनिधित्व करता है।

(अनुच्छेद 4.1)

विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत नहीं करना और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों द्वारा लेखों को प्रस्तुत नहीं करना, निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था जो कि राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र की ओर इशारा करता है।

(अनुच्छेद 4.4, 4.5 एवं 4.13)



मुख्य प्रतिवेदन



## 1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से परिबद्ध है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासनिक रूप से, यह सात संभागों और 33 जिलों में विभाजित है।

राज्य के प्रमुख संकेतक तालिका 1.1 एवं परिशिष्ट 1.1 में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: राज्य के प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल*	2011	लाख वर्ग किलो मीटर	3.42	32.87
2.	जनसंख्या^	2011	करोड़	6.92	122.02
3.	दशकीय वृद्धि दर^	2011-2021	प्रतिशतता	15.28	12.30
4.	जनसंख्या घनत्व^	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किलो मीटर	200	382
5.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या*	2011	प्रतिशतता	24.9	31.1
6.	लिंगानुपात*	2011	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष	928	943
7.	साक्षरता दर <sup>§</sup>	2011	प्रतिशतता	66.10	73.00
8.	प्रति व्यक्ति आय	2020-21	₹ में	1,09,386*	1,28,829 <sup>§</sup>
9.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/जीडीपी <sup>§</sup>	2020-21	₹ में	1,21,468	1,45,680
10.	शिशु मृत्यु दर <sup>§&amp;</sup>		प्रति 1,000 जीवित जन्म	35.00	30.00
11.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा <sup>§&amp;&amp;</sup>	2014-2018	वर्षों	68.70	69.40
12.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) <sup>§</sup>		प्रतिशतता	14.71	21.92

\* आर्थिक समीक्षा 2020-21, राजस्थान सरकार।

^ भारत एवं राज्यों के लिये जनसंख्या अनुमानों (2011-2036) पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

^^ महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

& जनगणना 2011

§ सांस्थिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मन्त्रालय, भारत सरकार

&& ऐस आर ऐस बुलेटिन, अक्टूबर 2021

&&& ऐस आर ऐस संक्षिप्त जीवन तालिका 2014-18 (सितम्बर 2020)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 14.71 प्रतिशत थी जो कि अस्थिर भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत से कम थी। साक्षरता दर अस्थिर भारतीय औसत 73 प्रतिशत से 6.90 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,09,386 रही जो कि अस्थिर भारतीय प्रति व्यक्ति आय ₹1,28,829 से कम थी।

### 1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक तय समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है।

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.2:** वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	जीडीपी* (2011-12 श्रृंखला)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,012	1,97,45,670 <sup>@</sup>
2.	गत वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-) 2.97
3.	राज्य की जीएसडीपी** (2011-12 श्रृंखला)	7,60,587	8,28,661	9,21,789 <sup>Σ</sup>	9,98,999 <sup>£</sup>	9,57,912 <sup>##</sup>
4.	गत वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.61	8.95	11.24	8.38	(-)4.11

\* केन्द्रीय सांस्थिकी कार्यालय (सीएसआर), सांस्थिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मन्त्रालय।

\*\* आर्थिक समीक्षा (2020-21), आर्थिक एवं सांस्थिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।


## अग्रिम अनुमान, Σ संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I, @ अनन्तिम अनुमान

जैसा कि ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, राजस्थान की जीएसडीपी जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में उच्च दर से बढ़ी। वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी ने राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगाने के कारण ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की। जीएसडीपी में गिरावट जीडीपी में गिरावट से ज्यादा थी।

### वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (2016-17 से 2020-21)

चार्ट 1.1 से प्रकट होता है कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में उद्योगों के सापेक्षिक योगदान में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2016-17 में 29.46 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020-21 में 24.80 प्रतिशत रह गया। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान वर्ष 2016-17 की तुलना में सेवा एवं कृषि क्षेत्र के सापेक्षिक योगदान में वृद्धि देखी गई।

चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (वर्ष 2016-17 एवं 2020-21)




स्रोत: आर्थिक समीक्षा (2020-21), राजस्थान सरकार।

### वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि

वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट आई जैसा कि चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में लगभग आधी थी, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी।

चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2016-17 से 2020-21)



## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और ऐसे विभागों जो लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, के द्वारा भेजे गए वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिजार्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित किये जाते हैं एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य स्रोत हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट- राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं दोनों के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बन्धित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा वर्ष के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस के साथ-साथ लेखांकन);
- आर्थिक और सांस्कृतिक निवेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़े एवं राज्य से सम्बन्धित अन्य सांस्कृतिकीय आंकड़े; और
- वर्ष 2015-21 के दौरान तैयार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम), भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है।

## 1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित है:

<b>अध्याय I</b>	<b>विहंगावलोकन</b> यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
<b>अध्याय II</b>	<b>राज्य का वित्त</b> यह अध्याय राज्य के वित्त, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की जानकारी और राज्य के वित्त लेखों पर आधारित प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों का व्यापक परिदृश्य प्रदान करता है।

अध्याय III	<b>बजटीय प्रबंधन</b> यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार की विनियोजन और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय IV	<b>लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग</b> यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों की अनुपालना नहीं करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

#### 1.4 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

##### 1. राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशि शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय (प्रभारित व्यय) की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्अदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित होती हैं और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

##### 2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया जाता है और अप्रत्याशित व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

##### 3. राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशि, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधि, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी और समायोजन लंबित है) सम्मिलित हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' बजट का मुख्य दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, बजट राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

**पूंजीगत प्राप्तियों** में सम्मिलित है:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ;


**पूंजीगत व्यय** में भूमि अधिग्रहण पर व्यय, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार की एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों हैं।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा मुख्य लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-स्वारूप, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्ष के पहले अंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय के लिए, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और उनके वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, "निर्माण" पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

### चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना



निधि आधारित लेखांकन के साथ लेन-देनों का कार्यात्मक और आर्थिक वर्गीकरण सरकारी गतिविधियों/लेनदेनों के गहन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है और लोक वित्त पर विधायी अनुश्रवण को सक्षम बनाता है।

#### बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में (बजट के रूप में संदर्भित) राज्य विधानमंडल के समक्ष उस व्यय के अनुमानों के साथ-

- जो राज्य की समेकित निधि को प्रभारित हो;
- वे राशियाँ जो राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखते हुये, राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपरोक्त अनुदान/विनियोजन के लिए 55 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया और इनके अनमोदन के पश्चात, समेकित निधि से आवश्यक राशि के विनियोजन के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया गया है।

जैसा कि अनुच्छेद 1.2 में उल्लेख किया गया है, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए वित्त और विनियोग लेखे मुख्य आंकड़े प्रदान करते हैं। ये लेखे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए विभिन्न अंतर-सरकारी और अन्य समायोजनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं। यह मानते हुए कि ये प्राप्तियां और व्यय बजट में अनुमानित किये गए और व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के बजट का बारीकी से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमानों के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित किया गया है।

#### 1.4.1 वित्तीय स्थिति का सारांश

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2019-20 के वास्तविकों के साथ-साथ वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.3: वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 के वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजट अनुमान	2020-21 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	स्व-कर राजस्व	59,245	77,029	60,283	78.26	6.29
2	कर-भिन्न राजस्व	15,714	19,596	13,653	69.67	1.43
3	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (अ)	36,049	46,886	35,576	75.88	3.71
4	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	29,106	29,893	24,796	82.95	2.59
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,40,114	1,73,404	1,34,308	77.45	14.02
6	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	15,670	752	373	49.60	0.04
7	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20	30	14	46.67	0.00
8	उधार और अन्य देयताएं (ब)	37,654	33,923	59,376	175.03	5.72 <sup>1</sup>
9	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	53,344	34,705	59,763	172.20	6.24
10	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	1,93,458	2,08,109	1,94,071	93.25	20.26

1. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

क्र. सं.	घटक	2019-20 वार्षिक	2020-21 बजट अनुमान	2020-21 वार्षिक	बजट अनुमान से वार्षिक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वार्षिक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
11	राजस्व व्यय जिसमें	1,76,485	1,85,750	1,78,309	95.99	18.61
12	ब्याज भुगतान	23,643	25,494	25,202	98.85	2.63
13	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान	5,198	-	990	-	0.54
14	पूँजीगत व्यय जिसमें (स)	16,973	22,359	15,762	70.50	1.65
15	पूँजीगत परिव्यय	14,718	21,619	15,271	70.64	1.59
16	ऋण और अग्रिम	2,255	740	491	66.35	0.05
17	कुल व्यय (11+14)	1,93,458	2,08,109	1,94,071	93.25	20.26
18	राजस्व घाटा (5-11)	36,371	12,346	44,001	356.40	4.59
19	प्रभावी राजस्व घाटा (18-13)	31,173	-	43,011	-	3.25
20	राजकोषीय घाटा (17-(5+6+7))	37,654	33,923	59,376	175.03	6.20
21	प्राथमिक घाटा (20-12)	14,011	8,429	34,174	405.43	3.57

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज़।

(अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

(ब) उधार और अन्य देयताएँ: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखों का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल। प्रभावी उधार एवं अन्य देयताएँ ₹54,772 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

(स) पूँजीगत स्थाते पर व्यय में पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार का राजस्व है। तथापि, राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति ₹ 2,957.37 करोड़ के अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त शेष होने के कारण राजस्थान ने राज्य के लिए पुनर्भुगतान दायित्व के बिना राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 4,604 करोड़ का बैक-टू-बैक ऋण भी प्राप्त किया। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 44,001 करोड़ एवं राजकोषीय घाटा ₹59,376 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए ₹4,604 करोड़ ऋण प्राप्ति के सन्दर्भ में देखा जा सकता है।

#### 1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधियाँ और परिसंपत्तियाँ जिनमें मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। तालिका 1.4 एवं परिशिष्ट 1.2, 31 मार्च 2021 को देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सारांश प्रस्तुत करते हैं।

## तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसम्पत्तियाँ					
	2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि/कमी	
समेकित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	2,42,077.41	2,84,788.78	17.64	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,02,806.46	2,18,062.87	7.52
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	17,302.50	23,532.15	36.00	ब	ऋण एवं अग्रिम	9,847.92	9,965.41	1.19
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00	-						
लोक लेखा									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि	51,468.62	56,325.69	9.44	अ	अग्रिम	3.21	3.17	(-) 1.25
ब	जमायें	33,842.46	36,713.81	8.48	ब	प्रेषण	10.37	-	(-) 100.00
स	आरक्षित निधियाँ	9,881.68	11,242.77	13.77	स	उचंत एवं विविध	120.15	4.06	(-) 96.62
द	प्रेषण	-	1.50		नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)	7,704.41	6,487.51	(-) 15.79	
					योग	2,20,492.52	2,34,523.02	6.36	
					राजस्व खाते में घाटा	1,34,580.15	1,78,581.68	32.70	
योग	3,55,072.67	4,13,104.70	16.34		योग	3,55,072.67	4,13,104.70	16.34	

स्रोत: वित्त लेखा

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियाँ 6.36 प्रतिशत जबकि देयताएँ 16.34 प्रतिशत बढ़ी।

### 1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। इसके अतिरिक्त, वे तरीके जिनसे घाटे को वित्तपोषित किया जाता है, और जुटाये गए संसाधनों का उपयोग करना राज्य की राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह भाग घाटे के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं राजकोषीय स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा अपना 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम', 2005 अधिनियमित किया गया था। इसके वर्ष 2011, 2016 एवं 2021 में संशोधित किया गया। चौदहवें वित्त आयोग ने भी राज्य के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप का सुझाव दिया। आगे, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों को ऋण समेकन के सुझाये गए मार्ग की पालना

करनी चाहिए और ऐसा करने में, उन्हें एफआरबीएम अधिनियमों में निहित ऋण एवं राजकोषीय घाटे दोनों की परिभाषा का पालन करना चाहिये, जो कि बजट से इतर उधार, आकस्मिक देनदारियों एवं प्रत्याभूतियों से जुड़े मामलों को मान्यता प्रदान करता है।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुये:

(i) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष की स्थिति को प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2020-21 तक लगातार आठ वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है।

गत छ: वर्षों के दौरान राजस्व घाटा/अधिशेष के सन्दर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

**तालिका 1.5: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के सन्दर्भ में राजस्व घाटा/अधिशेष की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	बजट अनुमान	(+) 557	(-) 8,802	(-) 13,528	(-) 17,455	(-) 27,015	(-) 12,346
2.	संशोधित अनुमान	(-) 5,232	(-) 17,838	(-) 20,166	(-) 24,825	(-) 28,041	(-) 41,722
3.	वास्तविक	(-) 5,954	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 36,371	(-) 44,001

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज़।

टिप्पणी: वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान घाटा/आधिक्य उदय के प्रभाव सहित<sup>2</sup> दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 44,001 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 12,346 करोड़) में किये गए आंकलन से तीन गुना से भी अधिक एवं संशोधित अनुमानों (₹ 41,722 करोड़) में किये गए आंकलन से अधिक था। उपरोक्त तालिका यह भी इंगित करती है कि इसके लिए बजट अनुमान दोषपूर्ण थे क्योंकि इन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों और वास्तविकों में बजट अनुमानों की तुलना में निरन्तर एवं उल्लेखनीय गिरावट देखी गयी।

राज्य सरकार वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटे को बजट अनुमानों तक सिमित रखने में असमर्थ रही क्योंकि ₹ 1,73,404 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,34,308 करोड़ (जीएसटी के लागू होने के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,633 करोड़ सहित) अर्थात् 22.55 प्रतिशत (₹ 39,096 करोड़) कम रही, जबकि ₹ 1,85,750 करोड़ के बजट अनुमानों के समक्ष वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 1,78,309 करोड़ अर्थात् मात्र 4.01 प्रतिशत (₹ 7,441 करोड़) कम रहा।

इस प्रकार, बजट की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिक गिरावट और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण रहा।

2. उज्जवल डिस्कोम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए प्रारम्भ किया गया वित्तीय कायाकल्प एवं पुनरुद्धार पैकेज है।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ख) (2011 में यथा संशोधित) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत प्राप्त करने तथा उसके आगे इसी अनुपात को बनाये रखने या इससे कम करने की परिकल्पना की गई थी।

निम्नलिखित तालिका गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

**तालिका 1.6: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति**

(प्रतिशत में)				
क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1.	2018-19	2.98	3.39	3.74
2.	2019-20	3.19	3.16	3.77
3.	2020-21	2.99	6.12	6.20

स्रोत: बजट दस्तावेजों से बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान।

इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 3 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 59,376 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 33,923 करोड़) एवं संशोधित अनुमानों (₹ 58,608 करोड़) में किये गए आंकलन से अधिक था।

इसके अतिरिक्त, असाधारण कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के संसाधनों को मजबूत करने के लिये, वर्ष 2020-21 के लिये जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा प्रदान करने का निर्णय लिया (मई 2020)।

तथापि ऋण-जीएसडीपी अनुपात के लक्ष्य को बढ़ाने के लिये एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया (मार्च 2021), राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अपरिवर्तित रहा।

(iii) राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रावधानों में संशोधन किया (मार्च 2021) एवं 1 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ छः वर्षों की अवधि के लिए कुल बकाया देयताओं की सीमा जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत तक करने और तत्पश्चात इस अनुपात को बनाये रखना या कम करना निर्धारित किया। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 42.37 प्रतिशत<sup>3</sup> रहा।

**तालिका 1.7: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष	राजस्व अधिशेष	(-)18,114	(-)18,535	(-)28,900	(-)36,371	(-)44,001
			✗	✗	✗	✗	✗
2.		तीन प्रतिशत	(-)46,318 (6.09)	(-)25,342 (3.06)	(-)34,473 (3.74)	(-)37,654 (3.77)	(-)59,376 (6.20)

3. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)		✗	✗	✗	✗	✗
3.	कुल बकाया देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	36.50	35.50	35.00	34.00	38.20
		उपलब्धि	33.53	33.93	33.78	35.31	42.37 <sup>4</sup>
			✓	✓	✓	✗	✗

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 42.85 प्रतिशत हैं। तथापि, प्रभावी ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (42.37 प्रतिशत) कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है जैसाकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की गई मध्यकालिक राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) में राजकोषीय मापदंडों के निर्धारित किए गये लक्ष्यों की तुलना में वर्तमान वर्ष के वास्तविक को नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.8: वर्ष 2020-21 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंड	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2020-21)	(₹ करोड़ में) अंतर (प्रतिशत में)
1.	स्व-कर राजस्व	77,029	60,283	(-) 21.74
2.	कर-भिन्न राजस्व	19,596	13,653	(-) 30.33
3.	केन्द्रीय करों का हिस्सा	46,886	35,576	(-) 24.12
4.	भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,893	24,796	(-) 17.05
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,73,404	1,34,308	(-) 22.55
6.	राजस्व व्यय	1,85,750	1,78,309	(-) 4.01
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (5-6)	(-) 12,346	(-) 44,001	256.40
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष	(-) 33,923	(-) 59,376	75.03
9.	ऋण- जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	33.12	42.37 <sup>4</sup>	27.92
10.	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.00	(-) 4.11	(-) 137.36

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज़।


जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, दो प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात् राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में वास्तविक, एमटीएफपी के अनुमानों से अधिक थे और ऋण-जीएसडीपी अनुपात एवं जीएसडीपी वृद्धि दर के अनुमानों को भी प्राप्त नहीं किया था, वर्ष के अंत में एमटीएफपी में अनुमानित की तुलना में देयता से जीएसडीपी अनुपात अधिक और जीएसडीपी में वृद्धि कम थी।

4. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

**चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2016-21 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।**

**चार्ट 1.4: घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति**


(₹ करोड़ में)



\*उदय रहित


**चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे (उदय सहित) के संकेतकों की प्रवृत्ति**

(जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)



चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



\* कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, आन्तरिक ऋण में 17.64 प्रतिशत (₹ 42,712 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 9.49 प्रतिशत (₹8,857 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में 36 प्रतिशत (₹ 6,229 करोड़) की वृद्धि के कारण, राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 16.39 प्रतिशत (₹ 57,798 करोड़) बढ़ गई। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2019-20 में ₹ 17,303 करोड़ से वर्ष 2020-21 में ₹ 23,532 करोड़ की वृद्धि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण के अंतर्गत ₹4,604 करोड़ की प्राप्ति के कारण थी।

31 मार्च 2021 को, गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड जारी किये जाने के कारण उदय के तहत ₹ 37,825 करोड़ की बकाया उधारी जो राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा है सहित कुल ₹ 4,05,896 करोड़<sup>5</sup> की राजकोषीय देयतायें थीं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, जीएसडीपी से राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का अनुपात (42.37 प्रतिशत<sup>6</sup>) एफआरबीएम लक्ष्य (38.20 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार के एमटीएफपी लक्ष्य (33.12 प्रतिशत) से अधिक था।

5. ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर है।

6. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

## 1.6 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयतायें

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने और बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार करने की प्रवृत्ति देखी जाती है।

### 1.6.1 लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण एवं बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित दायित्वों को टाल देना, समेकित निधि में उपकर/रॉयलटी जमा नहीं करना, नयी अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस), छूबत और मोचन निधि में कम अंशदान, आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों पर पहुँचने के लिए ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को समाप्त करने की आवश्यकता होती है।

**तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
1.	ब्याज-वाली आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना	-	8.61	-	8.61
2.	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं सरकार के अंशदान का एनएसडीएल को कम हस्तांतरण	-	40.29	-	40.29
3.	केन्द्रीय सङ्करण निधि का हस्तांतरण नहीं करना	-	141.81	-	141.81
4.	पेट्रोल और डीजल पर उपकर का कम हस्तांतरण	-	165.16	-	165.16
5.	जल संरक्षण उपकर का हस्तांतरण	72.47	-	72.47	-
6.	श्रम उपकर का अधिक हस्तांतरण	45.27	-	45.27	-
7.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि को अधिभार का कम हस्तांतरण	-	480.18	-	480.18
8.	शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अनुदान जारी नहीं करना	-	281.00	-	281.00
9.	बजट से इतर परिचालन: जिला परिषदों को दी गयी अतिरिक्त प्रत्याभूति	-	-	-	50.41
<b>कुल (निवल) कम आँका गया</b>		<b>999.31</b>		<b>1,049.72</b>	

स्रोत: वित्त लेखा और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 999.31 करोड़ रुपये कम हस्तांतरित किये गये और जिला परिषदों को दी गयी गारंटी के बकाया शेष में ₹ 50.41 करोड़ की गारंटी जोड़ते हुए

बजट से इतर राजकोषीय परिचालन किया गया, जिस कारण राजस्व घाटे को ₹ 999.31 करोड़ और राजकोषीय घाटे को ₹ 1,049.72 करोड़ कम आँका गया।

### 1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल दायित्व से अभिप्राय: राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत सुस्पष्ट देयताओं एवं सामान्य प्रावधायी निधि सहित राज्य के लोक लेखा से है।

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात कुल ऋण

1.		कुल ऋण (₹ 4,05,895.46 करोड़ <sup>7</sup> )	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (42.37 प्रतिशत <sup>8</sup> )
2.	कुल ऋण (कम आँका गया) पर प्रभाव के कारण (₹ करोड़ में)		
अ	बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहारों जैसे राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न जिला परिषदों द्वारा लिया गया उधार जिनके मूल और/या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,804.41	0.19
	<b>2 का योग</b>	<b>1,804.41</b>	<b>0.19</b>
	<b>योग (1+2)</b>	<b>4,07,699.87</b>	<b>42.56<sup>8</sup></b>

इस प्रकार, बजट से इतर उधारों को शामिल करते हुए मार्च 2021 के अंत में कुल बकाया ऋण ₹ 4,05,895.46 करोड़<sup>7</sup> के विरुद्ध ₹ 4,07,699.87 करोड़ आँका गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में कुल ऋण को जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 0.19 प्रतिशत कम दर्शाया गया।

7. ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर।

8. कुल बकाया देनदारिया जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु बैक-टू-बैक ऋण के अंतर्गत प्राप्त ऋण प्राप्तियों के ₹4,604 करोड़ हटाकर प्राप्त हुई है।



## अध्याय II: राज्य का वित्त

### प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच पांच वर्षों की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण स्थिरता और राज्य के वित्त लेखों और प्रमुख लोक लेखों के संबंधारों का राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विश्लेषण करता है।

#### 2.1 वर्ष 2019-20 की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव

**तालिका 2.1** वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय समग्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है और **परिशिष्ट 2.1** प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश प्रदान करता है। इन संकेतकों में से प्रत्येक का विश्लेषण अगले अनुच्छेदों में किया जाएगा।

**तालिका 2.1:** वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में राजकोषीय समग्रों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण		2019-20	2020-21
	2019-20	2020-21		
<b>अनुभाग-अ : राजस्व खाता</b>				
कर राजस्व	59,244.98	60,283.44	सामान्य सेवायें	56,186.29
कर-भिन्न राजस्व	15,714.16	13,653.02	सामाजिक सेवायें	68,313.23
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	36,049.14	35,575.77	आर्थिक सेवायें	51,985.51
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,105.53	24,795.65	सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	0.07
<b>योग अनुभाग अ-राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>1,40,113.81</b>	<b>1,34,307.88</b>	<b>योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय</b>	<b>1,76,485.10</b>
<b>अनुभाग-ब: पूँजीगत लेखा और अन्य</b>				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	20.42	14.08	पूँजीगत परिव्यय	14,718.05
			सामान्य सेवायें	463.42
			सामाजिक सेवायें	5,489.68
			आर्थिक सेवायें	8,764.95
ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	15,669.75	373.52	संवितरित ऋण और अग्रिम	2,255.19
<b>लोक ऋण प्राप्तियाँ*</b>	<b>46,173.72</b>	<b>89,964.01</b>	लोक ऋण की पुनर्भायरी*	<b>20,032.69</b>
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	1,93,165.05	2,08,446.75	लोक लेखा संवितरण#	1,79,741.07
प्रारंभिक रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41	अंतिम रोकड़ शेष	7,704.41
<b>योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ</b>	<b>2,60,822.69</b>	<b>3,06,538.69</b>	<b>योग अनुभाग-ब संवितरण</b>	<b>2,24,451.40</b>
<b>सर्व योग (अ + ब)</b>	<b>4,00,936.50</b>	<b>4,40,810.65</b>	<b>सर्व योग (अ + ब)</b>	<b>4,00,936.50</b>
<b>स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे</b>				

\* मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल संबंधित लेखों सहित प्रभावी लोक ऋण प्राप्तियाँ ₹85,360.01 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। # लोक लेखा प्राप्तियों / संवितरणों की राशि सकल आधार पर दिस्ताई गई है।

## वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में मुख्य वित्तीय समग्रों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 4.14 प्रतिशत कम हुई।</li> <li>➤ राज्य की स्व-कर प्राप्तियाँ 1.75 प्रतिशत बढ़ी।</li> <li>➤ स्व-कर इतर प्राप्तियाँ 13.12 प्रतिशत कम हुईं।</li> <li>➤ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 1.31 प्रतिशत कम हुआ।</li> <li>➤ भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान 14.81 प्रतिशत कम हुआ।</li> </ul>
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ राजस्व व्यय 1.03 प्रतिशत बढ़ा।</li> <li>➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 7.04 प्रतिशत बढ़ा।</li> <li>➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 8.34 प्रतिशत बढ़ा।</li> <li>➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.06 प्रतिशत कम हुआ।</li> </ul>
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पूंजीगत व्यय 3.75 प्रतिशत बढ़ा।</li> <li>➤ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 14.08 प्रतिशत कम हुआ।</li> <li>➤ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 39.20 प्रतिशत बढ़ा।</li> <li>➤ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 17.50 प्रतिशत कम हुआ।</li> </ul>
ऋण और अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ऋण और अग्रिमों का संवितरण 78.23 प्रतिशत कम हुआ।</li> <li>➤ ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ 97.62 प्रतिशत कम हुईं।</li> </ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ लोक ऋण प्राप्तियाँ 94.84* प्रतिशत बढ़ी।</li> <li>➤ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 104.78 प्रतिशत बढ़ा।</li> </ul>
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ लोक लेखा प्राप्तियाँ 7.91 प्रतिशत बढ़ी।</li> <li>➤ लोक लेखा संवितरण 10.84 प्रतिशत बढ़ा।</li> </ul>
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वर्ष 2020-21 के दौरान गत वर्ष की तुलना में रोकड़ शेष ₹ 1,216.90 करोड़ (15.79 प्रतिशत) कम हुआ।</li> </ul>

\* भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ को हटाने के बाद लोक ऋण प्राप्तियों में प्रभावी वृद्धि 84.87 प्रतिशत होगी

## 2.2 निधियों के स्रोत एवं प्रयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2019-20 के साथ वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उपयोग की तुलना करती है, जबकि चार्ट 2.1 और 2.2 वर्ष 2020-21 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियों का और व्यय का प्रतिशतता के रूप में विवरण देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण


(₹ करोड़ में)

	विवरण	2019-20	2020-21	बढ़त/कमी
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारम्भिक रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41	1,910.66
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,40,113.81	1,34,307.88	(-) 5,805.93
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.42	14.08	(-) 6.34
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,669.75	373.52	(-) 15,296.23
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल )	26,141.04	48,941.02*	22,799.98
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल )	13,423.98	9,217.51	(-) 4,206.47
	योग	<b>2,01,162.75</b>	<b>2,00,558.42</b>	(-) 604.33

	विवरण	2019-20	2020-21	बढ़त/कमी
उपयोग	राजस्व व्यय	1,76,485.10	1,78,309.41	1,824.31
	पूंजीगत व्यय	14,718.05	15,270.49	552.44
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	2,255.19	491.01	(-) 1,764.18
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम रोकड़ शेष	7,704.41	6,487.51	(-) 1,216.90
	योग	2,01,162.75	2,00,558.42	(-) 604.33

स्रोत: वित्त लेखे

\*प्रभावी लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल) ₹44,337.02 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किरणी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। तदनुसार, वृद्धि ₹18,195.98 करोड़ होगी।



### 2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. राजस्व प्राप्तियाँ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश और भारत सरकार (भा.स.) से सहायतार्थ-अनुदान शामिल हैं।
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
3. निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ: ये कुछ संव्यवहारों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाओं, उचंतों, प्रेषणों आदि से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।


3. निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ: ये कुछ संव्यवहारों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाओं, उचंतों, प्रेषणों आदि से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं।

इन्हें संविधान की धारा 266 (2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के लिये उपलब्ध रहती है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करने वाली प्राप्तियाँ के दो प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय संसाधनों के घटक और उप-घटक



\* प्रभावी लोक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 85,360 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 4,604 करोड़ को वित आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

### 2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह अनुच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। आगे यह प्राप्तियों की प्रवृत्ति को भारत सरकार से प्राप्तियों और राज्य की स्व-प्राप्तियों में विभाजित करता है।

#### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और वृद्धि

**तालिका 2.3** राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और वृद्धि के साथ-साथ पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2016-21 में जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां और राजस्व प्राप्तियों का संयोजन क्रमशः **चार्ट 2.4** और **2.5** के साथ-साथ **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,09,026	1,27,307	1,37,873	1,40,114	1,34,308
2.	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.72	16.77	8.30	1.63	(-) 4.14
3.	स्व-कर राजस्व	44,372	50,605	57,380	59,245	60,283
4.	कर-भिन्न राजस्व	11,615	15,734	18,603	15,714	13,653
5.	स्व-राजस्व प्राप्तियाँ	55,987	66,339	75,983	74,959	73,936
6.	स्व-प्राप्तियों की वृद्धि दर (स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	4.37	18.49	14.54	(-) 1.35	(-) 1.36
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 शून्यला)	7,60,587	8,28,661	9,21,789 <sup>Σ</sup>	9,98,999 <sup>£</sup>	9,57,912 <sup>#</sup>
8.	जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.61	8.95	11.24	8.38	(-) 4.11
9.	राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	14.33	15.36	14.96	14.03	14.02
10.	उत्प्लावकता अनुपात <sup>1</sup>					
11.	राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के सन्दर्भ में	0.75	1.87	0.74	0.19	-*
12.	राज्य की स्व-राजस्व प्राप्ति उत्प्लावकता जीएसडीपी के सन्दर्भ में	0.38	2.07	1.29	(-) 0.16	-*

जीएसडीपी आंकड़ों के स्रोत: आर्थिक समीक्षा (2020-21), आर्थिक एवं सांस्कृतिकी विभाग, राजस्थान सरकार।

\* वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी एवं राजस्व प्राप्तियों (स्व-राजस्व प्राप्तियों सहित) की वृद्धि नकारात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है।


<sup>Σ</sup> संशोधित अनुमान- II

<sup>£</sup> संशोधित अनुमान- I

<sup>#</sup> अग्रिम अनुमान


1. उत्प्लावकता अनुपात, आधार अनुपात में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोचशीलता या प्रतिक्रिया के स्तर के अनुपात को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.7 से तात्पर्य है कि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्तियों में 1.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियां 5.35 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वर्ष 2016-17 में ₹1,09,026 करोड़ से 23.19 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,34,308 करोड़ हो गई। वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹5,806 करोड़ (4.14 प्रतिशत) की कमी हुई। जबकि राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 1.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 13.12 प्रतिशत, 1.31 प्रतिशत एवं 14.81 प्रतिशत की कमी हुई।
- जुलाई 2020 (₹14,848 करोड़) और मार्च 2021 (₹ 24,624 करोड़) की संयुक्त राजस्व प्राप्तियाँ सम्पूर्ण वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 29.4 प्रतिशत थीं।

- वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 55.05 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया था, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का 44.95 प्रतिशत योगदान था, जो कि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का राजस्थान की राजकोषीय स्थिति पर बड़े प्रभाव का सूचक है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय में 1.03 प्रतिशत (₹1,824 करोड़) की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व प्राप्तियों में 4.14 प्रतिशत (₹5,806 करोड़) की कमी हुई जिससे गत वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।
- जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2019-20 में 14.03 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2020-21 में 14.02 प्रतिशत रह गया।

### 2.3.2.2 राज्य के स्व-संसाधन


केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता से निर्धारित होती है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन अपने स्व-संसाधनों जिसमें स्व-कर और कर-भिन्न संसाधनों से राजस्व सम्मिलित हो, के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

#### स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य जीएसटी, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर इत्यादि कर शामिल हैं।

चार्ट 2.6: वर्ष 2016-21 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)



2016-21 के दौरान संग्रहित किए गए स्व-कर राजस्व का घटक-वार विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाइन
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	28,558	19,008	14,791	15,843	17,479	
2.	माल एवं यात्री कर	803	341	51	41	45	
3.	मनोरंजन कर और विलासिता कर (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत)	220	64	5	01	01	
4.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	12,137	22,938	21,954	20,755*	
	योग	<b>29,581</b>	<b>31,550</b>	<b>37,785</b>	<b>37,839</b>	<b>38,280</b>	
5.	राज्य उत्पाद शुल्क	7,054	7,276	8,694	9,592	9,853	
6.	वाहनों पर कर	3,623	4,363	4,576	4,951	4,368	
7.	मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	3,053	3,675	3,886	4,235	5,297	
8.	भू-राजस्व	315	364	290	364	280	
9.	अन्य कर <sup>2</sup>	746	3,377	2,149	2,264	2,205	
	महा योग	<b>44,372</b>	<b>50,605</b>	<b>57,380</b>	<b>59,245</b>	<b>60,283</b>	

\* अनअंकेक्षित आंकड़े

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य का स्व-कर राजस्व 7.96 प्रतिशत सीएजीआर से वर्ष 2016-17 में ₹ 44,372 करोड़ से ₹15,911 करोड़ बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 60,283 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य में कर राजस्व की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 1.75 प्रतिशत थी एवं पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के औसत (-4.43 प्रतिशत) (**परिशिष्ट 1.1**) से अधिक थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, कर राजस्व के मुख्य अंश राज्य वस्तु एवं सेवा कर (34.43 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (28.99 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (16.34 प्रतिशत) रहे। वर्ष 2020-21 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 10.33 प्रतिशत और 25.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2. अन्य करों में कृषि भूमि से भिन्न अन्य अचल संपत्तियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर और विलासिता कर को छोड़कर) शामिल हैं। इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹738 करोड़, ₹3,376 करोड़, ₹ 2,148 करोड़, ₹ 2,263 एवं ₹ 2,142 करोड़ की प्राप्तियां शामिल हैं।

## राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। जीएसटी वस्तु या सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति (शाराब तथा पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर) पर लगाया जाता है और इसके घटकों को केंद्र (सीजीएसटी) तथा राज्य (एसजीएसटी) द्वारा साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया एवं एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित किये गए आईजीएसटी को केंद्र और सम्बंधित राज्य, जहाँ वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग किया गया हो, के मध्य विभाजित किया जाता है।

भारत सरकार ने राज्यों को जीएसटी लागू होने के कारण होने वाली राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति आधार वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिये 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए करने के लिये जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 लागू किया। तदनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व ₹ 17,158.62 करोड़ पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की आंकलित वृद्धि दर लागू करते हुए राजस्थान के लिए वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 33,037.46 करोड़ था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 33,037.46 करोड़ के अनुमानित राजस्व की तुलना में राज्य का जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह वर्ष 2020-21 में ₹ 20,754.87 करोड़ (आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन की राशि ₹ 1,628.07 करोड़ को शामिल करते हुए) था जबकि 2019-20 में यह ₹ 21,954.17 करोड़ था। इसलिए, एसजीएसटी संग्रहण में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,199.30 करोड़ (5.46 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी के तहत राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 31,357.49 करोड़ रही जिसमें एसजीएसटी संग्रह तथा राज्यों<sup>3</sup> को नियत किये गए सीजीएसटी का निवल आगम शामिल था जबकि राज्य को वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को नियत किये गए आईजीएसटी के निवल आगमों का अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 की धारा 7 के अनुसार, जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व की हानि की केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा संग्रहित वास्तविक जीएसटी राजस्व का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा/प्रमाणीकरण किया जाता है। राज्य को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,957.37 करोड़ (गत वर्ष से संबंधित ₹ 2,675.47 करोड़ को छोड़कर) की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

जीएसटी राजस्व से कमी को पूरा करने के लिये, भारत सरकार ने “जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले राज्यों को बैंक-टू-बैंक ऋण” योजना लागू की है। वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान को ₹ 4,604 करोड़ प्राप्त हुए हैं। इस ऋण की अदायगी जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रहण से की जानी है, तथा इसलिए पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के किसी अन्य संसाधन से पूरा नहीं किया जाएगा।

3. ₹ 10,602.62 करोड़

जीएसटी डाटाबेस की एक्सेस दिसम्बर 2020 में उपलब्ध करायी गयी तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान ने वर्ष 2017-18 के क्षतिपूर्ति आंकड़ों को 2020-21 के दौरान तथा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के क्षतिपूर्ति आंकड़ों को 2021-22 के दौरान प्रमाणित किया। वर्ष 2020-21 के क्षतिपूर्ति आंकड़े प्रमाणीकरण हेतु वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार से प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2021)।

### राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार द्वारा राजस्व की विलंबित वसूली को इंगित करता है।

31 मार्च 2021 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 20,577.89 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 4,125.75 करोड़ पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया थे, जैसा कि तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2021 को कुल बकाया राशि और विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	31 मार्च 2021 को पांच वर्ष से अधिक बकाया राशि	
1.	वाणिज्यिक कर	21,874.45	18,225.98	(-) 16.68	3,358.61
2.	परिवहन	64.14	59.39	(-) 7.41	35.28
3.	भू-राजस्व	200.65	186.16	(-) 7.22	89.82
4.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	2.79	2.73	(-) 2.15	1.54
5.	पंजीकरण और मुद्रांक	1,339.42	1,318.38	(-) 1.57	135.62
6.	भू - कर	238.08	300.66	(+) 26.29	232.93
7.	राज्य उत्पाद शुल्क	201.58	208.07	(+) 3.22	194.45
8.	खान, भू-विज्ञान और पेट्रोलियम	321.45	276.52	(-) 13.98	77.50
योग		<b>24,242.56</b>	<b>20,577.89</b>	<b>(-) 15.12</b>	<b>4,125.75</b>

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

जिन स्तरों पर बकाया संग्रह के लिए लम्बित थे, से सम्बन्धित सूचना मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गई (दिसम्बर 2021)।

### बकाया निर्धारण

बकाया निर्धारण संभावित राजस्व को दर्शाते हैं जो विलंबित निर्धारण के कारण अवरुद्ध है। यह सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करता है तथा अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करता है। वाणिज्यिक कर, पंजीकरण एवं मुद्रांक, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम और परिवहन विभागों द्वारा वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध कराये गये लंबित मामलों, मूल्यांकन योग्य बने मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6 : बकाया निर्धारण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाये गये मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 5/4)
							7
1	2	3	4	5	6	99.98	
1.	वाणिज्यिक कर	18	4,626	4,644	4,643	1	99.98
2.	पंजीकरण एवं मुद्रांक*	7,383	10,464	17,847	8,826	9,021	49.45
3.	स्वान् भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम	8,799	10,609	19,408	9,107	10,301	46.92
4.	परिवहन	1,537	19,963	21,500	20,264	1,236	94.25

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

\*भू- कर सहित

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग और परिवहन विभाग ने निपटान के उच्च प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। तथापि, पंजीकरण और मुद्रांक, स्वान् भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम और परिवहन विभागों में मामलों का निपटान बहुत कम था। ये विभाग मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

### विभागों द्वारा पता लगायी गई कर चोरी का विवरण

विभागों द्वारा पता लगाये गए कर चोरी के मामले तथा अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के मुख्य संकेतक है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान कर चोरी के 3059 मामले<sup>4</sup> पाये गए। 2870 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी हुई और 855 मामले 31 मार्च 2021 को अन्तिमिकरण के लिए बकाया थे। पंजीकरण और मुद्रांक विभाग में वर्ष 2020-21 के दौरान कर चोरी के 432 मामले पाये गए जिनमें से सभी का मूल्यांकन/जाँच विभाग द्वारा की गई। इनमें से 31 मार्च 2021 तक 75 मामलों में वसूली की गई थी जबकि 357 मामले अन्तिम रूप देने के लिये बकाया थे।

भू-राजस्व, राज्य आबकारी और परिवहन विभागों ने अवगत कराया कि कर चोरी का कोई भी मामला नहीं पाया गया। इससे ज्ञात होता है कि इन विभागों के पास आगतों के रिसाव पर रोक लगाने के लिए उचित तंत्र का अभाव था, जिससे वे बिना आज्ञा वाहनों का परिचालन, अवैध खनन, आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कृषि भूमि का रूपांतरण नहीं होना और शराब एवं अन्य मादक पदार्थ का अवैध परिवहन आदि के सम्बन्ध में मिली सूचनाओं पर कार्यवाही कर सकते थे जैसा कि इन विभागों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ। बकाया मामलों का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

4. राज्य के 13 ज़ोगों के 17 करापवंचन वृत्तों से सम्बंधित सूचनाओं को शामिल करने से गत वर्ष (285 मामले) की तुलना में ऐसे मामलों की संख्या में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

तालिका 2.7: कर चोरी की खोज

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 को बकाया मामले	वर्ष 2020-21 के दौरान ज्ञात मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूर्ण कर ली गई और शास्ति इत्यादि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2021 को अन्तिमीकरण के लिये बकाया मामले
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वाणिज्यिक कर	666	3059	3725	2870	21,473.37	855
2.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	शून्य	15	15	15	0.18	शून्य
3.	पंजीकरण एवं मुद्रांक	शून्य	432	432	432	8.36	357

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

**रिफंड के लंबित मामले**

रिफंड के मामलों के निस्तारण में तत्परता भी विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में लंबित रिफंड के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित बताये गए मामलों को तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: रिफंड के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर		परिवहन		पंजीकरण एवं मुद्रांक	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	1,290	130.52	554	2.57	987	9.94
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,600	1,006.15	629	3.29	1,698	8.90
3	वर्ष के दौरान रिफंड	3,513	184.99	413	3.10	1,436	7.59
4	वर्ष के दौरान निरस्त	1,614	839.56	28	0.19	23	0.30
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	763	112.12	742	2.57	1,226	10.95

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि परिवहन विभाग में लंबित रिफंड मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग में लंबित राशि के साथ साथ संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों के द्वारा शून्य जानकारी प्रदान की गई है। लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि वर्ष के दौरान खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा दर्शाये गए 31 मार्च 2020 के 23 मामलों के अंतिम शेष की राशि का भुगतान किया गया था या नहीं।

संबंधित विभाग रिफंड के मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा, बल्कि सरकार रिफंड के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अदायगी से भी बच सकती है।

### कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, पेट्रोलियम से राजस्व, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व की प्रवृत्ति तालिका 2.9 में दी गई है।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाइन
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,933	4,859	5,791	3,852	2,693	
2.	पेट्रोलियम से राजस्व <sup>5</sup>	2,332	2,579	3,883	3,320	1,905	
3.	अलौह स्वनन तथा धातुकर्म उद्योग	4,234	4,522	5,302	4,579	4,966	
4.	लाभांश तथा लाभ	68	67	56	55	3	
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,048	3,707	3,571	3,908	4,086	
	योग	11,615	15,734	18,603	15,714	13,653	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक था। वर्ष 2020-21 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व (₹ 13,653 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 13.12 प्रतिशत (₹ 2,061 करोड़) की कमी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 1,159 करोड़ (30.09 प्रतिशत) तथा कच्चे तेल पर रायल्टी से पेट्रोलियम प्राप्तियों में ₹ 1,415 करोड़ (42.62 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में नकारात्मक (-13.12 प्रतिशत) थी, जबकि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में औसत वृद्धि दर (-) 35.60 प्रतिशत (परिशिष्ट 1.1) थी।

#### 2.3.2.3 केंद्र द्वारा हस्तांतरण

केंद्र सरकार से हस्तांतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की। तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोगों की अवधि को शामिल करते हुए 10 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरण की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दी गई है।

5. बाड़मेर-सांचोर बेसिन से उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी से राजस्व।

तालिका 2.10: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय करों में हिस्सा	केंद्र से अनुदान	केंद्र से हस्तांतरण
	1	2	3	4 = (2+3)
1.	2011-12	14,977	7,482	22,459
2.	2012-13	17,103	7,174	24,277
3.	2013-14	18,673	8,745	27,418
4.	2014-15	19,817	19,608	39,425
5.	2015-16	27,916	18,728	46,644
6.	2016-17	33,556	19,483	53,039
7.	2017-18	37,028	23,940	60,968
8.	2018-19	41,853	20,037	61,890
9.	2019-20	36,049	29,106	65,155
10.	2020-21	35,576	24,796	60,372

स्रोत: वित्त लेखे

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2011-12 में ₹ 22,459 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 60,372 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी तथा केंद्र से अनुदान दोनों में गिरावट आई।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



### केन्द्रीय कर हस्तांतरण

पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी।

केन्द्रीय करों में राज्यांश के घटकों को तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: केन्द्रीय करों में राज्यांश के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	सीमा शुल्क	4,620	3,735	2,966	2,285	1,910
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5,275	3,905	1,971	1,589	1,199
3.	सेवा कर	5,433	4,227	389	-	150
4.	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	-	520	10,329	10,229	10,603
5.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	3,736	824	-	-
6.	निगम कर	10,739	11,334	14,553	12,291	10,711
7.	निगम कर से भिन्न आय पर कर	7,464	9,571	10,718	9,631	10,978
8.	धन कर	25	<sup>6</sup>	5	1	-
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	<sup>7</sup>	<sup>8</sup>	22	23	25
10.	अन्य	-	-	76	-	-
11.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण	<b>33,556</b>	<b>37,028</b>	<b>41,853</b>	<b>36,049</b>	<b>35,576</b>
12.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	20.20	10.35	13.03	(-)13.87	(-) 1.31
13.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	30.78	29.09	30.36	25.73	26.49

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान, केन्द्रीय कर हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 26.49 प्रतिशत था। पांच वर्ष की अवधि 2016-21 के दौरान, केन्द्रीय कर हस्तांतरण वर्ष 2016-17 के ₹33,556 करोड़ से 6.02 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 35,576 करोड़ हो गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, केन्द्रीय कर हस्तांतरण (₹ 35,576 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 1.31 प्रतिशत (₹ 473 करोड़) की कमी मुख्यतः निगम कर में ₹ 1,580 करोड़ (12.85 प्रतिशत) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 390 करोड़ (24.54 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई, जो निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर में ₹1,347 करोड़ (13.99 प्रतिशत) वृद्धि से कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हुई।

#### भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तालिका 2.12 में वर्णित है।

6. ₹ (-) 0.34 करोड़।

7. ₹ 0.09 करोड़।

8. ₹ (-) 0.01 करोड़।

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	आयोजना - भिन्न अनुदान*	5,928	-	-	-	-
2.	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान*	13,462	-	-	-	-
3.	केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं सहित)*	93	-	-	-	-
4.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें (सी एस एस)	-	16,104	13,317	14,966	12,595
5.	वित्त आयोग अनुदान	-	4,262	3,121	7,332	6,237
6.	राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	-	3,574	3,599	6,808	5,964
	योग	<b>19,483</b>	<b>23,940</b>	<b>20,037</b>	<b>29,106</b>	<b>24,796</b>
7.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	4.03	22.88	(-) 16.30	45.26	(-) 14.81
8.	राजस्व प्राप्तियों से सहायतार्थ अनुदान की प्रतिशतता	17.87	18.80	14.53	20.77	18.46

स्रोत: वित्त लेखे।

\* वर्ष 2016-17 के बाद से कोई आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजना-भिन्न अनुदान का नामकरण हटा दिया गया, और सीएसएस के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,310 करोड़ (14.81 प्रतिशत) की कमी मुख्यतः ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹ 2,146 करोड़ (42.6 प्रतिशत), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए ₹ 917 करोड़ (70 प्रतिशत), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए ₹ 1,217 करोड़ (61.1 प्रतिशत), एकीकृत शिक्षा के लिए ₹ 686 करोड़ (23.6 प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा में मानव संसाधन के लिए ₹ 189 करोड़ (22 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 18 प्रतिशत था। राज्य को वर्ष के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 12,595 करोड़) कुल अनुदान का 51 प्रतिशत था। वित्त आयोग के अनुदान में स्थानीय निकायों के लिये अनुदान (₹ 4,756 करोड़) तथा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए अनुदान (₹ 1,481 करोड़) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य अनुदानों में जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति (₹ 5,633 करोड़) शामिल है।

### पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना पहला प्रतिवेदन दिसम्बर 2019 में प्रस्तुत किया। सहायतार्थ अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता

में एक उच्च-स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की (सितम्बर 2020)। उच्च-स्तरीय अनुश्रवण समिति की एक बैठक जनवरी 2021 में आयोजित हुई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित, भारत सरकार द्वारा जारी और राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित सहायतार्थ अनुदान की स्थिति नीचे तालिका 2.13 में दी गई है।

**तालिका 2.13: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी की गई और हस्तांतरित राशि**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	हस्तांतरण	वर्ष 2020-21 के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी	राजस्थान सरकार द्वारा जारी
1	स्थानीय निकाय			
	(i) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	<b>3,862.00</b>	<b>2,896.50</b>	<b>2,896.50</b>
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	1,931.00	1,931.00	1,931.00
	(ब) टाईड अनुदान	1,931.00	965.50	965.50
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	<b>1,859.00</b>	<b>1,859.00</b>	<b>1,859.00</b>
	क. नॉन मिलियन प्लस सिटी	<b>1,297.00</b>	<b>1,297.00</b>	<b>1,297.00</b>
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	648.50	648.50	648.50
	(ब) टाईड अनुदान	648.50	648.50	648.50
	ख. मिलियन प्लस सिटी (जयपुर, जोधपुर एवं कोटा)	<b>562.00</b>	<b>562.00</b>	<b>562.00</b>
	(अ) संस्थानिक निर्माण सहित वायु गुणवत्ता सुधार उपायों हेतु	281.00	281.00	281.00 <sup>#</sup>
	(ब) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारने और फाइबर स्टार रेटिंग प्राप्त करने हेतु	281.00	281.00	281.00 <sup>##</sup>
	योग (1)	<b>5,721.00</b>	<b>4,755.50</b>	<b>4,755.50</b>
2	राज्य आपदा मोर्चन निधि*	1,975.00	1,975.00	1,975.00
	<b>महायोग (1 से 2)</b>	<b>7,696.00</b>	<b>6,730.50</b>	<b>6,730.50</b>

स्रोत: पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं राज्य के वित्त लेखे।

\* कुल अनुदान में राज्यांश के 25 प्रतिशत सहित।

# शहरी स्थानीय निकायों को 12.04.2021 को हस्तांतरित ₹ 140.50 करोड़ सहित।

## शहरी स्थानीय निकायों को 06.04.2021 को हस्तांतरित ₹ 140.50 करोड़ सहित।

### स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) को हस्तांतरण

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं हेतु मूल अनुदान (अनटाईड) तथा स्वच्छता एवं स्वाले में शौच मुक्त स्तर बनाये रखने के लिए आवश्यक सेवाओं, पेय जल की आपूर्ति, वर्षा जल संग्रहण तथा जल पुर्नर्दर्शन हेतु अनुदान की सिफारिश की। वर्ष 2020-21 के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद 5.3(vii) में बताया गया कि राज्य को 90:10 के अनुपात में जनसंस्था एवं क्षेत्रफल के आधार पर पांचवी अनुसूची क्षेत्र के भीतर आने वाले राज्यों को अनुदान का आवंटन करना चाहिए। तदनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान को मिलियन प्लस सिटी के लिये परिवेशी वायु गुणवत्ता सुधार उपायों और जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिये अनुदान दिया गया है। गैर-मिलियन

शहरों को मूल (अन-टाईड) और टाईड अनुदान दिया गया है। वर्ष 2020-21 के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिये कोई पूर्व शर्त निर्धारित नहीं की गई है।

यह देखा गया कि पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिये ₹ 3,862 करोड़ (मूल अनुदान ₹ 1,931 करोड़ एवं टाईड अनुदान ₹ 1,931 करोड़) आवंटित किये तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹ 2,896.50 करोड़ जारी किये एवं ₹ 1,859 करोड़ (मिलियन प्लस शहर ₹ 562 करोड़ तथा गैर-मिलियन शहर ₹ 1,297 करोड़) शहरी स्थानीय निकायों को जारी किये। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों को टाईड अनुदान ₹ 965.50 करोड़ की दूसरी किस्त जारी नहीं की तथा इसे वर्ष 2021-22 (मई 2021) में जारी किया गया है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 2020-21 की दूसरी किस्त देरी से जारी करने के सम्बन्ध में, वित्त विभाग ने (अक्टूबर 2021) सूचित किया कि जारी करने में देरी भारत सरकार के स्तर पर थी।

इसी तरह, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से क्षेत्रीय अनुदान (स्वास्थ्य, पुलिस प्रशिक्षण एवं आवास, न्यायपालिका, सांस्कृतिकी) तथा प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान (कृषि सुधार, बिजली क्षेत्र, शिक्षा तथा घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन) की भी सिफारिश की। इन अनुदानों के लिये सरकार को वर्ष 2021-22 से अनुदान की पात्रता के लिये वर्ष 2020-21 में कुछ प्रारम्भिक कार्य करने थे। कुछ अनुदानों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है:

### **क्षेत्रीय अनुदान**

**स्वास्थ्य:-** पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकार को जिला अस्पतालों में 100 बिस्तरों वाले चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना से सम्बंधित प्रारंभिक कार्य करना चाहिए। अनुदान प्राप्त करने के लिये जिला अस्पतालों को प्रशिक्षण स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारम्भ करना चाहिये। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से (जून 2021) सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

**पुलिस प्रशिक्षण एवं आवास:-** पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि पुलिस प्रशिक्षण एवं आवास के लिये अनुदान प्रदान करने पर विचार करने के लिये, राज्य सरकार को अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण के लिये भूमि एवं परिसर की पहचान करनी चाहिए तथा वर्ष 2020-21 में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये प्रारम्भिक कार्य करना चाहिये। इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग से (जून 2021) सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

**न्यायपालिका:-** इस क्षेत्रीय अनुदान को प्राप्त करने के लिये न्याय विभाग एवं राज्य सरकार को लंबित मामलों के अत्यधिक बैकलॉग को कम करने के लिये और अधिक फारस्ट ट्रैक अदालतें शुरू करने के लिये प्रारंभिक कार्यवाही करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में न्याय विभाग से (जून 2021) में सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

### **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन**

**बिजली क्षेत्र में सुधार:** पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिये, विद्युत विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2020-21 में राज्य-वार लक्ष्यों एवं स्पष्ट रोडमैप के साथ एक

निगरानी योग्य प्रदर्शन सूचकांक विकसित करेगा। इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग से (जून 2021) सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

**शिक्षा के लिये प्रोत्साहन:** पन्द्रहवें वित्त आयोग ने कुछ संकेतकों में वृद्धिशील परिवर्तन के सन्दर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन की शुरुआत की, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रदर्शन सूचकांक का निर्माण करते हैं। वर्ष 2021-22 से इस वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिये मंत्रालय तथा राज्य सरकार को वर्ष 2020-21 के दौरान इन सूचकांकों के आधार पर राज्यवार लक्ष्य तैयार करने चाहिये। इस इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग से (जून 2021) सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

**घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का प्रोत्साहन:** पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि वर्ष 2020-21 के दौरान पर्यटन मंत्रालय, नीति आयोग तथा राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2021-22 से अनुदान हेतु पात्र बनने के लिये राज्य-वार रोडमैप एवं कार्य योजना विकसित करें। पर्यटन विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि न तो विभाग को भारत सरकार से रोडमैप प्राप्त हुआ और न ही पर्यटन मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये।

### 2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से निवल ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। निवल पूँजीगत प्राप्तियाँ लोक ऋण के निर्वहन के बाद शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियाँ और अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं।

निम्न तालिका में निवल पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: निवल पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	पूँजीगत प्राप्तियाँ	40,615	32,033	36,110	41,831	49,328
1.	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	28	16	20	20	14
2.	ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	1,713	15,134	15,158	15,670	373
3.	निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	38,874	16,883	20,932	26,141	48,941
4.	आंतरिक ऋण	35,993	15,959	19,068	22,766	42,712
5.	वृद्धि दर	(-) 34.34	(-) 55.66	19.48	19.39	87.61
6.	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	2,881	924	1,864	3,375	6,229
7.	वृद्धि दर	135.38	(-) 67.93	101.73	81.07	84.56
8.	ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 30.63	(-) 56.57	23.98	24.89	87.22
9.	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	18.27	770.19	0.18	3.37	(-) 97.53
10.	जीएसडीपी की वृद्धि दर	11.63	9.78	12.86	8.32	(-) 4.11
11.	पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 29.38	(-) 21.13	12.73	15.84	17.92

स्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक एवं सांस्थिकी विभाग, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा।

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2019-20 में ₹ 41,831 करोड़ से 17.92 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 49,328 करोड़ हो गयी। वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ 86.59 प्रतिशत निवल आंतरिक ऋणों से तथा 12.63 प्रतिशत भारत सरकार से निवल ऋण तथा अग्रिमों से आयी। वर्ष 2020-21 के दौरान, आंतरिक ऋण में 87.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में गत वर्ष की तुलना में 84.56 प्रतिशत की वृद्धि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिये बैक-टू-बैक ऋण योजना के तहत ₹ 4,604 करोड़ की प्राप्ति के कारण हुई। प्रभावी निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ ₹44,337 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मापदंड के अन्तर्गत राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। परिणामस्वरूप, प्रभावी निवल पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹44,724 करोड़ होगी।

#### 2.3.4 संसाधनों की वृद्धि में राज्य का प्रदर्शन

चूंकि केंद्रीय करों में राज्यांश एवं सहायतार्थ अनुदानों का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्व-संसाधनों के संन्दर्भ में किया गया जिसमें कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित थे।

राज्य के वास्तविक स्व-कर और कर-भिन्न राजस्व के साथ-साथ बजट अनुमानों को तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के स्व-कर तथा कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों से वास्तविक का प्रतिशत विचलन
1.	स्व-कर राजस्व	77,029	60,283	(-) 21.74
2.	कर-भिन्न राजस्व	19,596	13,653	(-) 30.33

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

स्व-कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से क्रमशः 21.74 प्रतिशत (₹ 16,746 करोड़) तथा 30.33 प्रतिशत (₹ 5,943 करोड़) कम थीं जो राज्य द्वारा संसाधनों को जुटाने में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है।

#### 2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के दायरे में व्यय करने की जिम्मेदारी निहित है, जिसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में जारी राजकोषीय सुधार एवं एकीकरण प्रक्रिया कहीं पूँजीगत आधारभूत ढाँचे तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर तो नहीं है। यह अनुच्छेद उप-अनुच्छेदों के साथ राज्य में व्यय का विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

#### 2.4.1 व्यय का संयोजन एवं वृद्धि

तालिका 2.16 ‘आर्थिक वर्गीकरण’ के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हुए पाँच वर्षों (2016-21) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.16: कुल व्यय तथा उसके संयोजन


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	कुल व्यय	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071
2.	राजस्व व्यय	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309
3.	पूंजीगत व्यय	16,980	20,623	19,638	14,718	15,271
4.	ऋण एवं अग्रिम	12,965	1,334	1,113	2,255	491
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में						
5.	कुल व्यय/जीएसडीपी	20.65	20.25	20.34	19.37	20.26
6.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी	16.72	17.60	18.09	17.67	18.61
7.	पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	2.23	2.49	2.13	1.47	1.59
8.	ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	1.70	0.16	0.12	0.23	0.06

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 1,57,085 करोड़ से 23.55 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,94,071 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान इसमें गत वर्ष की तुलना में 0.32 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में सीमांत वृद्धि एवं ऋण एवं अग्रिम में प्रतिसंतुलित कमी के कारण हुई। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 19.37 प्रतिशत से 20.65 प्रतिशत के मध्य रहा। राज्य में कुल व्यय की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान (0.32 प्रतिशत), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर 4.54 प्रतिशत से काफी कम थी (परिचय 1.1)।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: घटक वार अंश की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त चार्ट और तालिका 2.17 से स्पष्ट है, पिछले कुछ वर्षों में पूँजीगत व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका अंश जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2016-17 में 2.23 प्रतिशत (₹ 16,980 करोड़) से घटकर 2020-21 में 1.59 प्रतिशत (₹ 15,271 करोड़) रह गया। वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (-2.36 प्रतिशत) की तुलना में कम (-7.13 प्रतिशत) थी।

गतिविधियों के सन्दर्भ में, कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायतार्थ अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय से संगठित माना जा सकता है।

**तालिका 2.17: विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्ष घटक**


(प्रतिशत में)

क्र. सं.	मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	सामान्य सेवायें	25.23	26.21	29.30	29.28	31.20
2.	सामाजिक सेवायें	35.39	35.92	38.71	38.16	42.07
3.	आर्थिक सेवायें	31.13	37.07	31.39	31.40	26.48
4.	अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	8.25	0.80	0.60	1.16	0.25


स्रोत: वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं के सापेक्ष अंश में कमी मुख्य रूप से विद्युत, फसल कृषि कर्म, सड़क एवं सेतु तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण हुई।

**चार्ट 2.9: कुल व्यय-गतिविधि वार व्यय**



चार्ट 2.10: व्यय का संयोजन



#### 2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं में किसी प्रकार की वृद्धि में योगदान नहीं देता है। गत पांच वर्षों के लिये कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर तथा जीएसडीपी से अनुपात को तालिका 2.18 में दर्शाया गया है। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.11 में प्रस्तुत किया है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय—आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	मापदंड	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1.	कुल व्यय	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071
2.	राजस्व व्यय	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309
3.	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.67	14.71	14.35	5.82	1.03
4.	राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	80.94	86.91	88.93	91.23	91.88
5.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	16.72	17.60	18.09	17.67	18.61
6.	राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	116.61	114.56	120.96	125.96	132.76
राजस्व व्यय की उत्पावकता						
7.	जीएसडीपी (अनुपात)	1.69	1.64	1.28	0.69	—*
8.	राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	2.26	0.88	1.73	3.57	—*

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

\* वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी तथा राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नकारात्मक होने के कारण उत्पावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 91.88 प्रतिशत था। यह वर्ष 2016-17 में ₹ 1,27,140 करोड़ से 8.82 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,78,309 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 1.03 प्रतिशत (₹ 1,824 करोड़) की वृद्धि हुई।

**चार्ट 2.11:** राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



#### 2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

**तालिका 2.19:** वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि / कमी (-)
1.	2217- शहरी विकास	4,274.80	5,982.22	1,707.42
2.	2071- पेशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	20,761.31	22,439.62	1,678.31
3.	2401- फसल कृषि कर्म	2,467.00	4,049.76	1,582.76
4.	2049- ब्याज भुगतान	23,643.27	25,201.81	1,558.54
5.	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8,195.48	9,647.75	1,452.27
6.	2202- सामान्य शिक्षा	33,145.84	34,506.82	1,360.98
7.	2040- विक्री, व्यापार आदि पर कर	741.23	1,375.45	634.22
8.	3456- नागरिक आपूर्ति	658.10	1,277.33	619.23
9.	2801- बिजली	22,734.43	14,264.26	(-) 8,470.17
10.	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7,807.53	6,216.41	(-) 1,591.12
11.	3054- सड़क एवं सेतु	2,102.55	1,464.00	(-) 638.55

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि वर्ष के दौरान 'विद्युत' तथा 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' के तहत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय गिरावट हुई है, जिसका मुख्य कारण विद्युत कंपनियों तथा जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों/ग्राम पंचायतों को कम सहायता दिया जाना है।

#### 2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर प्रथम प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार की विकास गतिविधियों के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं। तालिका 2.20 वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियां प्रदर्शित करती हैं।


तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	वेतन एवं मजदूरी	30,016	37,611	49,790	49,066	51,619
2.	पेंशन पर व्यय	12,296	13,925	20,396	20,761	22,440
3.	ब्याज अदायगी	17,677	19,720	21,695	23,643	25,202
	योग	<b>59,989</b>	<b>71,256</b>	<b>91,881</b>	<b>93,470</b>	<b>99,261</b>
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में						
4.	वेतन एवं मजदूरी	27.53	29.54	36.11	35.02	38.43
5.	पेंशन पर व्यय	11.28	10.94	14.80	14.82	16.71
6.	ब्याज अदायगी	16.21	15.49	15.74	16.87	18.76
	योग	<b>55.02</b>	<b>55.97</b>	<b>66.65</b>	<b>66.71</b>	<b>73.90</b>
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में						
7.	वेतन एवं मजदूरी	23.61	25.79	29.85	27.80	28.95
8.	पेंशन पर व्यय	9.67	9.55	12.23	11.76	12.58
9.	ब्याज अदायगी	13.90	13.52	13.01	13.40	14.13
	योग	<b>47.18</b>	<b>48.86</b>	<b>55.09</b>	<b>52.96</b>	<b>55.66</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट 2.12: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में अंश वर्ष 2016-17 के 47.18 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 55.09 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 के 52.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 55.66 प्रतिशत हो गया, लेकिन वर्ष 2019-20 के दौरान यह घटकर 52.96 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात बढ़ा है। प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का 73.90 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों का केवल लघु हिस्सा अप्रतिबद्ध व्यय के लिये उपलब्ध है।

### वेतन और मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय वर्ष 2016-17 के ₹ 30,016 करोड़ से 14.52 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 51,619 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, वेतन और मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 5.20 प्रतिशत की वृद्धि रही, जो पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (2.27 प्रतिशत) से अधिक थी। यह मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) में राज्य सरकार द्वारा किए गए आंकलन (₹ 55,938 करोड़) से ₹ 4,319 करोड़ कम रहा।

### पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान पर व्यय 2016-17 में ₹ 12,296 करोड़ से 16.23 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर 2020-21 में ₹ 22,440 करोड़<sup>9</sup> हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय

9. इसमें 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ के पेटे वर्तमान वर्ष के दौरान हुये व्यय ₹ 20,208.71 करोड़ तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के ₹ 2,178.91 करोड़ शामिल हैं।

पेंशनरों की कुल संख्या<sup>10</sup> में 9,392 (2.2 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण 8.09 प्रतिशत बढ़ा, जो पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (6.02 प्रतिशत) से अधिक था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय का 12.6 प्रतिशत (2019-20 में 11.8 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार के अपने एमटीएफपीएस/बजट आंकलनों की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय **तालिका 2.21** में दिया गया है।

**तालिका 2.21:** राज्य के एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के सापेक्ष पेंशन भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस/बजट में किये गए अनुमान	वास्तविक
2020-21	23,404	22,440

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

तालिका यह दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2020-21 के लिए किए गए अपने एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के भीतर था।

### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2016-17 के ₹ 17,677 करोड़ से 9.27 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 25,202 करोड़ हो गया। ब्याज भुगतान गत वर्ष (₹ 23,643 करोड़) की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान (₹ 25,202 करोड़) 6.59 प्रतिशत बढ़ा जो मुख्यतः बाजार ऋण में ₹ 51,179 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का अनुपात वर्ष 2020-21 के लिए 18.8 प्रतिशत था, जो गत वर्ष (16.9 प्रतिशत) से अधिक था।

राज्य सरकार के अपने एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के संदर्भ में ब्याज अदायगियों को **तालिका 2.22** में दिया गया है।

**तालिका 2.22:** राज्य के एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के सापेक्ष ब्याज अदायगियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस/बजट में अनुमान	वास्तविक
2020-21	25,494	25,202

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

तालिका दर्शाती है कि ब्याज अदायगियाँ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए एमटीएफपीएस/बजट में किए गए अपने अनुमानों के भीतर थी।

10. पेंशनरों की संख्या 2019-20: 4,30,931 एवं 2020-21: 4,40,323

#### 2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अनुनुक्त दायित्व

राजस्थान में 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, लागू की जा चुकी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करना अनिवार्य है और समान अंशदान सरकार द्वारा दिया जाना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा नियुक्त पेंशन निधि में कर्मचारी के अंशदान के साथ नियोक्ता के अनुरूप योगदान को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राजस्थान सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रारूपित किए गए एनपीएस आर्किटेक्चर को हु-बहु अंगीकृत किया है तथा एनएसडीएल और एनपीएस ट्रस्ट के साथ क्रमशः 09 नवंबर 2010 एवं 02 दिसंबर 2010 को समझौता किया। अंशदान विवरण और अनुरूप राशियाँ नवंबर 2011 से एनएसडीएल और ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित की जा रही हैं। नवम्बर 2011 से पहले, कर्मचारियों के पेंशन खाते के अंशदान और सरकार के समान अंशदान (वर्ष 2011-12 तक खाते के सम्बंधित वेतन शीर्ष से) को सम्बंधित कोषालय अधिकारियों द्वारा बजट शीर्ष 8011-106-103-01 में संधारित ब्याज सहित निजी निक्षेप (पीडी) खाते में जमा किया जा रहा था, जिसे लीगेसी राशि भी कहा जाता है।

निदेशालय, राज्य बीमा प्रावधायी निधि (एसआईपीएफ) विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनएसडीएल को हस्तांतरित लीगेसी राशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका 2.23: एनएसडीएल को हस्तांतरित लीगेसी राशि का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	लीगेसी राशि का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हस्तांतरित की गई कुल राशि	अहस्तांतरित लीगेसी राशि	बकाया लीगेसी राशि पर ब्याज	हस्तांतरित की जाने वाली शेष लीगेसी राशि
1.	31/10/2011 तक	1,393.92	0.00	1,393.92	0.00	1,393.92
2.	01/11/2011 से 31/03/2012	1,393.92	0.00	1,393.92	97.41	1,491.33
3.	2012-13	1,491.33	613.58	877.75	56.20	933.95
4.	2013-14	933.95	363.97	569.98	60.00	629.98
5.	2014-15	629.98	297.31	332.67	37.09	369.76
6.	2015-16	369.76	131.66	238.10	34.97	273.07
7.	2016-17	273.07	161.70	111.37	9.46	120.83
8.	2017-18	120.83	65.04	55.79	7.34	63.13
9.	2018-19	63.13	20.72	42.41	4.02	46.43
10.	2019-20	46.43	10.14	36.29	7.65	43.94
11.	2020-21	43.94	7.85	36.09	1.24	37.33

स्रोत: राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च 2021 को, लीगेसी राशि के पेटे ₹ 37.33 करोड़ शेष राशि हस्तांतरण के लिए लंबित है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2021) कि

31.10.2021 को ₹ 32.88 करोड़ की लीगेसी राशि समाशोधन कारणों जैसे कि प्रान नम्बर का मिलान नहीं होना, कटौती विवरण की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण लंबित थी।

नवंबर 2011 से, राजस्थान सरकार अस्थिल भारतीय सेवा (ए आई एस) के अधिकारियों के अंशदान के लिए मुख्य शीर्ष 8342-117 और अन्य सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंशदान के सम्बन्ध में मुख्य शीर्ष 8011-106 संचालित करती है। कर्मचारियों के अंशदान को इन शीर्षों में हस्तांतरित किया जाना है तथा सरकार के अंशदान को एनएसडीएल और एनपीएस ट्रस्ट को आगे हस्तांतरण के लिए एसआईपीएफ विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2012 से मुख्य शीर्ष 2071-01-117-01-89 से आहरित किया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक, ₹ 160.83 करोड़ की राशि (₹ 37.33 करोड़ लीगेसी राशि के रूप में, ₹ 123.01 करोड़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के अहस्तांतरित अंशदान और ₹ 0.49 करोड़ एआईएस अधिकारियों के अहस्तांतरित अंशदान) एनएसडीएल में हस्तांतरण के लिए लंबित थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ब्याज देयता थी। इसके अलावा, नियोक्ता के अनुकूल सह-अंशदान भी एनएसडीएल को हस्तांतरण के लिए लंबित था, जो राज्य सरकार की देयता है।

#### 2.4.2.4 अर्थ-सहाय्य

एक कल्याणकारी राज्य में, समाज के वंचित वर्गों को अर्थ-सहाय्य प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के लिए अर्थ-सहाय्य, राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) एवं राजस्व व्यय (रा व्य) के प्रतिशत के रूप में निम्नानुसार हैं:


तालिका 2.24: वर्ष 2016-21 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	अर्थ-सहाय्य	17,208	23,674	21,540	18,990	14,828
2.	अर्थ-सहाय्य राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	15.78 (1,09,026)	18.60 (1,27,307)	15.62 (1,37,873)	13.55 (1,40,114)	11.04 (1,34,308)
3.	अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	13.53 (1,27,140)	16.23 (1,45,842)	12.92 (1,66,773)	10.76 (1,76,485)	8.32 (1,78,309)
4.	अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में	95.00 (18,114)	127.73 (18,535)	74.53 (28,900)	52.21 (36,371)	33.70 (44,001)
5.	सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य	16,842	23,391	21,204	18,644	14,264
6.	विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य के प्रतिशत के रूप में	97.87	98.80	98.44	98.18	96.20

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट 2.13: अर्थ-सहाय्य और राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य



अर्थ-सहाय्य में वर्ष 2017-18 से सापेक्ष रूप से तथा राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर भुगतान (₹ 14,828 करोड़) गत वर्ष (₹ 18,990 करोड़) की तुलना में 21.92 प्रतिशत कम रहा। राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य दर्शाता है कि राजस्व घाटे में अर्थ-सहाय्य का योगदान कितना है। 100 से अधिक प्रतिशतता यह दर्शाती है कि यह केवल वर्ष के दौरान अर्थ-सहाय्य प्रदान करने के कारण है, जिससे राजस्व अधिशेष राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाता है। वर्ष 2016-17 में अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे का 95 प्रतिशत था, वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटे का 33.70 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 52.21 प्रतिशत था।

राजस्थान सरकार के अर्थ-सहाय्य का सबसे बड़ा घटक विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य था जो कुल अर्थ-सहाय्य का 96.20 प्रतिशत (₹ 14,264 करोड़) था। वर्ष 2020-21 के दौरान विद्युत क्षेत्र को विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करने हेतु अनुदान (₹ 12,754.09 करोड़) और विद्युत शुल्क हेतु अनुदान (₹ 1,414.37 करोड़) प्रदान किये गए थे। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किये गए कुल अर्थ-सहाय्य के 96.20 प्रतिशत से 98.80 प्रतिशत के मध्य रही।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य (₹ 14,264.25 करोड़) गत वर्ष (₹ 18,644.02 करोड़) की तुलना में 23.49 प्रतिशत (₹ 4379.77 करोड़) कम हुआ, जो मुख्य रूप से उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को सहायता के रूप में ₹ 9,726.06 करोड़ की कमी के कारण था।

वर्ष 2020-21 में अर्थ-सहाय्य का दूसरा सबसे बड़ा घटक फसल कृषि-कर्म (₹ 292.50 करोड़) था जो वर्ष 2019-20 में ₹ 214.64 करोड़ से 36.27 प्रतिशत बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वाद्य सुरक्षा योजना के तहत अर्थ-सहाय्य वर्ष 2019-20 में ₹ 103.82 करोड़ से 103 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 210.90 करोड़ हो गया।

#### 2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के रूप में ₹ 39,744.68 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 2020-21 के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में गत वर्ष (₹ 41,024.82 करोड़) की तुलना में 3.12 प्रतिशत कमी मुख्यतः अन्य संस्थाओं के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को सहायता में कमी के कारण हुई। इसके अलावा, वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को कुल वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के 20.90 प्रतिशत से 25.87 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2016-21 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान और ऋण के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा को **तालिका 2.25** में दिया गया है।

**तालिका 2.25:** स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	<b>(अ) स्थानीय निकाय</b>					
1.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	3,839.93	3,695.48	3,811.13	3,781.24	5,205.98
2.	पंचायती राज संस्थाएं	14,472.66	18,550.27	14,834.25	15,270.45	14,543.19
	<b>योग (अ )</b>	<b>18,312.59</b>	<b>22,245.75</b>	<b>18,645.38</b>	<b>19,051.69</b>	<b>19,749.17</b>
	<b>(ब) अन्य</b>					
3.	शैक्षिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	1,671.13	1,283.29	1,452.88	1,487.70	1,267.73
4.	विकास अभिकरण	7.61	11.68	13.65	12.41	12.87
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	77.41	918.96	1,241.07	898.43	430.43
6.	अन्य संस्थान	12,823.46	10525.42	13,509.23	19,574.59	18,284.48 <sup>11</sup>
	<b>योग (ब)</b>	<b>14,579.61</b>	<b>12,739.35</b>	<b>16,216.83</b>	<b>21,973.13</b>	<b>19,995.51</b>
	<b>योग (अ+ब)</b>	<b>32,892.20</b>	<b>34,985.10</b>	<b>34,862.21</b>	<b>41,024.82</b>	<b>39,744.68</b>
7.	राजस्व व्यय	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309
8.	राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	25.87	23.99	20.90	23.25	22.29

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान, वित्तीय सहायता मुख्यतः को दी गई

- कृषि ऋण माफी योजना (₹4,517.28 करोड़),
- प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जिला परिषदों को अनुदान (₹2,630.37 करोड़),

11. इसमें मुख्यतः(i) सहकारी संस्थानों: ₹5,248.63 करोड़; (ii) फसल कृषि कर्म: ₹2,748.10 करोड़; (iii) परिवार कल्याण: ₹2,637.67 करोड़; (iv) शिक्षा: ₹2,254.28 करोड़; (v) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत: ₹673.57 करोड़ और (vi) सरकारी कम्पनियां: ₹541.01 करोड़, के लिए दिया जाने वाला अनुदान शामिल है।


- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 2,474.20 करोड़),
- फसल बीमा योजना (₹ 2,337.83 करोड़)
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 2,178.33 करोड़),
- नगर निगमों /नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को चुंगी पुनर्भरण (₹ 2,084.00 करोड़),
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (₹ 1,929.23 करोड़),
- प्राथमिक विद्यालयों हेतु पंचायत समितियों को अनुदान (₹ 1,593.59 करोड़),
- केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को सामान्य मूल अनुदान (₹ 1,448.25 करोड़),
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान (₹ 1,190.90 करोड़) एवं
- विद्यालयों में राष्ट्रीय मिड-डे मील योजना (₹ 873.58 करोड़)।

#### 2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत संपत्तियों के सृजन जैसे सड़कों, भवनों आदि पर होने वाला व्यय है। वर्ष 2016-21 के दौरान समग्र पूंजीगत व्यय तथा इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता को चार्ट 2.14 में इंगित किया गया है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)



कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत अंश वर्ष 2019-20 में 7.61 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान 7.87 प्रतिशत हो गया। यह वर्ष 2016-17 में ₹ 16,980 करोड़ से 2.62 प्रतिशत सीएजीआर की दर से घटकर वर्ष 2020-21 में ₹ 15,271 करोड़ रह गया।

### 2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी को तालिका 2.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि / कमी (-)
1.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	694.92	1,483.67	788.75
2.	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,184.44	3,832.74	648.30
3.	4202- शिक्षा, स्वेच्छा, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	766.07	1,280.49	514.42
4.	4700- मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,584.83	1,878.99	294.16
5.	4210- विकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	483.82	631.85	148.03
6.	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,130.00	403.49	(-) 1,726.51
7.	5054- सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,200.80	3,004.93	(-) 195.87
8.	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	375.04	239.15	(-) 135.89

स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 3.75 प्रतिशत (₹ 552.44 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः शहरी विकास (₹ 788.75 करोड़), जलापूर्ति एवं सफाई (₹ 648.30 करोड़), शिक्षा, स्वेच्छा, कला एवं संस्कृति (₹ 514.42 करोड़) के अंतर्गत थी और यह विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत ₹ 1,726.51 करोड़ की कमी से एक सीमा तक प्रतिसंतुलित हुई।

तालिका 2.27: निवेश पर प्रतिलाभ

क्र. सं.	निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	41,733.94	45,780.60	49,861.39	52,208.91	52,784.40
2.	प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	67.80	66.76	55.80	54.47	2.89
3.	प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.16	0.15	0.11	0.10	0.01
4.	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर <sup>12</sup> (प्रतिशत)	7.61	7.36	7.32	7.12	6.60
5.	ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अंतर (प्रतिशत)	7.45	7.21	7.21	7.02	6.59
6.	सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में) <sup>#</sup>	3,109.18	3,300.78	3,595.01	3,665.07	3478.49

स्रोत: वित्त लेखे।

# वर्ष के अंत तक निवेश का ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच के अंतर से गुणा।

12. सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर = ब्याज अदायगी/[((पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]\*100

## राज्य का वित्त

राज्य सरकार के वित्त लेखे के विवरण संख्या 19 में सरकार के निवेश का विवरण निहित है। विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक 44 सरकारी कम्पनियों (₹ 50,253.97 करोड़), सात सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 11 संयुक्त साँझी कम्पनियों (₹ 1,102.58 करोड़), 22 संयुक्त पूंजी कम्पनियों (₹ 2.16 करोड़), एक साझेदारी निकाय<sup>13</sup> और सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 587.66 करोड़) में कुल सरकारी निवेश ₹ 52,784.40 करोड़ था। पांच विद्युत कम्पनियों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 47,798.55 करोड़ था जो राज्य सरकार के कुल निवेश का 90.55 प्रतिशत था। वर्ष 2016-21 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.01 से 0.16 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने उधारों पर 6.60 से 7.61 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया (तालिका 2.27) जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम है।

**तालिका 2.28: पूर्णतः अपक्षरित निवल संपत्तियों वाली कंपनियों में निवेश**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	अवधि के लेखे प्राप्त (30 सितम्बर 2021 तक)	31 मार्च 2021 को निवल मूल्य	2020-21 के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2021 को संचयी निवेश
1.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	(-)17,424.91	114.92	11,447.43
2.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	(-)21,008.01	148.97	10,636.96
3.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	(-)17,601.80	106.32	10,571.89
	<b>कुल</b>		<b>(-)56,034.72</b>	<b>370.21</b>	<b>32,656.28</b>

वर्ष 2020-21 के अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 15,270.49 करोड़ में से राज्य सरकार ने उन कंपनियों में ₹ 370.21 करोड़ का निवेश किया था जिनकी निवल पूंजी पूरी तरह अपक्षरित हो गयी थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा हानि वाली कंपनियों में निवेश नहीं किया गया।

### राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 2.29, 31 मार्च 2021 को बकाया ऋण एवं अग्रिम और विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ ब्याज अदायगियों को दर्शाती है।

**तालिका 2.29: पांच वर्षों के दौरान संवितरित ऋणों और वसूलियों की मात्रा**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संवितरित ऋणों और वसूलियों की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	<b>39,856</b>	<b>51,108</b>	<b>37,308</b>	<b>23,263</b>	<b>9,848</b>
2.	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	12,965	1,334	1,113	2,255	491
3.	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	1,713	15,134*	15,158*	15,670*	373
4.	बकाया ऋणों का अन्तिम शेष	<b>51,108</b>	<b>37,308</b>	<b>23,263</b>	<b>9,848</b>	<b>9,966</b>
5.	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (संवितरण – भुगतान)	11,252	(-)13,800	(-)14,045	(-)13,415	118
6.	ब्याज प्राप्तियाँ	172	3,020	4,390	2,568	1,253

13. केवल ₹ 20,833

क्र. सं.	संवितरित ऋणों की मात्रा और वसूलियाँ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7.	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	0.38	6.83	14.50	15.51	12.65
8.	सरकार द्वारा बकाया ऋण पर अदा की गई ब्याज दर	7.61	7.36	7.32	7.12	6.60
9.	चुकाए गए ब्याज एवं प्राप्त ब्याज की दर में अंतर (प्रतिशत)	(-) 7.23	(-) 0.53	(+) 7.18	(+) 8.39	(+) 6.05

स्रोत: वित्त लेखे

\* अंश पूंजी, अर्थ-सहाय्य एवं सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित उदय ऋण सहित: 2017-18=₹15,000 करोड़, 2018-19 = ₹15,000 करोड़ एवं 2019-20 = ₹14,722 करोड़।

कुल ऋण और अग्रिम (₹9,966 करोड़) में बिजली परियोजनाओं को दिये गये ₹ 5,516 करोड़ (55.35 प्रतिशत) के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संवितरित ऋण एवं अग्रिम की राशि वर्ष 2019-20 के ₹ 2,255 करोड़ से घटकर वर्ष 2020-21 में ₹ 491 करोड़ (सामाजिक सेवाओं: ₹ 281 करोड़ और आर्थिक सेवाओं: ₹ 210 करोड़) हो गयी।

वर्ष के दौरान, ऋणों का बड़ा भाग राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल निधि (₹150 करोड़), जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (फेज 1-बी) (₹ 127 करोड़), स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (₹ 58 करोड़) और राजस्थान राज्य परिवहन निगम लिमिटेड (₹ 50 करोड़) को दिया गया था।

#### 2.4.3.2 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक निकाय और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है, जो पर्याप्त एवं मात्रात्मक आधारभूत विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए ढांचा प्रदान करती है। पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना (जुलाई 2007) राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। यह राज्य सरकार के पीपीपी के लिए किये गए सभी प्रयासों के समन्वय और अनुरक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में और पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित सभी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जून 2021) के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक ₹ 16,564.42 करोड़ की 185 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं एवं ₹2,611.36 करोड़ की 30 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों से संबंधित ₹ 16,855.78 करोड़ की 38 परियोजनाएँ योजना के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील और भविष्य में ली जाने वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 2.30** में दिया गया है।

तालिका 2.30: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रगतिरत		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	70	8,142.29	5	597.87	10	1,565.04
2.	शहरी आधारभूत संरचना	26	456.74	9	609.97	17	13,071.20
3.	विद्युत	11	7,097.90	9	1,356.92	3	1636.11
4.	जल	1	46.00	-	-	1	365.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	61	607.12	6	40.60	6	217.43
7.	अन्य	15	160.36	1	6.00	1	1.00
	योग	<b>185</b>	<b>16,564.42</b>	<b>30</b>	<b>2,611.36</b>	<b>38</b>	<b>16,855.78</b>

स्रोत: आयोजना विभाग द्वारा प्रदान करायी गई सूचना।

वर्ष 2020-21 के बजट दस्तावेजों की संवीक्षा में प्रकट हुआ है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष पीपीपी परियोजनाओं में किये गये निवेश से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व को बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना सम्भव नहीं था। वर्तमान वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार से जुड़ी पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अनुमानित निवेश का बजट प्रपत्र में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

#### 2.4.4 व्यय की प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाये। किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) कम होती है यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 2.31, वर्ष 2016-17 और 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में राज्य सरकार का कुल व्यय, पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.31: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र.सं.		कुल व्यय /जीएसडीपी	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा/कुल व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण /कुल व्यय
1.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2016-17	17.12	19.77	14.93	5.49
2.	राजरथान 2016-17	20.65	19.06	15.54	5.25

3.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2020-21	16.18	13.03	15.00	6.74
4.	राजस्थान 2020-21	20.26	8.12	18.55	6.50

स्रोत: राजस्थान की जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांस्थिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना एवं वित्त लेखे।

**तालिका 2.31** निम्नानुसार इंगित करती है:

- वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत (16.18 प्रतिशत) की तुलना में राज्य में कुल व्यय का जीएसडीपी से अनुपात (20.26 प्रतिशत) अधिक था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में ऋण एवं अग्रिम सहित पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात (8.12 प्रतिशत) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत (13.03 प्रतिशत) की तुलना में कम था। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2016-17 में राजस्थान का अनुपात (19.06) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत (19.77) की तुलना में केवल मामूली रूप से कम था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में कम था।

#### 2.4.5 कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय

कार्यात्मक शीर्ष व्यय के विशिष्ट प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।



वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल व्यय का 74.97 प्रतिशत वेतन, पेंशन, सहायतार्थ-अनुदान (गैर-संवेतन), ब्याज/लाभांश भुगतान और अर्थ-सहाय्य पर व्यय किया गया, जबकि शेष 25.03 प्रतिशत अन्य उद्देश्यों पर व्यय किया गया।

## 2.5 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं को संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरणों के पश्चात शेष उपलब्ध निधियाँ सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए रहती हैं।

### 2.5.1 लोक लेखा निवल शेष

पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.32 में दिये गये हैं।

तालिका 2.32: 31 मार्च को लोक लेखा में घटक वार निवल शेष\*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	I. अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	3,380	3,201	5,383	3,991	4,857
2.	J. आरक्षित निधियाँ	(अ ) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	93	(-) 243	587	3,094	697
		(ब ) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	566	1,079	(-) 20	1,236	664
		उप-योग	659	836	567	4,330	1,361
3.	K. जमा एवं अग्रिम	(अ ) ब्याज वाली जमा	425	393	436	2,150	3,604
		(ब ) बिना ब्याज वाली जमा	2,815	5,309	3,620	2,875	(-) 733
		(स ) अग्रिम	2	1	-	-	-
		उप-योग	3,242	5,703	4,056	5,025	2,871
4.	L. उचंत एवं विविध	(अ ) उचंत	(-) 89	(-) 7	(-) 30	105	125
		(ब ) अन्य लेखे	(-) 30	(-) 20	(-) 27	(-) 19	(-) 9
		(स ) विदेशी सरकारों के साथ स्थोले गए लेखे	-	-	-	-	-
		(द ) विविध	-	-	-	-	-
		उप-योग	(-) 119	(-) 27	(-) 57	86	116
5.	M. प्रेषण	(अ ) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(-) 3	11	8	4	-
		(ब ) अन्तःसरकार समायोजन लेखा	-	(-) 1	1	(-) 12	12
		उप-योग	(-) 3	10	9	(-) 8	12
		योग	7,159	9,723	9,958	13,424	9,217


स्रोत: वित्त लेखे

\* निवल शेष का अर्थ है वर्ष के दौरान सम्बंधित मद के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरणों का अन्तर।

राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियां वर्ष 2016-21 के दौरान सीएजीआर 6.52 प्रतिशत से बढ़ी और वर्ष 2016-17 में ₹ 7,159 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 9,217 करोड़ हो गई। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान, निवल लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 31.34 प्रतिशत की कमी हुई। पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2016-21 में लोक लेखा में शेषों के संयोजन में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: लोक लेखा शेषों के संयोजन में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

## 2.5.2 आरक्षित निधियां

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखा) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों से प्राप्त अंशादान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। आगे इन निधियों को दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। राज्य की समेकित निधि से संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर ये निधियाँ बनाई जाती हैं। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुर्णभरण किया जाता है।

31 मार्च 2021 को, ₹ 4,528.43 करोड़ की चार ब्याज वाली संचालित निधियों सहित लोक लेखों में राशि ₹ 11,242.76 करोड़<sup>14</sup> की 28 आरक्षित निधियाँ थी।

- **संचालित आरक्षित निधियाँ**

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य की 24 संचालित आरक्षित निधियों में ₹ 6,227.67 करोड़ जमा किये गये थे, जिसमें मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,971.92 करोड़<sup>15</sup>), राज्य सङ्क तथा सेतु निधि (₹ 1,011.46 करोड़), गारंटी मोचन निधि (₹ 537.02 करोड़) और पशुपालन उद्देश्यों के लिए विकास निधि (₹ 599.12 करोड़) शामिल थी।

- **असंचालित आरक्षित निधियाँ**

वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे के अनुसार, चार आरक्षित निधियाँ (₹ 4.23 करोड़) पांच साल से अधिक समय से असंचालित थी। इनमें से, एक निधि<sup>16</sup> (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली, दो निधियाँ<sup>17</sup> (₹ 4.03 करोड़) बिना ब्याज वाली तथा एक निधि<sup>18</sup> बिना शेष की थी।

राज्य सरकार को 31 मार्च 2020 को दो ब्याज वाली निधियों (एक संचालित: ₹ 67.27 करोड़ और एक असंचालित: ₹ 0.20 करोड़) के ₹ 67.47 करोड़ शेष पर ₹ 2.70 करोड़<sup>19</sup> के ब्याज भुगतान की आवश्यकता थी। हालांकि, यह देखा गया कि ब्याज जमा नहीं किया गया था। वित्त विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2021) कि चार असंचालित आरक्षित निधियों को बंद कर दिया गया है।

#### 2.5.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

भारत सरकार ने पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को 1 अप्रैल 2010 से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के साथ बदल दिया। वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियों का कवरेज राष्ट्रीय (एनडीआरएफ) एवं राज्य (एसडीआरएफ) स्तरों पर पहले से मौजूद आपदा मोचन निधि से आगे जाता है। इसलिए, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने आपदा से निपटने के साथ आपदा मोचन के लिए निधि गठित करने की अनुशंसा की, जिसे 1 अप्रैल 2020 से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के नाम से जाना जाता है।

14. इसमें मुख्यतः (अ) ब्याज वाली (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 2,979.44 करोड़, (ii) राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि: ₹ 1,481.72 करोड़ (iii) हास आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल निर्माण कार्य: ₹ 67.27 करोड़ एवं (ब) बिना ब्याज वाली (iv) गारन्टी मोचन निधि: ₹ 5,454.31 करोड़, (v) जल संरक्षण उपकर निधि: ₹ 234.47 करोड़ (vi) राजस्थान परिवहन आधारभूत अवसंरचना विकास निधि: ₹ 310.14 करोड़ (vii) समर्पित सङ्क सुरक्षा निधि: ₹ 298.68 करोड़ (viii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.88 करोड़ तथा (ix) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधि: ₹ 79.25 करोड़ शामिल थे।

15. इसमें एनडीआरएफ के ₹ 853.25 करोड़ शामिल थे।

16. झामर कोटड़ा राक फास्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख।

17. (i) विश्व स्थाय कार्यक्रम की सहायता से सघन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख एवं (ii) राज्य सङ्क सुधार विकास निधि: ₹ 402.08 लाख।

18. कृषक सुधार निधि।

19. कम से कम अनुमान 4.00 प्रतिशत जो मार्गोपाय अग्रिम पर औसत ब्याज दर को प्रदर्शित करती है।

केंद्रीय अंशदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंशदान को लोक लेखे<sup>20</sup> में हस्तान्तरित किया जाना है, अन्यथा विलम्ब अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) निधि को हस्तांतरित किया जाना है।

राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट के लिए लागू दर पर एसडीआरएफ को ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज को छमाही आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में हुई वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलामी वाले कोषालय बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज अर्जन वाली अन्य जमाओं में निवेश किया जाना था।

आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त सूचना की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि:

- (i) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,975 करोड़ (केन्द्रीय अंशदान ₹ 1,481 करोड़, राज्यांश ₹ 494 करोड़) एसडीआरएफ को हस्तांतरित किया। यह देखा गया कि भारत सरकार ने एसडीआरएफ की दूसरी किस्त ₹ 740.50 करोड़ की स्वीकृति (07 जनवरी 2021) दी जिसे राज्य सरकार ने अपने अंशदान (₹ 247 करोड़) के साथ 13 दिनों के विलम्ब से हस्तांतरित किया।
- (ii) 31 मार्च 2021 तक आपदा राहत कार्यों पर ₹ 2,088.71 करोड़ के व्यय के बाद एसडीआरएफ में ₹ 2979.44 करोड़ (एनडीआरएफ में शेष सहित) का निवल शेष था। वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार ने एसडीआरएफ की अप्रयुक्त राशि का किसी भी निर्धारित साधन में निवेश नहीं किया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान अनिवेशित राशि पर ₹ 55.46 करोड़ के ब्याज का भुगतान तथा वर्ष 2020-21 के दौरान अनिवेशित राशि पर अर्द्ध-वार्षिक (अप्रैल-सितम्बर 2020) ब्याज के रूप में ₹88.21 करोड़ का भुगतान किया।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश समिति की बैठक नहीं होने के कारण अव्ययित शेष को किसी भी साधन में निवेश नहीं किया जा सका।

अप्रयुक्त एसडीआरएफ शेष को दिशा-निर्देशों में निर्धारित साधनों में निवेश करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।

20. मुख्य शीर्ष-8121, ब्याज वाली आरक्षित निधि।

तालिका 2.33: एसडीआरएफ पर भारित व्यय का विवरण

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
1.	<b>2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01-सूखा</b>	102- पेयजल आपूर्ति	9.37
		104- चारे की आपूर्ति	12.01
		800- अन्य व्यय	360.67
		उप-योग	<b>382.05</b>
2.	<b>2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि</b>	101-आनुग्रहिक राहत	0.07
		106-खराब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना	117.58
		107-सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	<b>0.13</b>
		111-शोकाकुल परिवारों को अनुग्रह पूर्वक भुगतान	1.60
		113-घर की मरम्मत/ पुनर्निर्माण के लिए सहायता	2.45
		114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	471.90
		117-पशु धन के क्रय हेतु किसानों को सहायता	0.23
		122-खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण संबंधी निर्माण-कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	7.39
		282-जन स्वारथ्य	1,126.41
		उप-योग	<b>1,727.76</b>
		महायोग	<b>2,109.81</b>
3.	<b>2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 80-सामान्य</b>	800-अन्य व्यय (प्रशासनिक व्यय)	7.96
		उप-योग	<b>7.96</b>
		योग	<b>2,117.77</b>
4.	<b>05-राज्य आपदा मोर्चन निधि</b>	101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण राज्य आपदा मोर्चन निधि (एनडीआरएफ निधि सहित)	2,828.25
		901-घटावे-राज्य आपदा मोर्चन निधि से पूरी की गई राशि	(-) 2,109.81*

स्रोत: वित्त लेखे

\* गत वर्ष से सम्बंधित विभिन्न कोषालयों एवं उप-कोषालयों द्वारा जमा किये गए ₹21.10 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 2,117.77 करोड़ का व्यय बजट शीर्ष 'प्राकृतिक आपदा के कारण राहत' पर किया गया था, जिसमें से ₹ 2,109.81 करोड़ सरकार ने एसडीआरएफ (प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) से समायोजित किये।

### 2.5.2.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बॉन्डों एवं अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटी और लाभार्थियों द्वारा भुगतान में चूक से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 1999-2000 में ‘प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि)’ संस्थापित की।

निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाता है जो सरकार द्वारा जारी की गई और संस्थानों जिनकी जिम्मेदारी पर गारंटी जारी की गई थी, द्वारा भुगतान नहीं की गई। यह आदेश 01 अप्रैल 2003 से प्रभावी था।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2007 के अनुसार, निधि में निवेशित निधियों पर अर्जित ब्याज सहित संचित निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किया जावेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबन्धन करता है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के 5 प्रतिशत के इच्छित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना है। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 5,454.32 करोड़ का शेष है जो कि बकाया प्रत्याभूति (₹ 82,612.45 करोड़) का 6.60 प्रतिशत था।


वित्त लेखों के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 को निधि में ₹4,917.30 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 437.34 करोड़ (2019-20 की अवधि से संबंधित ₹ 0.07 करोड़ और 2020-21 की ₹ 437.27 करोड़<sup>21</sup>) की राशि निधि में अन्तरित की गई थी और इस अवधि में कोई गारंटी बाधित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान निधि से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में सरकार से ₹ 99.68 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2021 को, निधि में अंतिम शेष राशि ₹ 5,454.32 करोड़ थी, जिसमें से केवल ₹ 1,933.19 करोड़ 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किये गये थे और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2007 का उल्लंघन कर 31 मार्च 2021 को शेष राशि ₹ 3,521.13 करोड़ निवेशित नहीं थी।

### 2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति की स्थापना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक निधियाँ जुटाने, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों जो सरकार ने अधिनियम या अन्य किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हैं, को प्राप्त किया जाता है।

21. ₹ 740.81 करोड़ की प्राप्त राशि के समक्ष शीर्ष “0075-108” के अन्तर्गत ₹ 439.64 करोड़ प्राप्त हुई।

चार्ट 2.16: 2016-21 के दौरान बकाया ऋण की स्थिति



\* कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

राज्य सरकार का कुल ऋण वर्ष 2016-17 में ₹ 2,55,002 करोड़ से 12.64 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 4,10,500 करोड़<sup>22</sup> हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में 16.39 प्रतिशत बढ़ गया। ये देयतायें वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,308 करोड़) से लगभग तीन गुना तथा राज्य के स्व-संसाधनों (₹ 73,936 करोड़) से लगभग पांच गुना अधिक थीं।

#### 2.6.1 ऋण रूपरेखा: घटक

राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्राय राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधारी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की परिशिष्ट-2.3 में व्याख्या की गई है।

तालिका 2.34 वर्ष 2016-21 की अवधि के लिए घटक-वार कुल ऋण की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 2.34: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	कुल बकाया ऋण		2,55,002*	2,81,182*	3,11,374*	3,52,702*	4,10,500*
2.	लोक ऋण	आतंरिक ऋण	1,84,285	2,00,244	2,19,312	2,42,077	2,84,789
3.		भारत सरकार से ऋण	11,139	12,063	13,927	17,303	23,532
4.	लोक लेखा दायित्व		59,578	68,875	78,135	93,322	1,02,179
5.	कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		21.79	10.27	10.74	13.27	16.39
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)		7,60,587	8,28,661	9,21,789	9,98,999	9,57,912

22. प्रभावी बकाया ऋण ₹4,05,896 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

क्र. सं.		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7.	समग्र ऋण/जीएसडीपी(प्रतिशत)	33.53	33.93	33.78	35.31	42.37 <sup>23</sup>
8.	लोक लेखा प्राप्तियों सहित वर्ष के दौरान कुल ऋण प्राप्तियाँ	2,01,683	1,86,325	2,08,734	2,39,012	2,92,254
9.	लोक लेखा संवितरणों सहित वर्ष के दौरान कुल ऋण पुनर्गतान	1,56,067	1,60,145	178542	1,97,684	2,34,456
10.	कुल उपलब्ध ऋण	45,616	26,180	30,192	41,328	57,798
11.	उपलब्ध ऋण/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	22.62	14.05	14.46	17.29	19.78

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* बकाया उदय ऋण: 2016-17 ₹62,422 करोड़, 2017-18 ₹58,272 करोड़, 2018-19 ₹51,636 करोड़, 2019-20


₹ 44,730 करोड़ तथा 2020-21 ₹37,825 करोड़ सहित।

प्रभावी बकाया कुल ऋण ₹ 4,05,896 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में कुल ऋण में ₹ 57,798 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः लोक ऋण (₹ 48,941 करोड़) तथा लोक लेखा दायित्व (₹ 8,857 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

कुल ऋण- जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 में 35.31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 42.37 प्रतिशत<sup>23</sup> हो गया। राज्य एफआरबीएम के अन्तर्गत निर्धारित 38.20 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।


चार्ट 2.17: वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋणों का विभाजन



\* प्रभावी बकाया कुल ऋण ₹ 4,05,896 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

23. वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 42.85 प्रतिशत है। यद्यपि, ऋण का जीएसडीपी से प्रभावी अनुपात कुल बकाया ऋण से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है।


चार्ट 2.18: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियाँ\*



\* निवल आंकड़े अर्थात् वर्ष के दौरान सम्बंधित घटकों के अंतर्गत प्राप्तियों और संवितरणों का अन्तर।

चार्ट 2.19: लिया गया आन्तरिक ऋण एवं उसके सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



#### राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके वित्तपोषण का स्वरूप

तालिका 2.35, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे के घटक और उनके मद वार वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	2016-17 <sup>#</sup>	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>(अ) राजकोषीय घाटे की संरचना</b>					
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	18,114	18,535	28,900	36,371
2	निवल पूँजीगत व्यय	16,952	20,607	19,618	14,698
3	निवल ऋण एवं अग्रिम*	11,252 <sup>®</sup>	(-) 13,800	(-) 14,045	(-) 13,415
	योग (अ )	46,318	25,342	34,473	37,654
<b>(ब) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का ढांचा</b>					
1	बाजार से उधार	14,325	20,927	26,822	31,592
2	भारत सरकार से कर्ज	2,881	924	1,864	3,375
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 1,536	(-) 1,536	(-) 1,560	(-) 1,585
4	मार्गोपाय	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्जे	23,204	(-) 3,432	(-) 6,194	(-) 7,241
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,380	3,201	5,383	3,991
7	जमा तथा अग्रिम	3,242	5,703	4,056	5,025
8	उच्चत एवं विविध	(-) 119	(-) 27	(-) 57	86
9	प्रेषण	(-) 3	10	09	(-) 8
10	आरक्षित निधियाँ	659	836	567	4,330
					1,361

		2016-17#	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	योग (ब )	46,033	26,606	30,890	39,565	58,159
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (अ-ब)	285	(-) 1,264	3,583	(-) 1,911	1,217
12	समग्र राजकोषीय घाटा (ब+11)	46,318	25,342	34,473	37,654	59,376

स्रोत: वित्त लेखे।

# उदय के प्रभाव सहित स्थिति।


@ वर्ष 2016-17 में दिये गये उदय ऋण (₹ 22,372 करोड़) सहित।

\* निवल ऋण एवं अग्रिम का अर्थ है, वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण- ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ।

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधार आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरा करने की सीमा राजकोषीय घाटे की संरचना से प्रकट होती है।

बाजार से लिए गए उधारों से निरन्तर राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग को वित्तपोषित किया जाता रहा है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इनका अंश वर्ष 2019-20 में 84 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 86 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 59,376 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यतः बाजार से उधार (₹ 51,179 करोड़) से की गई।

चार्ट 2.20: वाटर फ्लो चार्ट के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की अभिव्यक्ति



तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से उधार	57,359	6,180	51,179
2	भारत सरकार से ऋण	7,136	907	6,229
3	एनएसएसएफ को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ	-	1,584	(-) 1,584
4	भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	23,484	23,484	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्ज़	1,986	8,868	(-) 6,882
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	13,705	8,848	4,857
7	जमा और अग्रिम	1,80,656	1,77,785	2,871
8	उचंत और विविध	107	(-) 9	116
9	प्रेषण	7,750	7,738	12
10	आरक्षित निधि	6,227	4,866	1,361
<b>11</b>	<b>सकल घाटा</b>	<b>2,98,410</b>	<b>2,40,251</b>	<b>58,159</b>
12	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/ कमी	-	-	1,217
<b>13</b>	<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,376</b>

**2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान**

31 मार्च 2021 को राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के संबंध में देय राशि) को तालिका 2.37 और चार्ट 2.21 में दर्शाया गया है:


तालिका 2.37: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के सम्बन्ध में)
1.	0 – 1	16,393.92	5.32
2.	1 – 3	46,548.74	15.10
3.	3 – 5	61,950.64	20.09
4.	5 – 7	48,502.05	15.73
5.	7 एवं अधिक	1,10,662.82	35.89
6.	अन्य <sup>24</sup>	24,262.76	7.87
	योग	<b>3,08,320.93</b>	<b>100.00</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

24. इस राशि का भुगतान विवरण महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) द्वारा संधारित नहीं किया जा रहा है।

चार्ट 2.21: ऋण परिपक्वता रूपरेखा



31 मार्च 2021 को लोक ऋण के बकाया की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि बकाया लोक ऋण ₹ 3,08,320.93 करोड़ में से 56.24 प्रतिशत (₹ 1,73,395.35 करोड़) आगामी सात वर्षों में देय है, 35.89 प्रतिशत (₹ 1,10,662.82 करोड़) सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता अनुसूची में है जबकि शेष राशि (₹ 24,262.76 करोड़) की पुनर्भुगतान अवधि उपलब्ध नहीं है।

### बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

राज्य सरकार का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होता है। राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा राजकोषीय देयताओं की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध (जुलाई 2021) करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2055-56 तक बकाया बाजार ऋणों और इन ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची तालिका 2.38 और चार्ट 2.22 में नीचे दर्शायी गई है।


तालिका 2.38: बाजार ऋणों और बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (₹ करोड़ में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (ब्याज) (₹ करोड़ में)
1.	0 – 1	6,000.00	16,665.90
2.	1 – 3	26,041.10	31,126.90
3.	3 – 5	42,850.00	26,126.33
4.	5 – 7	42,317.78	19,454.43
5.	7 – 10	87,329.04	14,297.26
6.	10 से अधिक	15,500.00	11,220.62
	योग	<b>2,20,037.92</b>	<b>1,18,891.44</b>

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

चार्ट 2.22: बाजार ऋणों और बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

(₹ करोड़ में)



राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2023-24 तक ₹ 32,041.10 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान और ₹ 47,792.80 करोड़ ब्याज का भुगतान करना होगा। आगामी दो वर्षों 2025-26 तक मूलधन ₹ 42,850.00 करोड़ और ब्याज ₹ 26,126.33 करोड़ देय होगा। अगले पांच वर्षों के दौरान वर्ष 2025-26 तक मूलधन और ब्याज का वार्षिक पुनर्भुगतान लगभग ₹ 29,762 करोड़ होगा।

वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि में ₹ 1,29,646.82 करोड़ का ऋण और ₹ 33,751.69 करोड़ का ब्याज देय होगा। इसी प्रकार, राज्य को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 32,680 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

पिछले पांच वर्षों में बढ़ता ऋण-जीएसडीपी अनुपात, बढ़ता प्रतिबद्ध व्यय तथा सतत् राजस्व घाटा राज्य सरकार को ऋण के जाल में फँसने से बचने के लिए एक सुविचारित ऋण अदायगी की रणनीति पर काम करने को बाध्य करते हैं।

## 2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)

### ऋण धारणीयता

ऋण को धारणीय माना जाता है यदि उधारकर्ता, इस मामले में राज्य, अपने ऋण को वर्तमान और भविष्य में अदा करने का सामर्थ्य रखता हो। ऋण धारणीयता संकेतकों के अनुसार, उधारकर्ताओं की ऋण साख और तरलता की स्थिति का आंकलन उनकी ऋण चुकाने की क्षमता और राजस्व के चालू और नियमित स्रोतों की जांच करके किया जाता है।

यह भाग ऋण-जीएसडीपी अनुपात, ब्याज भुगतान के भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान के अनुपात से मापा जाता है) तथा राज्य सरकार के ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा के सन्दर्भ में राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का आकलन करता है।

वर्ष 2016-17 से पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण प्रासंगिक सूचकों के अनुसार तालिका 2.39 में किया गया है।

**तालिका 2.39:** ऋण धारणीयता सूचकों की प्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	कुल ऋण (₹ करोड़ में)	2,55,102	2,81,182	3,11,374	3,52,702	4,10,500 <sup>s</sup>
2.	बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	1,95,424	2,12,307	2,33,239	2,59,380	3,08,321 <sup>s</sup>
3.	बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.83	8.64	9.86	11.21	18.87
4.	जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	7,60,587	8,28,661	9,21,789 <sup>25</sup>	9,98,999 <sup>26</sup>	9,57,912 <sup>27</sup>
5.	जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.61	8.95	11.24	8.38	(-) 4.11
6.	लोक ऋण/जीएसडीपी	0.26	0.26	0.25	0.26	0.32 <sup>28</sup>
7.	कुल ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	33.53	33.93	33.78	35.31	42.37 <sup>28</sup>
8.	राज्य ऋण के पुनर्भुगतान का ऋण परिपक्वता विवरण-पूर्व की चूक सहित, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)	4,386	11,000	16,096	17,702	16,556
9.	लोक ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	43,889	28,557	37,847	46,173	89,964
10.	लोक ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)	5,015	11,674	16,915	20,032	41,023
11.	बकाया लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	14,439	16,214	17,804	19,236	20,720
12.	बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.20	7.95	7.99	7.81	7.30
13.	ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	13.24	12.74	12.91	13.73	15.43
14.	लोक ऋण पुनर्भुगतान का लोक ऋण प्राप्ति से प्रतिशत	11.43	40.88	44.69	43.38	45.60
15.	राज्य के पास उपलब्ध निवल लोक ऋण <sup>#</sup> (₹ करोड़ में)	24,435	669	3,128	6,905	28,221
16.	लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लोक ऋण उपलब्धता	55.67	2.34	8.26	14.95	31.37

स्रोत: वित्त लेखे


<sup>s</sup> प्रभावी ऋण ₹ 4,05,896 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

\*बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आतंरिक ऋण एवं 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेषों का योग है।

<sup>#</sup> राज्य सरकार के पास उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर अदा किये गये ब्याज के बाद लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

- 
25. संशोधित अनुमान -II
  26. संशोधित अनुमान -I
  27. अग्रिम अनुमान
  28. कुल बकाया देनदारियाँ, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

चार्ट 2.23: ऋण धारणीयता सूचकों की प्रवृत्तियाँ



\* कुल बकाया देनदारियाँ, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

तालिका 2.39 में दर्शाये अनुसार विभिन्न ऋण धारणीयता संकेतकों के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

- ऋण- जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 के 35.31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 42.37 प्रतिशत<sup>29</sup> हो गया।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण पर व्याज भुगतान का भार वर्ष 2019-20 के 13.73 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 15.43 प्रतिशत हो गया।
- लोक ऋण अदायगी से लोक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता वर्ष 2019-20 में 43.38 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़कर 45.60 प्रतिशत हो गयी।

#### उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को लोक ऋण मोचन (मूलधन+व्याज अदायगी) के लोक ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ये पुराने ऋण के मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

व्याज एवं मूलधन अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात् वर्तमान परिचालनों हेतु उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2016-17 में ₹ 24,435 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 28,221 करोड़ हो गया। यद्यपि, लोक

29. वित्त लेसों के अनुसार ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 42.85 प्रतिशत है। तथापि, ऋण का जीएसडीपी से प्रभावी अनुपात कुल बकाया ऋण से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है।

ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल लोक ऋण वर्ष 2016-17 में 55.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 31.37 प्रतिशत रह गया, जिसका अर्थ है कि ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा भाग पुराने लोक ऋण के मोचन के लिए उपयोग किया जा रहा है, परिणामस्वरूप ऋण की स्थिति बिगड़ी है।

### 2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों हेतु किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना धारणीय नहीं है।


तालिका 2.40: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल उधार	1	2,01,683	1,86,325	2,08,734	2,39,012	2,92,554
2.	पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशत)	2	1,56,067 (77.38)	1,60,144 (85.95)	1,78,542 (85.54)	1,97,684 (82.71)	2,34,456 (80.14)
3.	निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशत)	3	16,952 (8.41)	20,607 (11.06)	19,618 (9.40)	14,698 (6.15)	15,257 (5.22)
4.	निवल ऋण और अग्रिम	4	11,252	(-)13,800	(-) 14,045	(-) 13,415	118
5.	निवल उपलब्ध उधारों से राजस्व व्यय के अंश की पूर्ति (प्रतिशत)	5=1- 2-3-4	17,412 (8.63)	19,374 (10.40)	24,619 (11.79)	40,045 (16.75)	42,723 (14.60)

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट 2.24: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ



वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 42,723 करोड़ के उधार का उपयोग किया गया। कुल ऋण से ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत वर्ष 2016-17 में 77.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष

2020-21 में 80.1 प्रतिशत हो गया। हालांकि, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में इसमें 2.6 प्रतिशतता बिन्दुओं की कमी हुई है।

### 2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

प्रत्याभूतियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा डिफॉल्ट के प्रकरण में देय है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ, उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वित्त लेखे 2020-21 के विवरण 9 के अनुसार, गत पाँच वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूति की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका 2.41 में दी गई है।

तालिका 2.41: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रत्याभूतियाँ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	ब्याज सहित अधिकतम प्रत्याभूति की राशि	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676	1,56,822
2.	ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	51,119	61,761	70,430	80,631	82,612
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का प्रतिशत	108.38	88.02	95.03	103.26	116.76
4.	समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ	1,67,405	1,77,390	2,08,306	2,24,905	2,19,467
5.	अनुमानित प्राप्तियों के संबंध में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	30.54	34.82	33.81	35.85	37.64

स्रोत : वित्त लेखे और बजट दस्तावेज़।

बकाया प्रत्याभूतियाँ, वर्ष 2019-20 में ₹ 80,631 करोड़ से 2.46 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 82,612 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,308 करोड़) का 61.51 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 69,556 करोड़), शहरी विकास और आवास क्षेत्र (₹ 4,408 करोड़), एक सड़क परिवहन निगम (₹ 2,945 करोड़) और छ: सहकारी संस्थाओं (₹ 2,791 करोड़) से सम्बंधित थी। विद्युत कम्पनियों को प्रत्याभूतियाँ, कर्ज/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान हेतु बॉन्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने एवं निर्दिष्ट दरों पर ब्याज चुकाने के लिए दी गई थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (37.64 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर था।

### 2.7.3 रोकड़ शेषों का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, 01-03-1999 से राज्य सरकार को समस्त दिवसों में न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2.34 करोड़ बनाये रखना होगा। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर साधारण और विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को ठीक किया जाता है।

दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के प्रयोजन के लिए आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों के साथ-साथ दिन के लिए सूचित किए गए लेनदेनों (आरबीआई काउंटर, अंतर-सरकारी लेनदेन और एजेंसी बैंक द्वारा सूचित किये गए कोषालय लेन-देनों) का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष में, 14 दिनों की परिपक्वता के कोषालय बिलों, यदि कोई है, को जोड़ा जाता है और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषालय बिलों में पुनः निवेशित किया जाता है। यदि निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ शेष या जमा शेष से कम प्राप्त होता है और उस दिन कोई 14 दिनों के कोषालय बिलों की परिपक्वता नहीं है, तो आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन 14 दिनों के कोषालय बिल नहीं है, तो राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिम/विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

राज्य सरकार के लिए 01.04.2020 से मार्गोपाय अग्रिम की सामान्य सीमा ₹ 2,119 करोड़ थी। यह 17.04.2020 से ₹ 2,608 करोड़ तक बढ़ाई गई एवं 31 मार्च 2021 तक यही रही। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी देता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2020 को ₹ 1,752.87 करोड़ और 31 मार्च 2021 को ₹ 1,977.34 करोड़ थी।

सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई में न्यूनतम नकद शेष राशि का किस सीमा तक संधारण किया यह नीचे बताया गया है:

(i) **विशेष मार्गोपाय अग्रिम:** 1 अप्रैल 2020 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 31 बार 99 दिनों के लिए ₹ 16,071.08 करोड़ विशेष मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए और ₹ 11.03 करोड़ ब्याज चुकाया। वर्ष 2020-21 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) **साधारण मार्गोपाय अग्रिम:** 1 अप्रैल 2020 को साधारण मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 19 बार 34 दिनों के लिए ₹ 7,412.49 करोड़ साधारण मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए और ₹ 2.82 करोड़ ब्याज चुकाया। इन 34 दिनों में राज्य सरकार ने विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी लिया। वर्ष 2020-21 के अंत में शेष शून्य था।

(iii) **रोकड़ शेष:** 31 मार्च 2021 को राज्य का सामान्य रोकड़ शेष, 'रोकड़ शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 4,440.13 करोड़), 'चिन्हित निधियों में निवेश' (₹ 2,103.74 करोड़) और अन्य रोकड़ शेष (₹ 3.61 करोड़) के अलावा, ₹ (-) 59.97 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

अ. कोषालयों में नकद (मुख्य शीर्ष 8999-101) = ₹ 0.05 करोड़

ब. आरबीआई में जमा (मुख्य शीर्ष 8999-102) = ₹ 20.99 करोड़

स. स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण (मुख्य शीर्ष 8999-104) = ₹ (-) 81.01 करोड़

‘आरबीआई के पास जमा’ मार्च 2021 के लेखों के बंद होने के बाद 31 मार्च 2021 को रिज़र्व बैंक जमा (राज्य) के संबंध में मासिक नकद शेष को दर्शाता है। वित्त लेखे (₹ 20.99 करोड़ (नामे)) के आंकड़ों और आरबीआई द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों (₹ 18.92 करोड़ (जमा)) के बीच ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का अंतर था। इसमें से राशि ₹ 1.96 करोड़ (जमा) का मिलान एवं निपटान कर लिया गया है। ₹ 0.11 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी शेष है और इसके मिलान की आवश्यकता है।

तालिका 2.42: रोकड़ शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं .		1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
	<b>अ. सामान्य रोकड़ शेष</b>		
1.	कोषालयों में रोकड़	0.05	0.05
2.	रिजर्व बैंक के पास जमा	49.03	20.99
3.	मार्गस्थ प्रेषण- स्थानीय	(-) 26.96	(-) 81.01
	योग	<b>22.12</b>	<b>(-) 59.97</b>
4.	रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	<b>5,807.73</b>	<b>4,440.13</b>
	योग (अ)	<b>5,829.85</b>	<b>4,380.16</b>
	<b>ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश</b>		
5.	विभागीय अधिकारियों अर्थात् सार्वजनिक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	0.85	0.77
6.	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	2.84	2.84
7.	चिन्हित निधियों में निवेश	1,870.87	2,103.74
	योग (ब)	<b>1,874.56</b>	<b>2,107.35</b>
	योग (अ + ब)	<b>7,704.41</b>	<b>6,487.51</b>
	प्राप्त व्याज	<b>77.12</b>	<b>23.38</b>

स्रोत : वित्त लेखे।

तालिका 2.43: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी (-)	अर्जित व्याज
1.	2016-17	5,915.95	5,585.10	(-) 330.85	460.86
2.	2017-18	5,585.10	6,401.72	816.62	365.84
3.	2018-19	6,401.72	2,154.46	(-) 4,247.26	281.20
4.	2019-20	2,154.46	5,807.73	3,653.27	77.12
5.	2020-21	5,807.73	4,440.13	(-) 1,367.60	23.38

स्रोत : वित्त लेखे।

राज्य सरकार के अधिशेष रोकड़ शेष 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत व्याज दर से 14 दिन के कोषालय बिलों में स्वतः निवेशित हो जाते हैं और आंशिक रूप से 91, 181 और 364 दिवसीय आरबीआई के नीलामी वाले

कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2020-21 के अंत तक ₹ 4,440.13 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 23.38 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। इसके अलावा, ₹ 2,103.74 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

चार्ट 2.25: बाजार ऋण के साथ-साथ रोकड़ शेष



चार्ट 2.26: वर्ष के दौरान रोकड़ शेष और निवल रोकड़ शेष निवेश का माहवार संचलन

(₹ करोड़ में)



## 2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

घाटे के संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के आंकलन के लिए प्रमुख मानदंड हैं।

### प्रमुख मानदंड

सकारात्मक संकेतक	ध्यान में रखे जाने योग्य मानदंड
कम होता अर्थ-सहाय्य व्यय	जीएसडीपी से कुल ऋण के अनुपात में वृद्धि
	राजस्व/राजकोषीय/प्राथमिक घाटे में वृद्धि
	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि
	कंपनियों में निवेश जिनकी निवल पूँजी पूरी तरह क्षय हो गई है

राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए उपरोक्त दर्शाए गए विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले संकेतकों पर राज्य सरकार द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता है।




#### प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य सरकार की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा और बजट तैयार करने की पारदर्शिता एवं इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि निधियों के अपव्यय या विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लिये गये नीतिगत निर्णय सफलता पूर्वक लागू किये जायें।

#### 3.1 बजट प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया का अर्थ है, सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए रोडमैप तैयार करना। बजट शब्दावली **परिशिष्ट 3.1** में दी गयी है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वित्त विभाग द्वारा सभी प्राप्तियों एवं व्यय जो वर्ष के दौरान प्राप्त या व्यय होना अनुमानित है, का विवरण तैयार करना आवश्यक है। इस विवरण को संविधान के अनुच्छेद 202 में निर्दिष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट के रूप में लोकप्रिय) के रूप में जाना जाता है। बजट प्रक्रिया में वित्त विभाग द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियाँ:

**चार्ट 3.1: बजट प्रक्रिया**



बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी होने के साथ शुरू होती है, जो विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन करता है। राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चार्ट में दी गई है:

चार्ट 3.2: बजट तैयार करने की प्रक्रिया




सीएसएस: केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें; सीएस: केन्द्रीय योजनायें।

जैसे ही संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रियानुसार विस्तृत अनुमान एवं अनुदान विधानसभा द्वारा अंतिम रूप से पारित होते हैं, वित्त विभाग सभी विभागों के प्रमुखों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके उपयोग के लिए उपलब्ध आवंटन लिखित रूप में सूचित करता है। अनुदानों को सूचित करने वाले पत्रों की प्रतियाँ सम्बंधित प्रशासनिक विभागों तथा महालेखाकार को भेजी जाती हैं। वित्त विभाग बजट दस्तावेज की प्रतियाँ महालेखाकार को भी भेजता है। इस प्रकार की सभी सूचनाएं एवं

बजट के आंकड़े वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंध तन्त्र (आईएफएमएस) पर अपलोड किये जाते हैं और उसकी एक्सेस संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध रहती है।

वित्त विभाग, वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदान एवं पुनर्विनियोजन के अनुरोधों की समीक्षा भी करता है। अनुपूरक अनुदान के अलावा पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अंतर्गत निधियों को पुनः आवंटित करने के लिए भी किया जा सकता है। पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई की बचत का अनुदान या प्रभारित विनियोजन के एक ही संबंध (राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित) के अंतर्गत किसी अन्य इकाई के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए हस्तांतरण है। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत नीचे दर्शायी गई हैं:

चार्ट 3.3: मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत की स्थिति



राज्य बजट नियमावली (राबनि) यह निर्धारित करती है कि व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य है। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध करायी गई राशि वह राशि होनी चाहिए जो वर्ष में व्यय की जा सकती है और यह ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम।

बजट प्रक्रिया/दस्तावेज नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित बाह्य लेखापरीक्षा के अधीन है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि (i) राजस्व प्राप्ति और व्यय के औचित्य के लिए हर संभव

प्रयास किये गये (ii) सरकार द्वारा सेवाएं ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रदान की गई है और (iii) पूरे बजट चक्र के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

### 3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिक्यों का सारांश

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य का सारांश **तालिका 3.1** में दिया गया है।

**तालिका 3.1:** वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2,01,513.47	66,799.47	1,74,822.52	66,438.60	26,690.95	360.87

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बचतें मुख्यतया बजट प्रावधान के दत्तमत भाग से संबंधित हैं।

### 3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया जाता है। प्रभारित व्यय राज्य के राजस्व पर प्रभारित वह व्यय है जो संविधान के तहत विधानसभा के मत के अधीन नहीं है। दत्तमत व्यय विधानसभा के मत के अधीन है। संविधान का अनुच्छेद 202 (3) उन व्ययों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें राज्य की समेकित निधि पर भारित किया जा सकता है।

गत पाँच वर्षों (2016-21) के दौरान कुल संवितरणों के प्रभारित एवं दत्तमत में वर्गीकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

**तालिका 3.2:** वर्ष 2016-21 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण एवं बचतें/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संवितरण		बचत	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1.	2016-17	1,43,262.70	22,913.17	17,297.87	90.45
2.	2017-18	1,52,446.45	31,640.86	15,882.96	107.23
3.	2018-19	1,70,938.53	38,837.74	19,224.26	77.79
4.	2019-20	1,74,658.95	43,879.83	24,176.34	181.67
5.	2020-21	1,74,822.52	66,438.60	26,690.95	360.87

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

प्रभारित संवितरण वर्ष 2016-17 में ₹ 22,913.17 करोड़ से 190 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 66,438.60 करोड़ हो गये। दत्तमत संवितरण 2016-17 में ₹ 1,43,262.70 करोड़ से 22.03 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,74,822.52 करोड़ हो गये और वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष दत्तमत भाग के अंतर्गत बचत ₹ 15,000 करोड़ से अधिक रही।

### 3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा किये गए व्यय के लेखे हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में उल्लेखित अनुसूचियों में निर्दिष्ट दत्तमत अनुदानों और विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रभारित विनियोगों की तुलना करते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर तैयार होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के प्रभारित एवं दत्तमत व्यय दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे इस प्रकार धन के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजट प्रावधानों के अनुश्रवण की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए, वित्त लेखों के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह पता लगाने के लिए विनियोजन की लेखापरीक्षा करते हैं कि क्या वास्तव में बजट में निहित विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकारों के भीतर है और क्या प्रभारित विनियोग संविधान के प्रावधानों की आवश्यकतानुसार प्रभारित किए गए हैं। यह भी पता लगाना आवश्यक है कि क्या ऐसा व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

### 3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर टिप्पणियाँ

#### 3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

राज्य बजट नियमावली (राबनि) का अनुच्छेद 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रयोजन के लिए उपलब्ध करायी गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय के लिए वर्ष के दौरान आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो विधानसभा द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य विधानसभा ने 38 अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 36,253.96 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (फरवरी 2021) का अनुमोदन किया। प्रत्येक मामले में ₹ 2.5 करोड़ या उससे अधिक के 10 मामलों में कुल ₹ 2,672.85 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया जिन्हें तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	मूल प्रावधान से बचत
<b>अनावश्यक अनुपूरक</b>					
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1.	7-निर्वाचन	279.72	37.96	275.65	4.07
2.	17-कारागार	199.35	2.69	193.37	5.98

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	मूल प्रावधान से बचत
3.	29-शहरी योजना और क्षेत्रीय विकास	5,336.72	1,088.69	5,047.40	289.32
4.	30-जनजाति क्षेत्र विकास	13,948.89	442.05	13,173.56	775.33
5.	38-लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	130.28	2.63	129.50	0.78
6.	41-सामुदायिक विकास	5,656.08	946.63	4,432.20	1,223.88
	योग	<b>25,551.04</b>	<b>2,520.65</b>	<b>23,251.68</b>	<b>2,299.36</b>
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
7.	16-पुलिस	138.76	21.41	120.38	18.38
8.	23-श्रम एवं रोजगार	15.81	10.19	6.28	9.53
9.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	1,001.94	112.27	916.28	85.66
10.	37-कृषि	197.06	8.33	181.55	15.51
	योग	<b>1,353.57</b>	<b>1,52.20</b>	<b>1,224.49</b>	<b>129.08</b>
	महायोग		<b>2,672.85</b>		

स्रोत: विनियोग लेखे

उपरोक्त सभी प्रकरणों में, यह पाया गया कि अनुदान के लिये अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था। यह इंगित करता है कि राज्य बजट नियमावली के प्रावधान के विपरीत मूल प्रावधान की पर्याप्तता का उचित आंकलन किये बिना अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये गये।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी राज्य बजट नियमावली के अध्याय 24 के अंतर्गत परिकल्पित अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन किए बिना अनुपूरक प्रावधानों की मांग बजटीय नियंत्रण और अपर्याप्त मूल्यांकन की कमी को दर्शाता है। विभागों को भविष्य में इस तरह के मामलों से बचने के लिए धन की आवश्यकता का उचित आंकलन करने और अनुपूरक प्रावधानों के आधार की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

### 3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई, जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, को निधियों का हस्तांतरण है। राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य है, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या इसमें बचत निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक ₹ 11,701.85 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए।

कई मामलों में, पुनर्विनियोजन अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक सिद्ध हुये जिसके परिणामस्वरूप भारी बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 19 लेखा शीर्षों में ₹ 1 एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचत/आधिक्य रहे (**परिशिष्ट 3.2**)। तेरह लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, एक लेखा शीर्ष में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं पांच लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप 130 उप-शीर्षों में ₹ 382.23 करोड़ अधिक व्यय हुआ एवं 412 उप-शीर्षों में ₹ 290.53 करोड़ की अंतिम बचत रही। राज्य सरकार ने इन पुनर्विनियोजनों के लिए कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया (मार्च 2021)।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को दर्शाते हैं कि बजट को नियंत्रित करने वाले नियंत्रक अधिकारी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आंकलन करने में विफल रहे और उनके पास पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना नहीं थी।

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग द्वारा आधिक्य या बचतों के पूर्वानुमानों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2021) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि 1,734 पुनर्विनियोजन आदेशों में से मात्र 802 प्रकरणों (46.3 प्रतिशत) में कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया। शेष 932 प्रकरणों में स्पष्टीकरण अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट प्रकृति के जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' पाये गये।

### 3.3.3 अव्यायित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.7 प्रावधित करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान हुए वास्तविक व्यय और चालू वित्त वर्ष के लिए किये गए संशोधित अनुमान को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले आंकड़ों का उपयोग व्यय में वृद्धि या कमी की किसी भी उल्लेखनीय प्रवृत्ति, पिछले वर्षों के दौरान कोई असाधारण विशेषता, व्यय के आवागमन में कोई विशेष नियमितता और व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकने वाली किसी विशेष घटना की संभावना, की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान, बजट आवंटन से पर्याप्त बचत के प्रकरण पाये गये, जिससे बजट प्रक्रिया और बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 27,051.82 करोड़ (10.08 प्रतिशत) की कुल बचतों में से 28 अनुदानों जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत रही जिनमें संयुक्त रूप से कुल राशि ₹ 25,855.69 करोड़ (कुल बचत का 95.58 प्रतिशत) की बचतें रही, जिनको परिशिष्ट 3.3 में दर्शाया गया है। आठ अनुदानों के राजस्व एवं पूंजीगत दोनों भागों में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी।

विभागों द्वारा पर्याप्त बचत के मुख्य कारण भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां जारी नहीं करना/कम जारी करना और कार्यों का नहीं होना/कम होना बताये गये। अन्य कारण थे:

- कार्य की धीमी प्रगति,
- भारत सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होना,
- पदों का रिक्त रहना,
- वेतन और भत्तों पर कम व्यय,
- भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना,


- कुछ जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होना,
- महंगाई भर्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होना,
- कुछ योजनाओं का स्थगित होना,
- सम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी नहीं होना,
- योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना,
- राहत कार्यों पर कम व्यय होना,
- अर्थ-सहाय्य का कम जारी होना,
- राज्य सरकार द्वारा टैरिफ अर्थ-सहाय्य में कटौती,
- बजट सीमा में कटौती, आदि।

यह उल्लेख करना समीचीन है कि वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ 2,24,659.49 करोड़) बजट अनुमान (₹ 2,19,467.48 करोड़) की तुलना में ₹ 5,192.01 करोड़ अधिक तथा संशोधित अनुमानों (₹ 2,39,652.87 करोड़) की तुलना में ₹ 14,993.38 करोड़ कम रही।

यह इंगित करता है कि इन विभागों और इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के दौरान व्यय के अनुमानों से संबंधित राज्य बजट नियमावली के अध्याय 13 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27,051.82 करोड़ की भारी बचत हुई।

प्रत्येक समूह में ₹ करोड़ में कुल बचत के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर अनुदान/विनियोगों की संख्या का वर्गीकरण नीचे चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: कुल बचत के साथ अनुदान/विनियोग की संख्या



वर्ष 2020-21 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले पूँजीगत-दत्तमत भाग में आठ अनुदानों और राजस्व-दत्तमत भाग में एक अनुदान में से दो अनुदानों में सभी पांच वर्षों में कम उपयोग के साथ पांच अनुदानों में गत चार से पांच वर्षों में बजट का कम उपयोग हुआ, जो कि प्रणालीगत मामलों में सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा गहन समीक्षा की आवश्यकता की ओर इंगित करते हैं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान 13 अनुदानों, जिनमें उपयोग 50 प्रतिशत से कम है, में बजट आवंटन के उपयोग को तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	अनुदान	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्षों की संख्या*	बजट 2020-21	कुल बजट (5 वर्ष)
	पूंजीगत दत्तमत								
1.	11-विविध सामाजिक सेवाएं	25%	36%	41%	35%	25%	5	4.15	118.73
2.	12-अन्य कर	33%	7%	90%	54%	16%	3	31.00	762.24
3.	19-लोक निर्माण कार्य	44%	59%	55%	52%	45%	2	1,033.73	6,099.78
4.	23-श्रम और रोजगार	50%	47%	60%	1%	24%	4	26.00	186.14
5.	26-विकित्सा और लोक स्वास्थ्य और सफाई	49%	58%	71%	69%	70%	1	217.79	1,483.22
6.	32-नागरिक आपूर्ति	7%	23%	15%	1%	20%	5	4.25	20.42
7.	37-कृषि	39%	82%	44%	48%	88%	3	205.39	1,813.49
8.	38-लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	18%	91%	35%	99%	23%	3	1.75	5.97
9.	41-सामुदायिक विकास	85%	63%	32%	16%	100%	2	2.40	87.46
10.	42-उद्योग	67%	17%	5%	20%	48%	4	54.87	625.19
11.	43-स्वनिज	6%	18%	58%	92%	35%	3	206.53	1,105.78
12.	47-पर्यटन	43%	40%	61%	18%	79%	3	31.18	239.19
	राजस्व दत्तमत								
13.	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	19%	56%	40%	32%	46%	4	0.15	1.50

\* 50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

इन क्षेत्रों में कम उपयोग और कम उपयोग की पुनरावृत्ति के उदाहरण इन क्षेत्रों पर कम जोर देने के साथ-साथ बजट प्रक्रिया की कमी को इंगित करते हैं। सरकार द्वारा इन अनुदानों में कम उपयोग की पुनरावृत्ति के कारणों की जांच और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

चार्ट 3.5: वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्त से पूर्व बचतें और समर्पण

(₹ करोड़ में)



जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान ₹ 27,052 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, ₹ 27,036 करोड़ (99.94 प्रतिशत) अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई तथा ₹ 16.25 करोड़ अन-अभ्यर्पित रही।

### प्रत्याशित बचतों का अन-अभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तदनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष के अंत का इंतजार किए बिना, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाये, जब तक कि वे उसी अनुदान के अंतर्गत अन्य इकाइयों के आधिकार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिकार्य को पूरा करने के लिए आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत वास्तविक अन-अभ्यर्पित राशि ₹371.29 करोड़ थी। क्योंकि यह ₹355.04 करोड़ के अतिरिक्त अभ्यर्पण से प्रति संतुलित हो गयी, वर्ष के अंत में अन-अभ्यर्पित राशि केवल ₹16.25 करोड़ थी।

16 अनुदानों/विनियोजनों (जहाँ बचत ₹ एक करोड़ और उससे अधिक थी) के अंतर्गत 18 मामलों में कुल बचतें ₹11,524.26 करोड़ में अन-अभ्यर्पित बचत (₹364.99 करोड़) की प्रमुख राशि का विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। शीघ्र अभ्यर्पण, अन्य क्षेत्रों जहाँ कमी है, में संसाधनों का अधिक लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

**यह इंगित करता है कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थपूर्ण आंकलन नहीं किया और मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे।**

### मार्च के अंत में निधियों के अधिक अभ्यर्पण का विवरण

अधिक अभ्यर्पण के प्रमुख मामले छः अनुदानों से सम्बंधित हैं, जहाँ ₹6,653.43 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹354.97 करोड़ की राशि अधिक अभ्यर्पित की गई, जैसा कि तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: प्रकरण जहाँ अधिक अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	पूरक	कुल	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	12-अन्य कर (राजस्व-दत्तमत)	860.58	0.00	860.58	708.39	152.19	159.35	7.16
2	19-सार्वजनिक निर्माण (राजस्व-दत्तमत)	563.99	₹1,000	563.99	437.09	126.90	127.05	0.15
3	21-सड़के एवं पुल (राजस्व-दत्तमत)	2,745.23	0.00	2,745.23	1,557.09	1,188.14	1,285.38	97.24

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	पूरक	कुल	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
4	21- सड़कें एवं पुल (पूंजीगत-दत्तमत)	4,238.48	0.00	4,238.48	2,943.41	1,295.07	1,320.41	25.34
5	27-पेयजल योजनायें (पूंजीगत-दत्तमत)	3,312.49	₹4,000	3,312.49	2,674.07	638.42	825.32	186.90
6	30-जनजाति क्षेत्र विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	3,438.37	₹6,000	3,438.37	2,159.08	1,279.29	1,302.18	22.89
7	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशेष संघटक योजना (पूंजीगत-दत्तमत)	4,654.93	₹7,000	4,654.93	2,681.51	1,973.42	1,988.71	15.29
	योग	19,814.07	₹18,000.00	19,814.07	13,160.64	6,653.43	7,008.40	354.97

स्रोत: विनियोग लेखे।

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण के संबंध में विभागों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये (दिसम्बर 2021)।

इन छ: अनुदानों में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

### निरंतर बचतें

जन लेखा समिति (पीएसी) ने अपने 86 वें (मार्च 2016) और 153 वें (मार्च 2017) प्रतिवेदनों में भविष्य में निरंतर बचतों के मामलों से बचने के लिए प्रभावी उपाय करने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देने की सुनिश्चितता की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के बावजूद, वर्ष 2020-21 के दौरान निरंतर बचतों के मामलें लगातार जारी रहे।

गत तीन वर्षों के दौरान, आठ अनुदानों के आठ मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें कुल प्रावधान के 10.12 प्रतिशत से 47.58 प्रतिशत के मध्य रही, जैसा कि तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: विभिन्न अनुदानों के तहत निरंतर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
1.	21-सड़कें एवं पुल	2018-19	1,668.65	1,362.34	306.31	18.36
		2019-20	2,592.21	2,217.59	374.62	14.45
		2020-21	2,745.23	1,557.09	1,188.14	43.28
2.	29-शहरी योजना एवं क्षेत्रीय विकास	2018-19	5,099.28	4,015.09	1,084.19	21.26
		2019-20	4,916.82	4,016.24	900.58	18.32
		2020-21	6,425.41	5,047.40	1,378.01	21.44
3.	37-कृषि	2018-19	2,507.20	2,013.91	493.29	19.67

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वारस्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
		2019-20	2,502.34	2,168.48	333.86	13.34
		2020-21	3,514.53	3,158.83	355.70	10.12
पूँजीगत-दत्तमत						
4.	19-सार्वजनिक निर्माण	2018-19	1,024.80	560.35	464.45	45.32
		2019-20	805.24	422.12	383.12	47.58
		2020-21	1,033.73	468.56	565.17	54.67
5.	27-प्रेयजल योजना	2018-19	3,744.05	2,700.23	1,043.82	27.88
		2019-20	3,244.50	2,221.98	1,022.52	31.52
		2020-21	3,312.49	2,674.07	638.42	19.27
6.	30-जनजाति क्षेत्र विकास	2018-19	3,682.02	2,903.21	778.81	21.15
		2019-20	3,190.76	2,552.84	637.92	19.99
		2020-21	3,438.37	2,159.08	1,279.29	37.21
7.	46-सिंचाई	2018-19	1,653.77	1,414.63	239.14	14.46
		2019-20	1,896.87	1,635.34	261.53	13.80
		2020-21	2,345.12	1,859.85	485.27	20.69
8.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2018-19	5,293.39	3,959.49	1,333.90	25.20
		2019-20	4,178.83	3,194.20	984.63	23.56
		2020-21	4,654.93	2,681.51	1,973.42	42.39

स्रोत: विनियोग लेखे।

सम्बंधित विभागों द्वारा अवगत कराये गए कारणों के अनुसार निरंतर बचतें मुख्यतः भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां कम/नहीं जारी करने के कारण थी। बचतों के अन्य कारण निधियों का कम हस्तांतरण, स्वीकृति/अर्थ-सहाय्य कम जारी करना, निवेश सीमा में कमी, कार्यों की धीमी प्रगति, कार्यों का कम निष्पादन/निष्पादित नहीं होना, इत्यादि थे।

निरंतर बचतें, अवधि के दौरान संभावित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, व्यय पर कमज़ोर नियंत्रण और अपर्याप्त वित्तीय अनुश्रवण की ओर इंगित करती है।

### 3.4 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

#### 3.4.1 एकमुश्त बजट प्रावधान

एक मुश्त बजट प्रावधान, बजट के सामान्य, गैर-विशिष्ट दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिससे अनुदान के प्रमुख को काफी विवेकाधिकार मिल जाता है। राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहाँ

एक मुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, बजट टिप्पणी में एक मुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराते हुए विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने चाहिए।

लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियमों (पीडब्ल्यूएफ एंड एआर) के नियम 287 के अनुसार, वित्तीय स्वीकृति से अभिप्राय है कि नियम 284<sup>1</sup> में उल्लेखित सभी प्रमुख कार्यों के लिए प्रस्तावित व्यय तथा एकमुश्त प्रावधान के विरुद्ध वित्त विभाग में सरकार की विशिष्ट सहमति है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 11 अनुदानों के 58 मामलों के अंतर्गत (जहां अभ्यर्पित प्रावधान ₹ 5 करोड़ से अधिक था), अनुमानों में ₹ 4,874.70 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था। इसमें से, ₹ 2,779.56 करोड़ (57.02 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे जिन्हें वर्ष के अंत में अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजित किया गया (परिशिष्ट 3.5)। इन प्रकरणों में एकमुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (दिसम्बर 2021)।

पूंजीगत परियोजनाओं में कम व्यय, विभाग के स्तर पर कार्यों और व्यय के प्रवाह के पर्याप्त अनुश्रवण की कमी और विभाग द्वारा बिना उचित योजना के तैयार किये जा रहे प्रस्तावों की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, कार्यों में विलम्ब से लागत में वृद्धि से इंकार नहीं किया जा सकता है।

### 3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

#### 3.5.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के बीच अंतर

वर्ष 2020-21 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.7 में दी गई है।

तालिका 3.7: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय*	निविल बचतें	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	1,64,161.32	12,195.62	1,76,356.94	1,57,875.53	18,481.41	18,299.70	99.02
	II. पूंजीगत	23,809.57	557.75	24,367.32	16,455.98	7,911.34	8,091.00	102.27
	III. ऋण एवं अग्रिम	739.78	49.43	789.21	491.01	298.20	294.48	98.75
	योग	<b>1,88,710.67</b>	<b>12,802.80</b>	<b>2,01,513.47</b>	<b>1,74,822.52</b>	<b>26,690.95</b>	<b>26,685.18</b>	<b>99.98</b>
प्रभारित	V. राजस्व	25,725.57	10.65	25,736.22	25,415.49	320.73	310.25	96.73
	VII. पूंजीगत	₹ 9000	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00

1. कार्य को तीन भागों में बांटा गया है (i) छोटे कार्य अर्थात् जिनकी लागत ₹ 4.00 लाख से अधिक नहीं है, (ii) लघु कार्य अर्थात् जिनकी लागत ₹ 4.00 लाख से अधिक लेकिन ₹ 5.00 करोड़ से अधिक नहीं है एवं (iii) प्रमुख कार्य अर्थात् जिनकी लागत ₹ 5.00 करोड़ से अधिक है।

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय*	निविल बचतें (-)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशत
	VIII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	17,622.74	23,440.39	41,063.13	41,022.99	40.14	40.14	100.00
	योग	<b>43,348.31</b>	<b>23,451.16</b>	<b>66,799.47</b>	<b>66,438.60</b>	<b>360.87</b>	<b>350.39</b>	<b>97.10</b>
आकर्षिकता निधि को विनियोग (यदि कोई)	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	कुल योग	<b>2,32,058.98</b>	<b>36,253.96</b>	<b>2,68,312.94</b>	<b>2,41,261.12</b>	<b>27,051.82</b>	<b>27,035.57</b>	<b>99.94</b>


स्रोत: विनियोग लेखे।

\* वास्तविक व्यय के आंकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ: समिलित हैं (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत वसूलियाँ: ₹ 4,981.61 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत वसूलियाँ: ₹ 1,185.61 करोड़ कुल: ₹ 6,167.22 करोड़)।

₹ 27,051.82 करोड़ की समग्र बचतें राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 48 अनुदानों और 43 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 32 अनुदानों और चार विनियोगों में बचतों का परिणाम थी। वर्ष के दौरान ₹ 36,253.96 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुआ जो मूल प्रावधान का 15.62 प्रतिशत था। बजट प्रावधान ₹ 2,68,312.94 करोड़ के समक्ष कुल बचतों के साथ सभी अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत ₹ 27,051.82 करोड़ (10.08 प्रतिशत) की बड़ी बचत रही जो वर्ष के दौरान प्राप्त अनुपूरक बजट की 75 प्रतिशत थी। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं के उचित आंकलन के बिना तैयार किए गए जैसा कि अनुच्छेद 3.3.1 में उल्लेखित किया गया है।

विभागों ने मूल प्रावधान के अन्तर्गत निधियों की उपलब्धता के उपरांत भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के बारे में उत्तर नहीं दिया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा नियंत्रण अधिकारियों से व्यय में विचलन अर्थात् 1481 उप-शीर्षों में बचतों/आधिकयों का स्पष्टीकरण माँगा गया। तथापि, 734 उप-शीर्षों (बचत: 582 और आधिकय: 152) से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2021)।

चार्ट 3.6: विनियोग लेखों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



बजटीय आवंटन और उनके उपयोग के बीच विचलन के लिए स्पष्टीकरण का अभाव सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

अवधि वर्ष 2016-2021 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति का विवरण तालिका 3.8 में विस्तृत है:

तालिका 3.8: 2016-21 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	मूल बजट	1,74,840.75	1,86,654.01	2,17,433.13	2,39,959.67	2,32,058.98
2.	अनुपूरक बजट	8,723.44	13,423.49	11,645.19	2,937.12	36,253.96
3.	अनुपूरक बजट की मूल बजट से प्रतिशतता	4.99	7.19	5.36	1.22	15.62
4.	योग	1,83,564.19	2,00,077.50	2,29,078.32	2,42,896.79	2,68,312.94
5.	वास्तविक व्यय	1,66,175.87	1,84,087.31	2,09,776.27	2,18,538.79	2,41,261.12
6.	बचत/आधिक्य	17,388.32	15,990.19	19,302.05	24,358.00	27,051.82
7.	बचत का प्रतिशत	9.47	7.99	8.43	10.03	10.08
8.	बजट उपयोग	90.53	92.01	91.57	89.97	89.92

वर्ष 2016-2021 की अवधि के दौरान मूल प्रावधानों के विरुद्ध पूरक प्रावधान 1.22 प्रतिशत से 15.62 प्रतिशत के मध्य रहे। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक मूल प्रावधान के विरुद्ध अनुपूरक प्रावधान में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी, लेकिन यह वर्ष 2019-20 में 1.22 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 15.62 प्रतिशत से बढ़ी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान लिये गये अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन सभी वर्षों में बचतें अनुपूरक प्रावधानों से अधिक रही, जबकि वर्ष 2020-21 में अनुपूरक प्रावधान बचत से अधिक था। इस अवधि में, कुल प्रावधानों के समक्ष बजट के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान/बचत 7.99 प्रतिशत से लेकर 10.08 प्रतिशत के मध्य रहे। वित्त विभाग ने अवगत (दिसम्बर 2021) कराया कि सभी नियंत्रक अधिकारियों को राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना के लिए निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

### 3.5.2 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुये। आगे, वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल प्रावधान के विरुद्ध बजट के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान/बचत 7.99 प्रतिशत (₹ 15,990.19 करोड़) से लेकर 10.03 प्रतिशत (₹ 24,358 करोड़) के मध्य रही। वर्ष 2020-21 के

दौरान अनुपूरक प्रावधान वास्तविक व्यय कि तुलना में अधिक था और यह मूल बजट का 15.62 प्रतिशत था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूँजीगत दत्तमत भाग के अन्तर्गत 27 प्रकरणों में अनुपूरक/मूल प्रावधान के समक्ष अनुपयोजित निधियों के शेषों को नीचे **तालिका 3.9** में दिया गया है।

**तालिका 3.9:** अनुपूरक/मूल प्रावधान के विरुद्ध अनुपयोजित निधि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोजित निधि
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>						
1	009-वन	72.41	30.07	102.48	82.92	19.56
2	011-विविध सामाजिक सेवाएं	4.16	0	4.16	1.06	3.10
3	012-अन्य कर	31	0	31.00	4.87	26.13
4	016-पुलिस	138.76	21.41	160.17	120.38	39.79
5	019-सार्वजनिक निर्माण	1,033.73	0	1,033.73	468.56	565.17
6	020-आवास	79.5	0	79.5	32.43	47.07
7	021-सड़कें एवं पुल	4,238.48	0	4,238.48	2,943.41	1,295.07
8	022-क्षेत्र विकास	204.56	0	204.56	124.51	80.05
9	023-श्रम और रोजगार	15.81	10.19	26	6.28	19.72
10	024-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	1,001.94	112.27	1,114.21	916.28	197.93
11	026-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	217.79	0	217.79	153.51	64.28
12	027-पेयजल योजना	3,312.49	0	3,312.49	2,674.07	638.42
13	028-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	306	0	306.00	149.94	156.06
14	029-नगर आयोजना एवं क्षेत्रीय विकास	1,182.83	296.43	1,479.26	1,418.71	60.55
15	030-जनजाति क्षेत्र विकास	3,438.37	0	3,438.37	2,159.08	1,279.29
16	032-नागरिक आपूर्ति	4.25	0	4.25	0.84	3.4
17	033-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	233.2	49.43	282.63	259.19	23.44
18	036-सहकारिता	5.03	0	5.03	2.86	2.17
19	037-कृषि	197.06	8.33	205.39	181.55	23.84
20	038-लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	1.75	0	1.75	0.41	1.34
21	039-पशुपालन एवं चिकित्सा	21.94	46.8	68.74	67.58	1.16
22	042-उद्योग	54.87	0	54.87	26.3	28.57
23	043-स्वनिज	206.53	0	206.53	72.6	133.93
24	046-सिंचाई	2,345.12	0	2,345.12	1,859.85	485.27
25	047-पर्यटन	31.18	0	31.18	24.6	6.58

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोजित निधि
26	048-विद्युत	1,333.44	0	1,333.44	300.05	1,033.39
27	051-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4,654.93	0	4,654.93	2,681.51	1,973.42
	योग	24,367.13	574.93	24,942.06	16,733.35	8,208.71

यह वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए धन की आवश्यकता के अनुमान की कमियों और इन विभागों द्वारा व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण की विफलता को इंगित करता है। इस प्रकार, इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत धन की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किये बिना अनावश्यक अनुपूरक/मूल प्रावधान तैयार किये गए।

विभाग ने बजटीय धन का विभिन्न विकास कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए सुचारू उपयोग नहीं किया था। यह इस अवधि में अनुमानित व्यय के अवास्तविक अनुमान, व्यय पर कमज़ोर नियंत्रण और वित्तीय अनुश्रवण को भी इंगित करता है।

### 3.5.3 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त योग्य

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए बजट प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे। वर्ष 2020-21 के दौरान, 178 योजनाओं/शीर्षों के अन्तर्गत किए गए संपूर्ण प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ या अधिक) ₹ 3,278.60 करोड़ उपयोग नहीं किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान उपयोग नहीं किए गए बजट प्रावधानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ या अधिक) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संशोधित अनुमानों में 56 योजनाओं में बजट प्रावधानों को वापस ले लिया और संशोधित अनुमानों में 25 योजनाओं में टोकन प्रावधान किए गए थे। यह इंगित करता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिए प्रावधान विभागों की वित्तीय मांग और आवश्यकता के उचित आंकलन के बिना किए गए थे।

इस संबंध में विभागों द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों में योजना का स्वीकृत नहीं होना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं होना, कार्य का निष्पादन नहीं होना, भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होना, संपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी नहीं करना, योजनाओं का प्रारम्भ न होना, सूचना प्रोटोकॉली एवं कम्प्यूटरीकरण पर व्यय नहीं होना इत्यादि शामिल हैं।

आगे, यह भी देखा गया कि संबंधित विभाग की अनुदानों की मांगों से हटाए बिना, जैसा कि राज्य बजट नियमावली द्वारा प्रावधित था, गत तीन वर्षों से निरन्तर अनावश्यक प्रावधान किए जाने के मामले थे और वित्तीय वर्ष के अंत में संपूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित किया जा रहा था। ऐसे उदाहरणों को **परिशिष्ट 3.7** में सूचीबद्ध किया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए फरवरी 2020 में बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार ने प्रमुख योजनाओं/नीतियों की घोषणा की। संबंधित विभागों ने इनमें से कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों पर वर्तमान प्रगति से अवगत कराया (सितम्बर 2021) था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित परियोजनाओं/नीतिगत पहलों के संबंध में सीमित या कोई प्रगति नहीं हुई है:

तालिका 3.10: वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख परियोजनाएं/नीतियां

क्रं सं.	विभाग का नाम	बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
1.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	13	मिलावटी पदार्थों की जाँच के लिए प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला कि स्थापना की जाएगी, जिसमें नमूने की रिपोर्ट ऑन लाइन दी जाएगी। मिलावटस्थोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही हेतु अलग से फार्स्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।	विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि फार्स्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हेतु प्रकरण विधि विभाग में विचाराधीन है। प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला की स्थापना की स्थिति के बारे में पूछने पर भी अवगत नहीं कराया गया (अक्टूबर 2021)।
2.	चिकित्सा शिक्षा	28	मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में 30-30 बेड के चार नए वार्ड एवं एक नये न्यूरो इंटरवेंशन लैब की स्थापना एवं संचालन।	विभाग ने अवगत कराया (जून 2021) कि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ क्योंकि निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा से स्वीकृति प्रतीक्षित है।
3.	आयुर्वेद	29	अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि राज्य सरकार से बजट घोषणा के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त होने में देरी (22.03.2021) तथा राशि देरी से (31.03.2021) जारी करने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।
4.	आयुर्वेद	31	राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नये स्नातकोत्तर महिला छात्रावास एवं मौजूदा स्नातक छात्रावास का निर्माण/विस्तार।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि राज्य सरकार से बजट घोषणा के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त होने में (22.03.2021) तथा राशि (31.03.2021) जारी करने में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।
5.	अल्पसंस्कृत मामले एवं वक़्फ़	60	मसूदा (अजमेर) एवं कामां (भरतपुर) में अल्पसंस्कृत बालक-बालिका आवासीय विद्यालय और नागौर, सवाई माधोपुर एवं लाडनू (नागौर) में तीन अल्पसंस्कृत बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि मसूदा में अल्पसंस्कृत छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालय और नागौर एवं सवाई माधोपुर में अल्पसंस्कृत बालिका छात्रावास भवन निर्माणाधीन हैं। कामां में अल्पसंस्कृत छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालय एवं लाडनू (नागौर) में अल्पसंस्कृत बालिका छात्रावास भवन का निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हुआ। आगे, कामां, भरतपुर से सम्बंधित कार्य राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन के कारण प्रारम्भ नहीं हुए।

क्रं सं.	विभाग का नाम	बजट भाषण की अनुच्छेद संस्था	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
6.	अल्पसंस्थक मामले एवं वकफ	61	जिला मुख्यालय जयपुर में 100 बिस्तर वाले अल्पसंस्थक बालक छात्रावास भवन का निर्माण।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ एवं 2020-21 में कोई व्यय नहीं हुआ।
7.	स्कूल शिक्षा	98	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, छात्रावास, बेडमिन्टन कोर्ट, तरणताल एवं ऑडिटोरियम सुविधाएं।	विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि वायु सेना से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।
8.	सार्वजनिक निर्माण	126	राज्य में ज्यादा स्वराब सङ्कों की पहचान की गयी है, जिनमें से वर्ष 2020-21 में 19 विभिन्न स्वराब सङ्कों का प्रथम चरण में पुनर्नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार किया जायेगा, जिस पर लगभग ₹ 400.00 करोड़ व्यय किये जायेंगे।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि डीएमएफटी योजना में इन कार्यों की स्वीकृति स्थिरज विभाग से प्रतीक्षित है एवं 2020-21 में कोई व्यय नहीं हुआ। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद कार्यादेश 2021-22 में जारी हुए हैं।
9.	राजस्व एवं सैनिक कल्याण	196	राज्य के 24 जिला सैनिक कार्यालयों में आगन्तुक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सुविधाएँ विकसित करने के क्रम में, जिला सैनिक कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए ₹ 5.00 लाख प्रति जिला प्रस्तावित है।	विभाग ने अवगत कराया (जुलाई एवं सितम्बर 2021) कि 2020-21 में इन कार्यों के लिए बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था। दस कार्यालयों के लिए बजट 2021-22 में स्वीकृत किया गया तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी, लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन का अभाव**

सम्बंधित विभागों से प्राप्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं से सम्बंधित प्रगति की समीक्षा में यह पाया गया कि पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के बाद भी निम्न बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

तालिका 3.11: पूर्ववर्ती वर्षों के लिए प्रमुख परियोजनाएं/नीतियां

क्रं सं.	विभाग का नाम	बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण की अनुच्छेद संस्था	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा बजट घोषणा के क्रियान्वयन नहीं होने के अवगत कराये गए कारण
1.	चिकित्सा शिक्षा	2018-19	87	बढ़ते हुए रोगी भार को देखते हुए चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में एक नयी कैथ लैब की स्थापना ₹ 6 करोड़ की लागत से की जाएगी।	सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, बीकानेर ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि ₹ 3.53 करोड़ की लागत से मशीन क्रय करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन टर्न-की कार्य के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण कैथ लैब की स्थापना लम्बित है।

क्रं सं.	विभाग का नाम	बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा बजट घोषणा के क्रियान्वयन नहीं होने के अवगत कराये गए कारण
2.	चिकित्सा शिक्षा	2018-19	92	चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में ड्यूल इमेजिंग सिस्टम, ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट, C-आर्म मशीन उपलब्ध कराने पर ₹ 3.72 करोड़ व्यय किए जाएंगे।	चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कोटा ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि ड्यूल इमेजिंग सिस्टम क्रय नहीं किया था, क्योंकि मांग करने वाले विभाग (उदर रोग विभाग) के विभागाध्यक्ष ने अवगत कराया कि मशीन की आवश्यकता नहीं है। यह भी अवगत कराया कि ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट खरीद ली गयी थी। इसके अतिरिक्त, C-आर्म मशीन के लिए निविदा दो-तीन बार की गयी थी लेकिन अत्यधिक दरें प्राप्त होने के कारण निरस्त कर दी गयी।
3.	स्वायत्त शासन	2018-19	163	जयपुर शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए जेसीटीएसएल द्वारा ₹ 72 करोड़ की लागत से 40 नई ई-बसें चलाई जानी थी।	जयपुर सिटी ड्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (जेसीटीएसएल), जयपुर ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि फेम इंडिया योजना-I के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय (डीएचआई) की स्वीकृति दिनांक 27.12.2017 द्वारा जेसीटीएसएल को 40 ई-बसें आवंटित की गयी थी। जेसीटीएसएल द्वारा 40 ई-बसों के लिए क्रयादेश 28.2.2018 को जारी किया गया। भारी उद्योग मंत्रालय (डीएचआई) द्वारा 31.3.2019 को इस योजना की समाप्ति के कारण जेसीटीएसएल को जारी स्वीकृति 4.4.2019 को वापस ले ली गई। परिणामस्वरूप, जेसीटीएसएल द्वारा जारी निविदा 16.10.2019 को निरस्त कर दी गयी।

बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही का अभाव, बजट भाषण के दौरान घोषित पहलों के अनुश्रवण और अनुसरण की कमी का सूचक है।

#### 3.5.4 व्यय का प्रवाह

व्यय की एक समान गति बनाए रखना स्वस्थ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। राज्य बजट नियमावली के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शोष की स्थिति के पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता के लिए, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तारीखों

के अनुसार हर माह राजस्व और व्यय का अनुमानित प्रवाह दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए।


वर्ष 2020-21 के दौरान, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल व्यय (₹ 2,35,093.90 करोड़) का 31.30 प्रतिशत (₹ 73,573.99 करोड़) व्यय किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति को बनाए नहीं रखा गया। यह भी देखा गया कि कुल प्राप्तियों (₹ 2,24,659.49 करोड़) में से 30.99 प्रतिशत (₹ 69,618.83 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई। आगे, वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में किए गए व्यय में गत वर्ष 2019-20 की तुलना में 4.30 प्रतिशत (₹ 3,038 करोड़) की गिरावट आई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 19 अनुदानों के अन्तर्गत 65 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में, कुल व्यय ₹ 5,848.84 करोड़ वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए जो कुल व्यय (₹ 8,210.72 करोड़) का 71.23 प्रतिशत था और ₹ 5,547.33 करोड़ (67.56 प्रतिशत) अकेले मार्च 2021 में व्यय किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में विस्तृत है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी खजाने में प्राप्तियों का मासिक प्रवाह और संवितरण निम्नलिखित चार्ट 3.7 में दिया गया है।

**चार्ट 3.7:** वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण का मासिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)



चार्ट दर्शाता है कि प्राप्तियाँ और व्यय फरवरी 2021 तक लगभग सभी महीनों में समान रूप से वितरित किए गए थे। तथापि, वर्ष के शेष महीनों की तुलना में मार्च 2021 में प्राप्तियों और व्यय में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार द्वारा मार्च माह में किया गया ₹ 39,770 करोड़ का व्यय कुल व्यय ₹ 2,35,093.90 करोड़ का लगभग 16.92 प्रतिशत था।

संयोगवश, वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित/जमा किए गए ₹ 37,714.42 करोड़ में से, ₹ 5,913.31 करोड़ (22.15 प्रतिशत) मार्च 2021 में हस्तांतरित किए गए।

चौदह मुख्य शीर्षों का विवरण, जहां मार्च माह के दौरान किया गया व्यय कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था, नीचे तालिका 3.12 में दिया गया है:

तालिका 3.12: वर्ष 2020-21 के दौरान मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च माह में व्यय
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	8.47	6.02	11.04	4,379.68	4,405.20	4,377.32	99.42	99.37
2.	2404	डेयरी विकास	0.00	500.00	2.96	1,000.00	1,502.96	1,000.00	66.54	66.54
3.	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.09	0.00	0.84	0.92	0.84	90.68	90.68
4.	4236	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	1.86	46.81	48.67	46.52	96.18	95.58
5.	4403	पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	7.50	125.00	1,023.91	1,156.41	1,023.91	88.54	88.54
6.	4405	मत्स्य पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	9.40	100.00	100.00
7.	4406	वन एवं वन्य जीवों पर पूँजीगत परिव्यय	9.57	188.32	147.24	918.70	1,263.83	740.59	72.69	58.60
8.	4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	100.00	100.00
9.	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	4,034.90	4,034.90	2,357.00	100.00	58.42
10.	4851	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00
11.	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय शोधों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	2.56	100.00	91.15
12.	6202	शिक्षा, स्पेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100.00	100.00

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च माह में व्यय
13.	7055	सड़क परिवहन के लिए ऋण	2.50	0.00	0.00	500.00	502.50	500.00	99.50	99.50
14.	7075	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	210.61	210.61	210.61	100.00	100.00
	योग		20.54	701.93	288.09	12,166.92	13,177.48	10,308.01	92.33	78.22

मार्च माह में व्यय का उच्च प्रतिशत वाले कृषि विभाग के मुख्य शीर्ष 2401 का माह-वार व्यय चार्ट 3.8 में नीचे दिया गया है।

चार्ट 3.8: मुख्य शीर्ष 2401-कृषि का माह-वार व्यय

(₹ करोड़ में)



वर्ष के अंतिम महीने में किया गया भारी व्यय, व्यय/प्राप्तियों पर कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण और बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी को इंगित करता है। विभाग नियमित रूप से पूरे वर्ष व्यय की प्रगति का अनुश्रवण कर सकता है और व्यय का एक समान प्रवाह बनाए रख सकता है।

### 3.5.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विशेष अनुदान का विस्तृत विश्लेषण करने की दृष्टि से अनुदान संख्या 37-कृषि तथा अनुदान संख्या 42-उद्योग का चयन विगत तीन वर्षों के लिए बजटीय अनुमान के विरुद्ध व्यय के आधार पर किया गया है।

इस विश्लेषण के अंतर्गत बजट एवं व्यय, संशोधित अनुमानों के सन्दर्भ में प्राप्तियां, पुनर्विनियोजन के पश्चात आधिक्य व्यय, अभ्यर्पण, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, सम्पूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं करना, निरन्तर बचतें तथा इन अनुदानों के तहत विगत बजट भाषणों की योजनाओं की स्थिति पर कई टिप्पणियां शामिल हैं।

### अनुदान संख्या 37- कृषि

कृषि विभाग का मुख्य कार्य स्थायान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों/खेतीहर मजदूरों की आय में वृद्धि करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विभाग प्रयास करता है:

- प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ भूमि और पानी, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, फसल विविधीकरण के सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
- खेती की लागत को कम करना।
- प्राकृतिक आपदाओं और मानसून की विफलता से किसानों को बचाने के लिए फसल बीमा प्रदान करना।
- पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मदद करने के लिए कार्यक्रम शुरू करना।
- व्यापक प्रसार के लिए कृषि-तकनीकों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित करना।

अनुदान संख्या 37- कृषि का प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अधीन है। वर्ष 2018-21 के दौरान बजटीय स्थिति, व्यय एवं बचत की समग्र स्थिति का विवरण नीचे तालिका 3.13 में दिया गया है:

तालिका 3.13: बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2018-19				2019-20				2020-21			
	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्थ	2,507.20	2,013.91	493.29 (19.67%)	493.27	2,502.34	2,168.48	333.86 (13.34%)	333.73	3,514.52	3,158.83	355.69 (11.26%)	352.71
पूंजीगत	417.70	183.53	234.17 (56.06%)	234.17	246.80	118.39	128.41 (52.03%)	112.37	205.39	181.55	23.84 (11.61%)	23.84
योग	<b>2,924.9</b>	<b>2,197.44</b>	<b>727.46</b>	<b>727.44</b>	<b>2,749.14</b>	<b>2,286.87</b>	<b>462.27</b>	<b>446.1</b>	<b>3,719.91</b>	<b>3,340.38</b>	<b>379.53</b>	<b>376.55</b>

इस अनुदान के अंतर्गत बजट और व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि:

- वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान अनुदान के राजस्थ भाग के अंतर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 11.26 प्रतिशत से 19.67 प्रतिशत के मध्य रही।
- वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान अनुदान के पूंजीगत भाग के अंतर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 11.61 प्रतिशत से 56.06 प्रतिशत के मध्य रही।

- वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व भाग के अंतर्गत ₹ 355.69 करोड़ (11.26 प्रतिशत) की अंतिम बचतों में से राशि ₹2.98 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई।

### उल्लेखनीय बचतें

वर्ष 2020-21 के दौरान, 38 योजनाएं/कार्यक्रम ऐसे थे जहां प्रावधान अत्यधिक किए गए थे और बचतें ₹ एक करोड़ और अधिक थीं। इन योजनाओं में कुल ₹ 451.90 करोड़ की उल्लेखनीय बचतें थीं जैसा परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

बजट आवंटन के विरुद्ध उल्लेखनीय बचतें संकेत देती हैं कि बजट निर्माण/अनुदानों की माँगें तैयार करने और अनुश्रवण के बारे में राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

### निरन्तर बचतें

अनुदान की लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक निरन्तर बचत वाली योजनायें (₹ एक करोड़ से अधिक प्रावधान) थीं जैसा कि नीचे तालिका 3.14 में वर्णित है:

तालिका 3.14: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत देखी गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2401-109-13 अभिनव कार्यक्रम / मिनीकिट वितरण	2018-19	6.36	2.47	3.89	61.22
		2019-20	3.50	1.88	1.61	46.13
		2020-21	3.50	1.94	1.56	44.69
2.	2401-119-25 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2018-19	56.25	49.69	6.56	11.66
		2019-20	48.60	46.49	2.11	4.33
		2020-21	61.20	41.31	19.89	32.50
3.	2401-119-36 सोलर पंप सेट पर अतिरिक्त अनुदान	2018-19	124.78	103.07	21.71	17.40
		2019-20	78.06	20.71	57.35	73.47
		2020-21	183.40	60.20	123.20	67.18
4.	2401-196-06-35 सतत कृषि मिशन-कृषि वानिकी	2018-19	2.46	1.44	1.02	41.71
		2019-20	2.27	0.82	1.45	63.67
		2020-21	2.40	0.72	1.68	69.85
5.	2401-196-06-36 बीज विकास	2018-19	5.95	3.01	2.94	49.44
		2019-20	3.50	2.20	1.30	37.19
		2020-21	3.50	0.90	2.60	74.34
6.	2401-196-09-01 स्थापना व्यय -प्रतिबद्ध	2018-19	54.97	52.98	1.99	3.62
		2019-20	58.04	50.67	7.37	12.70
		2020-21	59.27	55.16	4.11	6.93
7.	2401-197-02 पंचायत समिति स्तर पर स्थापना व्यय	2018-19	62.61	62.41	0.20	0.31
		2019-20	74.46	53.22	21.23	28.52
		2020-21	62.03	55.49	6.54	10.55
8.	2401-197-04-01 स्थापना व्यय -प्रतिबद्ध	2018-19	236.26	229.05	7.21	3.05
		2019-20	251.36	195.83	55.53	22.09

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
		2020-21	243.36	198.57	44.79	18.40
9.	2401-800-27-02 बागवानी विभाग के माध्यम से	2018-19	37.39	22.46	14.93	39.93
		2019-20	32.65	19.40	13.25	40.58
		2020-21	35.84	9.98	25.86	72.16
10.	2401-800-27-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	2018-19	11.71	5.51	6.2	52.25
		2019-20	9.45	5.96	3.49	36.94
		2020-21	6.67	1.64	5.03	75.34
11.	2401-800-31-01 कृषि विभाग के माध्यम से	2018-19	54.39	34.70	19.69	36.21
		2019-20	53.48	39.50	13.97	26.13
		2020-21	76.77	20.36	56.41	73.48
12.	2401-800-35-02 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	2018-19	6.24	3.83	2.41	38.67
		2019-20	6.12	0.78	5.34	87.18
		2020-21	8.80	1.91	6.89	78.29
13.	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से	2018-19	130.53	100.54	29.99	22.97
		2019-20	100.42	45.94	54.48	54.25
		2020-21	134.23	101.86	32.37	24.11
14.	4401-800-03-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	2018-19	22.00	5.58	16.42	74.64
		2019-20	8.23	2.53	5.70	69.20
		2020-21	6.00	4.48	1.52	25.36
15.	6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भंडारण निगम को ऋण	2018-19	80.00	27.00	53.00	66.25
		2019-20	50.00	0	50.00	100.00
		2020-21	50.00	0	50.00	100.00

बजट नियंत्रण अधिकारी ने बचत के लिए मुख्य रूप से (i) बीज मिनीकिट की कम आपूर्ति (ii) निविदा प्रक्रिया में देरी (iii) भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी में देरी (iv) गोदामों के निर्माण की धीमी प्रगति और (v) कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। अन्य कारणों में पद्धों का रिक्त रहना, भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए कम राशि की स्वीकृति, कोविड-19 महामारी के कारण जिष्सम की आपूर्ति प्रभावित होना इत्यादि सम्मिलित हैं।

निरन्तर बचतें यह दर्शाती हैं कि बजट अनुमान वास्तविक नहीं थे और विभाग में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे।

#### सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

राज्य बजट नियमावली के अनुसार, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। इस अनुदान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जहां वर्ष 2020-21 के दौरान 100 प्रतिशत बचत थी, नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.15: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	शीर्ष का नाम	योग (मू+पू)	व्यय	बचत	प्रतिशत बचत
1	2401-102-01-01 राष्ट्रीय स्थाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ	0.25	0	0.25	100.00
2	2401-102-01-06 राष्ट्रीय स्थाद्य सुरक्षा मिशन-वानिकी तिलहन	0.34	0	0.34	100.00
3	2401-111-03 फसल उत्पादन एवं अनुमानित क्षेत्रफल के संबंध में समय पर सूचना देने के लिए	4.00	0	4.00	100.00
4	2401-111-04 फसल के आंकड़ों में सुधार	1.56	0	1.56	100.00
5	2401-800-27-04 डेयरी विभाग के माध्यम से	17.50	0	17.50	100.00
6	2401-800-35-05 सतत कृषि वानिकी (बागवानी विभाग के माध्यम से)	0.48	0	0.48	100.00
7	2401-800-36-01 कृषि विभाग के माध्यम से	0.30	0	0.30	100.00
8	2435-60-800-01-01 राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	80.00	0	80.00	100.00
	योग	<b>104.43</b>	<b>0</b>	<b>104.43</b>	

विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2021) कि भारत सरकार द्वारा राज्य के आकांक्षी जिलों को छोड़कर धनराशि जारी न करने, कोविड 19 महामारी के कारण जिप्सम आपूर्ति पर प्रभाव, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने आदि के कारण बचत हुई।

यह इंगित करता है कि बजट प्रावधान को वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना एक तदर्थ आधार पर तैयार किया गया।

#### अधिक व्यय

राज्य बजट नियमावली के पैरा 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। राज्य बजट नियमावली के पैरा 24.1 में यह भी प्रावधान है कि व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य बजट नियमावली के अनुसार, यह आवश्यक है कि विवरण अत्यधिक सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकता और बचत के गलत विवरण न सिर्फ वित्त विभाग की असुविधा का कारण बनते हैं, बल्कि अतिरिक्त व्यय के भी, जिसके लिए संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

विनियोग लेखे की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि इस अनुदान के कुछ शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय किया गया था। कुछ शीर्ष जहां अधिक व्यय देखा गया था, नीचे तालिका 3.16 में दिए गए हैं:

तालिका 3.16: अनुदान के अंतर्गत शीर्षों में अधिक व्यय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	राज्य योजना (पी) ,केंद्रीय निधि (सी)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण/पुनर्विनि योजन	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	2401-109-16-01 कृषि विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन	पी	6,33,00,000	27,87,000	6,60,87,000	6,60,49,885	(-) 37,115
		सी	9,45,00,000	46,27,000	9,91,27,000	9,91,61,482	(+) 34,482
2.	2401-109-16-05 कृषि में ई-गवर्नेंस योजना	पी	1,00,72,000	-65,83,000	34,89,000	34,86,269	(-) 2,731
		सी	1,51,08,000	-98,75,000	52,33,000	52,36,050	(+) 3,050
3.	2401-119-26 प्रवाह सिंचाई से ड्रिप सिंचाई में परिवर्तन के लिए (प्रधानमंत्री कृषि योजना वृहत सिंचाई)	पी	25,17,90,000	25,18,73,000	50,36,63,000	50,45,68,655	(+) 9,05,655
		सी	37,76,87,000	37,78,09,000	75,54,96,000	75,44,46,222	(-) 10,49,778
4.	2401-196-06-20 राष्ट्रीय स्वाद सुरक्षा मिशन-दालें	पी	45,26,83,000	19,70,23,000	64,97,06,000	64,70,27,041	(-) 26,78,959
		सी	67,90,25,000	29,55,34,000	97,45,59,000	97,72,35,855	(+) 26,76,855
5.	2401-196-06-25 कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-कृषि विस्तार	पी	12,12,35,000	2,01,80,000	14,14,15,000	13,97,95,728	(-) 16,19,272
		सी	15,27,65,000	1,67,72,000	16,95,37,000	17,11,56,194	(+) 16,19,194
6.	2401-196-06-26 कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-कृषि विस्तार	पी	5,35,69,000	3,52,43,000	8,88,12,000	8,84,85,747	(-) 3,26,253
		सी	8,03,53,000	5,28,65,000	13,32,18,000	13,35,45,075	(+) 3,27,075
7.	2401-196-06-28 सतत कृषि मिशन-वर्षा आधारित क्षेत्र विकास	पी	1,11,66,000	63,81,000	1,75,47,000	17,53,908	(+) 6,908
		सी	1,67,49,000	95,71,000	2,63,20,000	2,63,13,570	(-) 6,430
8.	2401-196-06-29 सतत कृषि मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	पी	6,46,62,000	2,26,44,000	4,20,18,000	4,20,30,934	(+) 12,934
		सी	9,69,93,000	3,39,67,000	6,30,26,000	6,29,64,873	(-) 61,127
9.	2401-196-06-38 राष्ट्रीय स्वाद सुरक्षा मिशन पोषण अनाज	पी	9,95,82,000	-1,60,000	9,94,22,000	9,98,17,985	(+) 3,95,985
		सी	14,93,72,000	-2,39,000	14,91,33,000	14,89,87,183	(-) 1,45,817
10	2401-800-27-01 कृषि विभाग के माध्यम से	पी	25,06,84,000	7,51,72,000	32,58,56,000	33,26,16,682	(+) 67,60,682
		सी	37,60,25,000	11,27,61,000	48,87,86,000	48,20,26,815	(-) 67,59,185
11	2401-800-27-03 पशुपालन विभाग के माध्यम	पी	2,66,67,000	-2,00,90,000	65,77,000	64,88,923	(-) 88,077
		सी	4,00,00,000	-3,01,34,000	98,66,000	99,53,979	(+) 87,979
12	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से	पी	53,69,22,000	20,70,09,000	74,39,31,000	87,99,30,996	(+) 13,59,99,996
		सी	80,53,83,000	-53,06,69,000	27,47,14,000	13,87,14,135	(-) 13,59,99,865

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा राज्य योजना या केन्द्रीय योजना के तहत इन मदों के लिए निधि की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया था, जो बजटीय और व्यय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

#### व्यय का प्रवाह

व्यय की एकसमान गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय की किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इस अनुदान के अन्तर्गत 11 उप-शीर्षों (जहाँ या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम महीने के दौरान 30 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था) के संबंध में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल ₹1,391.95 करोड़ का व्यय किया गया था जो कुल व्यय (₹1,865.80 करोड़) का 74.60 प्रतिशत था। इसमें से ₹899.07 करोड़ (48.19 प्रतिशत) अकेले मार्च 2021 में व्यय किया गया, जैसा कि नीचे विस्तृत है:

तालिका 3.17: अनुदान जिसमें अंतिम तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय

क्र . सं.	लेखा शीर्ष (उप शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2021 के दौरान किया गया व्यय	वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
1	2401-103-15 फसल कृषिकर्म-बीज विकास योजना (उत्पादन और वितरण)	0.37	0.26	0.68	55.01	37.63
2	2401-107-07 फसल कृषिकर्म-पौध संरक्षण प्रयोगशालाएं	0.08	0.06	0.14	59.31	39.37
3	2401-110-02 फसल कृषिकर्म-फसल बीमा	1,125.33	659.17	1,470.08	76.55	44.84
4	2401-119-26 फसल कृषिकर्म-बागवानी मिशन प्रवाह सिंचाई से ड्रिप सिंचाई में परिवर्तन के लिए (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वृहत सिंचाई)	65.82	64.71	125.91	52.28	51.39
5	2401-119-31 फसल कृषिकर्म-पौध संरक्षण कार्यों के लिए बागवानी और सब्जी फसल सहायता	0.03	0.02	0.05	70.74	40.07
6	2401-800-02-01 अन्य व्यय- जल योजना के लिए सहायतार्थ अनुदान	37.76	19.84	64.10	58.91	30.95
7	2401-800-37-01 अन्य व्यय- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	78.87	78.83	101.86	77.42	77.39
8	2401-800-40-01 अन्य व्यय- शून्य लागत आधारित कृषि	1.04	1.04	1.49	69.84	69.57
9	4401-800-02-01 अन्य व्यय- एजेंसी के माध्यम से कृषि विभाग भवन	6.24	6.3	8.28	75.42	76.05
10	4401-800-03-01 अन्य व्यय- राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (एस सी ए)	61.41	53.84	78.21	78.53	68.85
11	6401-800-10-01 अन्य व्यय- कृषि उपज मंडी को ऋण (नावार्ड)	15.00	15.00	15.00	100	100
	योग	1,391.95	899.07	1,865.80		

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह के दौरान विभाग द्वारा किया गया भारी व्यय प्रगतिशील व्यय पर कम नियंत्रण का संकेत है।

इस संबंध में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018-19 में की गई सिफारिशों के आधार पर आयुक्त, कृषि द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था (जुलाई 2021), जिसके माध्यम से डीडीओ/बजट नियंत्रण अधिकारियों को वेतन, भत्ते और योजना कार्यान्वयन के प्रावधान करते समय राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए थे। यह भी निर्देश दिया गया था कि भविष्य में स्वीकृत बजट का मासिक आधार पर उपयोग किया जाए और दिसम्बर तक 60 प्रतिशत बजट का उपयोग किया जाए, जिसके अभाव में नियंत्रक अधिकारी/डीडीओ उत्तरदायी होंगे।

#### **पिछले बजट भाषण में की गई योजना घोषणाओं की स्थिति**

बजट भाषण घोषणाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण तालिका 3.18 में दिया गया है:

**तालिका 3.18: पिछले वर्षों के बजट भाषण में प्रमुख योजनायें/घोषणाएं**

क्र. सं.	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
1.	<b>(बजट घोषणा 83)</b> बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने किसान सेवा केंद्र को फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के लिए ₹ 5.90 करोड़ का प्रस्ताव रखा।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि ₹ 4.90 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 2.89 करोड़ का व्यय कर 1170 किसान सेवा केन्द्रों में से 678 किसान सेवा केन्द्रों को सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ कृषि विभाग को सौंपा गया।
2.	<b>(बजट घोषणा 89)</b> बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने घोषणा की कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले में कम से कम 10 प्रगतिशील किसानों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में मानद विस्तार कार्यकर्ता के रूप में जोड़ा जाएगा और ऐसे प्रगतिशील किसानों को प्रतिदिन ₹ 1,000 व्यास्थान मानदेय के रूप में दिए जाएंगे।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि मानद कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उन्हें मानदेय देने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये गए हैं। तथापि, मानदेय के भुगतान के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।
3.	<b>(बजट घोषणा 104)</b> बजट भाषण 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने 1,180 किसान सेवा केंद्र सह ग्राम ज्ञान केन्द्रों को विद्युत, जल एवं फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए ₹ 5.40 करोड़ प्रस्तावित किया।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि ₹ 2.90 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 2.37 करोड़ का व्यय कर 1180 किसान सेवा केन्द्रों में से मात्र 763 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण किया गया और सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ कृषि विभाग को सौंपा गया।
4.	<b>(बजट घोषणा 20)</b> बजट भाषण 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने 'कृषि धारा कार्यक्रम' के तहत कृषि ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों, किसान मेलों के बहुउपयोगी आयोजन के लिए ₹ 2 करोड़ प्रस्तावित किये।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि वित्त विभाग ने बजट घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया, ऐसे में विभाग ने सभी प्रस्तावों के स्थान पर जयपुर शहर में केवल एक किसान मेला आयोजित किया।
5.	<b>(बजट घोषणा 33)</b> बजट भाषण 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य में कृषि के लिए सिंचित क्षेत्र और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 12,500 कृषि तालाबों का निर्माण करने के लिए ₹ 150 करोड़ प्रस्तावित किये।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि विभाग ने 12,500 कृषि तालाबों में से ₹ 31.05 करोड़ व्यय करने के बाद केवल 4,173 कृषि तालाबों का निर्माण कराया।

उपरोक्त तालिका में दिये गए विवरण धीमी अनुवर्ती कार्यवाही एवं बजट भाषण घोषणाओं की असंतोषजनक प्रगति को इंगित करते हैं।

धन का कम/अनुपयोग इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर न सिर्फ आगामी वर्षों में वित्तीय भार को बढ़ाता है बल्कि देरी एवं लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखने का कारक बनता है।

### **प्राप्तियाँ**

कृषि विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष “0401-कृषि” में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्तियों में फलों एवं सब्जियों की बिक्री, नीलामी, सेवा शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं। अवधि 2018-21 के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों को नीचे संक्षेपित किया गया है:

**तालिका 3.19: अवधि 2018-21 के दौरान प्राप्तियों का विवरण**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	संशोधित अनुमान से आधिक्य (+) / कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1.	0401-103-01 राझोबियम कल्वर संवर्धन योजनाओं से फसल कृषिकर्म बीज प्राप्तियाँ	2018-19	0.01	17.5	1.29	(-)16.21	92.63
		2019-20	1.50	1.80	1.63	(-)0.17	9.44
		2020-21	2.00	2.75	2.27	(-)0.48	17.45
2.	0401-107-01 पौध संरक्षण सेवाओं से फसल कृषिकर्म प्राप्तियाँ, कीटनाशक दवा सेवाओं से प्राप्तियाँ	2018-19	20.00	4.50	3.51	(-)0.99	22.00
		2019-20	4.00	3.00	0.86	(-)2.14	71.33
		2020-21	3.50	0.10	0.00	(-)0.10	100
3.	0401-800-02-01 अन्य विविध प्राप्तियाँ	2018-19	438.79	450.00	820.39	(+)370.39	82.31
		2019-20	450.00	850.00	514.33	(-)335.67	39.49
		2020-21	900.00	850.00	794.34	(-)55.66	6.54
4.	0401-800-02-04- अन्य प्राप्तियाँ, बागवानी विभाग से प्राप्तियाँ	2018-19	20.20	250.00	249.40	(-)0.60	0.24
		2019-20	150.00	80.00	37.20	(-)42.80	53.50
		2020-21	100.00	80.00	145.94	(+)65.94	82.40
5.	0401-800-50-01 बेकार सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ	2018-19	1.00	1.00	0.62	(-)0.38	38.00
		2019-20	1.00	1.00	0.00	(-)1.00	100
		2020-21	1.00	1.20	1.04	(-)0.16	13.33
6.	0401-800-50-02 अन्य बेकार सामान के निस्तारण से प्राप्तियाँ	2018-19	1.00	3.00	2.49	(+)0.51	17.00
		2019-20	3.00	1.25	1.74	(+)0.49	39.20
		2020-21	1.50	2.50	5.12	(+)2.62	104.80

यह देखा गया कि अवधि 2018-21 के दौरान उपरोक्त सभी मामलों में संशोधित अनुमानों के सन्दर्भ में वास्तविक प्राप्तियों में पर्याप्त विचलन था जो आंकलन में कमी को दर्शाता है।

विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों के साथ-साथ आगामी वित्त वर्ष के अनुमान वित्त वर्ष के प्रारम्भ से दिसम्बर तक की प्राप्तियों के आधार पर तैयार किये एवं वित्त विभाग को भेजे जाते हैं। तथापि, संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में अधिक विचलन से स्पष्ट है कि विभाग ने अनुमान तैयार करने में गत वर्ष की प्राप्तियों को ध्यान में नहीं रखा, जैसाकि राज्य बजट नियमावली द्वारा आवश्यक था।

### अनुदान संख्या 42-उद्योग

विभाग का मुख्य कार्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) का संवर्धन करना, उनके उत्पादों की बिक्री में सहायता, लवण क्षेत्रों का विकास, हथकरघा कर्मकारों का विकास, हथकरघा विकास इत्यादि हैं। विभाग राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए विभिन्न छूट, सुविधाएँ एवं सहायता भी उपलब्ध कराता है।

अनुदान संख्या 42 का प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के अधीन है। वर्ष 2018-21 के दौरान बजट, व्यय एवं बचत की समग्र स्थिति नीचे तालिका 3.20 में वर्णित है:

तालिका 3.20: बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2018-19				2019-20				2020-21			
	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्व	251.31	214.90	36.41 (14.48%)	36.19	428.63	327.44	101.19 (23.61%)	101.03	309.56	256.18	53.38 (17.24%)	53.38
पूँजीगत	433.41	21.94	411.47 (94.94%)	411.43	95.06	18.71	76.35 (80.32%)	76.34	54.87	26.30	28.57 (52.07%)	28.44
योग	<b>684.72</b>	<b>236.84</b>	<b>447.88</b>	<b>447.62</b>	<b>523.69</b>	<b>346.15</b>	<b>177.54</b>	<b>177.37</b>	<b>364.43</b>	<b>282.48</b>	<b>81.95</b>	<b>81.82</b>

इस अनुदान के अंतर्गत बजट और व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि:

- अवधि 2018-19 से 2020-21 के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचत 14.48 प्रतिशत से 23.61 प्रतिशत के बीच रही जबकि पूँजीगत भाग के अन्तर्गत यह 52.07 प्रतिशत से 94.94 प्रतिशत के मध्य रही।
- वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के अंतिम दिवस को क्रमशः राशि ₹ 447.62 करोड़, ₹ 177.37 करोड़ एवं ₹ 81.82 करोड़ अभ्यर्पित किये गए।
- राज्य बजट नियमावली के अनुसार, अनुदान जो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किये जा सके अभ्यर्पित किये जाने चाहिए। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान राजस्व भाग के अंतर्गत अंतिम बचतों में से क्रमशः ₹ 21.26 लाख एवं ₹ 16.85 लाख अन-अभ्यर्पित रहे। वर्ष 2018-19, 2019-20

एवं 2020-21 के दौरान पूँजीगत भाग में अंतिम बचतों में से क्रमशः ₹ 4.76 लाख, ₹ 1.00 लाख एवं ₹ 13.50 लाख अनुभ्यवित रहे।

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा राज्य बजट नियमावली के बजट नियंत्रण से सम्बंधित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी।

यह भी देखा गया कि अवधि 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष लेखों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान का बड़ा भाग अनुपयोगी रहा, जो सम्बंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय को प्राप्त नहीं करने का सूचक है। यह इंगित करता है कि विगत वर्षों के व्यय को ध्यान में रखे बिना बजट अनुमान तैयार किये गए जैसा कि राज्य बजट नियमावली के नियम 13.7 के अंतर्गत आवश्यक था, जिसके कारण, मुख्य रूप से लेखों के पूँजीगत भाग के अन्तर्गत, निरन्तर बचतें रहीं।

### **कार्यक्रम क्रियान्वयन**

**अनुदान के अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों की नमूना जाँच में निम्न दृष्टिगत हुआ:**

- **राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड**

बोर्ड के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यकलाप खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास, कार्यक्रम आयोजित एवं कार्यान्वित करना, अल्प आय वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान कराना है।

वर्ष 2020-21 के दौरान शीर्ष “राजस्थानी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान” के अंतर्गत ₹ 32.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। विभाग मात्र ₹ 24.13 करोड़ का उपयोग कर सका एवं शेष राशि ₹ 8.37 करोड़ (25.75 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया। विभाग ने अवगत कराया (जून 2021) कि यह बचत व्यय सीमा में कमी के कारण कम अनुदान जारी करने के कारण हुई और अधिक व्यय को पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से पूरा किया गया।

- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना**

यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना सुगम करने के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज ऋण प्रदान करने और राज्य के सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के लिए ₹ 6.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। विभाग केवल ₹ 3.60 करोड़ का उपयोग कर सका और शेष राशि ₹ 2.90 करोड़ (44.61 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया। विभाग ने राशि के कम उपयोग के कारणों से अवगत नहीं कराया (दिसम्बर 2021)।

- **युवा औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना हेतु सहायता (युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना)**

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2013-14<sup>2</sup> में युवा उद्यमियों को राज्य में नए उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने और राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रारम्भ की गई थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इस योजना के लिए ₹ 9.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। विभाग केवल ₹ 6.75 करोड़ का उपयोग कर सका और शेष राशि ₹ 2.25 करोड़ (25 प्रतिशत) का अभ्यर्पण

---

2. वर्ष 2015 में संशोधित

किया गया। विभाग ने अवगत कराया (जून 2021) कि कोविड-19 महामारी के कारण योजना के अंतर्गत ऋणों की कम स्वीकृति और इसके परिणामस्वरूप निधियों के कम वितरण के कारण बचत हुई।

#### • क्लस्टर विकास नैदानिक अध्ययन

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और शिल्पकारों का विकास क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए, वर्ष 2005-06 में राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 'क्लस्टर विकास नैदानिक अध्ययन' कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, बाजार सहायता, क्षमता निर्माण, आदि के साथ स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किये गए आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर चयनित क्लस्टरों में क्लस्टर विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाता है।

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए ₹ 1.07 करोड़, ₹ 1.30 करोड़ और ₹ 1.20 करोड़ के बजट प्रावधान किये गए। विभाग क्रमशः केवल ₹ 0.56 करोड़, ₹ 1.16 करोड़ और ₹ 0.67 करोड़ का उपयोग कर सका और ₹ 0.51 करोड़ (47.66 प्रतिशत), ₹ 0.14 करोड़ (10.77 प्रतिशत) और ₹ 0.53 करोड़ (44.17 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया। विभाग द्वारा प्रावधानों के कम उपयोग के कारण अवगत नहीं कराये गए (दिसम्बर 2021)।

#### • एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना

कपड़ा इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की गई थी। योजना के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 75 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा, 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत स्वयं के धन/ स्पेशल परपज छीकल (एसपीवी) द्वारा बैंकों से ऋण से दिया जायेगा। राज्य में आईपीडीएस के तहत चार परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। विभाग के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार चारों परियोजनायें प्रगतिरत हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इस योजना के लिए ₹ 11.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। विभाग ₹ 8.00 करोड़ का उपयोग कर सका और ₹ 3.50 करोड़ (30.43 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये। विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि तीन परियोजनाएं कार्यान्वयन/प्रचालन के अधीन हैं और एक परियोजना चालू नहीं है। तथापि, विभाग द्वारा प्रावधानों के कम उपयोग के विशिष्ट कारणों से अवगत नहीं कराया गया (दिसम्बर 2021)।

#### • रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करके राजस्थान राज्य के औद्योगिकरण का नेतृत्व करता है। रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन को प्रशासित करने हेतु सम्पूर्ण राजस्थान में 28 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। रीको द्वारा आधारभूत सामाजिक संरचना के प्रावधानों के साथ-साथ सड़क, बिजली, रोड लाइट, जलापूर्ति, जल निकासी आदि सहित भौतिक आधारभूत संरचनाएँ विकसित की गई हैं।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन के लिए क्रमशः ₹ 96.00 करोड़ और ₹ 75.00 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए थे। वर्ष 2019-20 के दौरान केवल ₹ 1.00 करोड़ का उपयोग किया गया था और वर्ष 2020-21 में इस

उद्देश्य हेतु कोई राशि उपयोग नहीं ली गयी। विभाग ने कम उपयोग का कारण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को बताया (जुलाई 2021)।

#### • केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान

केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), जयपुर की स्थापना वर्ष 2006 में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50:50 व्यय बंटवारे के आधार पर की गई थी। जयपुर केंद्र कैड/कैम/सीएई के माध्यम से प्लास्टिक की वस्तुओं, मोल्ड डिजाइन के उत्पादन में लगा हुआ है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, संस्थान में उच्च अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए ₹ 3.66 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हालांकि, पूरी राशि अप्रयुक्त रही और अभ्यर्पित कर दी गयी। विभाग ने बताया (जुलाई 2021) कि प्रावधान व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। वर्ष 2020-21 के दौरान, परियोजना के लिए ₹ 1,000 का टोकन प्रावधान किया गया था। तथापि वर्ष के दौरान इसे बढ़ाया नहीं गया जिसके कारण परियोजना शुरू नहीं की जा सकी और टोकन प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया। विभाग ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि वित्त विभाग को एक नया प्रस्ताव भेजा गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 के दौरान संशोधित अनुमानों में प्रावधान नहीं करने के कारण स्वीकृति जारी नहीं की थी।

#### • दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना (डीएमआईसी) दिल्ली और मुंबई के बीच एक औद्योगिक विकास परियोजना है। यह छह भारतीय राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फैले एक उच्च तकनीक वाले औद्योगिक क्षेत्र के रूप में योजनाबद्ध है। निवेश 1500 किमी लंबे वेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में किया जाना था जो औद्योगिक कॉरिडोर के परिवहन आधार के रूप में काम करेगा।

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान डीएमआईसी के पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 418.64 करोड़, ₹ 85.00 करोड़ और ₹ 43.00 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए। हालांकि, विभाग क्रमशः केवल ₹ 7.54 करोड़, ₹ 17.76 करोड़ और ₹ 24.76 करोड़ का उपयोग कर सका और ₹ 411.10 करोड़ (98.2 प्रतिशत), ₹ 67.24 करोड़ (79.1 प्रतिशत) और ₹ 18.11 करोड़ (42.12 प्रतिशत) की राशि का अभ्यर्पण किया गया। विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि पटवारी और तहसीलदार आदि के पदों के रिक्त रहने और मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह के दौरान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जैसी बाधाओं के कारण भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान नहीं करने के कारण व्यय नहीं किया जा सका।

#### • जिला उद्योग केन्द्रों के लिए भवन निर्माण

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान जिला उद्योग केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु ₹ 0.77 करोड़, ₹ 1.15 करोड़ और ₹ 0.62 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए। यद्यपि, विभाग वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान केवल क्रमशः ₹ 0.15 करोड़, ₹ 0.70 करोड़ और ₹ 0.39 करोड़ का उपयोग कर सका और क्रमशः ₹ 0.57 करोड़ (74.02 प्रतिशत), ₹ 0.45 करोड़ (39.13 प्रतिशत) और ₹ 0.23 करोड़ (37.10 प्रतिशत) की राशि का अभ्यर्पण किया। विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान में कमी करने के कारण कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने से कम व्यय हुआ।

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.6 उपबंध करता है कि बजट जितना संभव हो वार्तविक अनुमान के निकट रखने के उद्देश्य से तैयार करना चाहिए। उपरोक्त प्रेक्षण एवं विभाग के प्रत्युत्तर दर्शते हैं कि बजट आवंटन सटीक नहीं थे जिसके कारण बड़ी राशि का अभ्यर्पण हुआ।

### अनुदान में टोकन प्रावधान

यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 में, इस अनुदान के अन्तर्गत कुल 60 शीर्षों में से 15 शीर्ष ऐसे थे जिनमें टोकन प्रावधान किए गए थे जो कि टोकन प्रावधानों के रूप में बने रहे और वित्तीय वर्ष के अंत में टोकन प्रावधान या तो अभ्यर्पित किए गए या बजट अंतिमीकरण समिति (बीएफसी) की बैठक के दौरान संशोधित अनुमानों में शून्य किए गए। राजस्थान वित्त निगम ने बताया कि राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की प्रत्याशा में टोकन प्रावधान किये जाते हैं।

### पिछले बजट भाषण में योजना घोषणाओं की स्थिति

बजट भाषण घोषणाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण तालिका 3.21 में दिया गया है:

**तालिका 3.21: पिछले बजट भाषणों में की गयी प्रमुख घोषणायें**

क्र. सं.	वर्ष (बजट घोषणा संख्या)	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
1.	2016-17 (77)	बजट भाषण 2016-17 में, जयपुर के निकट राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई थी ताकि एक डिजाइन इनोवेशन केंद्र स्थापित किया जा सके, जिसके लिए 50 एकड़ भूमि प्रदान की जानी थी।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की स्थापना के लिए 1,20,062.57 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की है। भूमि का कब्जा और लीज डील का निष्पादन लंबित है क्योंकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से ₹ 30.02 लाख का भुगतान प्रतीक्षित है।
2.	2016-17 (78)	बजट भाषण 2016-17 में यह घोषणा की गई कि अगले 5 वर्षों में ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी (रुडा) के माध्यम से 60 हजार शिल्पकारों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पेशेवर सेवाओं को नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आगामी वर्ष में ₹2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि रुडा ने पेशेवर सेवाओं के लिए दो बार निविदाएँ आमंत्रित की लेकिन निविदा प्रक्रिया सफल नहीं रही। विभाग ने यह भी कहा कि पेशेवर सेवाओं को नियुक्त करना नियमों के अनुरूप नहीं होगा जिसके कारण इस घोषणा को छोड़ना उचित होगा।
3.	2016-17 (78)	बजट भाषण 2016-17 में स्थादी को फैशन की मुख्यधारा में लाने और राजस्थान स्थादी बोर्ड के नए शोरूम स्थोलने के लिए ₹ 2.50 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित किया गया था।	लेखापरीक्षा के मांगे जाने पर भी कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत नहीं कराया (अक्टूबर 2021)।
4.	2017-18 (87)	बजट भाषण 2017-18 में, कपड़ा और कृषि स्थाद्य-प्रसंस्करण के क्षेत्र में आयात-निर्यात बढ़ने के लिए, भारत सरकार की भागीदारी से राज्य सरकार द्वारा दो नए केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि वित्तीय बाधाओं के कारण बजट घोषणा को लागू नहीं किया जा सका।
5.	2018-19 (149)	बजट भाषण 2018-19 में ₹ 146 करोड़ की एकीकृत कार्य योजना के अन्तर्गत भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिये 6 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के आरओ प्लांट के दायरे का विस्तार, भूमिगत पाइपलाइन के साथ कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के उन्ननयन का प्रस्ताव किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि एकीकृत कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा जारी कर दी गयी है तथा आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	वर्ष (बजट घोषणा संस्था)	बजट भाषण में की गयी घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
6.	2018-19 (150)	बजट भाषण 2018-19 में, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत स्थानेडा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र में नई औद्योगिक टाउन शिप के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में ₹ 400 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए ₹ 82.46 करोड़ स्वर्च किए गए हैं और रीको लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से शेष राशि के भुगतान के लिए निर्णय लिया गया था जो अभी भी लंबित है।

उपरोक्त तालिका में दिये गए विवरण अनुवर्ती कार्यवाई की धीमी गति और बजट भाषण घोषणाओं की असंतोषजनक प्रगति को दर्शाते हैं।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर निधियों के गैर/कम उपयोग न केवल बाद के वर्षों में राजकोषीय भार बढ़ाता है बल्कि देरी और लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखने का कारक बनता है।

#### संशोधित अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर

उद्योग विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष “0851-ग्राम एवं लघु उद्योग” तथा “0852-उद्योग” में पावरलूम के पंजीकरण से प्राप्तियां, साज्जी के लिए भूमि का अस्थायी आवंटन, नमक क्षेत्र के आवंटन से आय, पापड़ खार की प्राप्ति, पेट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां, इत्यादि प्राप्तियां शामिल हैं।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति को नीचे तालिका 3.22 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.22: वर्ष 2018-21 के दौरान प्राप्ति का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	आधिक्य (+)/ (-) कमी	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1.	0851-ग्राम एवं लघु उद्योग 800-अन्य प्राप्तियां 01-अन्य विभिन्न प्राप्तियां	2018-19	1,325.00	700.00	491.62	(-) 208.38	29.77
		2019-20	750.00	750.00	141.43	(-) 608.57	81.14
		2020-21	750.00	300.00	355.27	(+) 55.27	18.42
2.	0852-उद्योग 05-रसायन उद्योग 800-अन्य प्राप्तियां नमक एवं सोडियम सल्फेट की बिक्री से 01 एवं 04 प्राप्तियां	2018-19	7.00	7.00	7.57	(+) 0.57	8.14
		2019-20	6.01	3.22	0.90	(-) 2.32	72.05
		2020-21	3.50	4.65	3.12	(-) 1.53	32.90
3.	0852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य प्राप्तियां 04-अन्य प्राप्तियां	2018-19	40.00	400.00	390.17	(-) 9.83	2.46
		2019-20	50.00	169.06	169.63	(+) 0.57	0.34
		2020-21	50.00	90.00	69.17	(-) 20.83	23.14

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों और संशोधित अनुमानों के सन्दर्भ में विचलन 0.34 प्रतिशत और 81.14 प्रतिशत के बीच था जो आंकलन में कमी को दर्शाता है। इस अनुदान की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अवधि 2018-21 के दौरान बजट दस्तावेज़ में मुख्य शीर्ष- 0851 और मुख्य शीर्ष- 0852 के अन्तर्गत विभिन्न प्राप्ति शीर्ष वास्तविक प्राप्तियों और संशोधित अनुमानों के बीच महत्वपूर्ण अंतर दर्शाते हैं। इस संबंध में संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

### 3.6 प्रशंसनीय कदम

बजट प्रबंधन के पहलू जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रगति की गई नीचे दिए गए हैं:

- गत चार वर्षों के दौरान किसी भी अनुदान में बजट प्रावधान से अधिक व्यय का कोई उदाहरण नहीं है।
- वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेशों और अभ्यर्पण आदेशों का प्रस्तुतिकरण।
- वर्ष के अंत से पहले अधिकांश बचतों का अभ्यर्पण।

### 3.7 सिफारिशें

- i. नियंत्रण/संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उन विभागों जहां निरन्तर बचत देखी गई है, में बचत से बचने के लिए स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति पर कड़ी और निरन्तर निगरानी रख सकते हैं। वे विशेष रूप से मासिक व्यय नियंत्रण और निगरानी तंत्र को भी आईएफएमएस के इष्टतम उपयोग के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं।
- ii. सभी विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़े पैमाने पर बचत/आधिक्य, पुनर्विनियोजन और अभ्यर्पण से बचने के लिए व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि उनको अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। निधियों के अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग से भी बचना चाहिए।
- iii. व्यय को वर्ष भर समान रूप से किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से जुड़े गुणवत्ता संबंधी नुकसानों से बचा जा सके।
- iv. बजट के उचित विश्लेषण और आगामी विनियोग लेखों की सटीक तैयारी में सहायता के लिए बजट नियंत्रक अधिकारियों को आवंटन से व्यय के विचलन के स्पष्टीकरण प्रदान करने की उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराने की आवश्यकता है।

## अध्याय IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

### प्रस्तावना

सुदृढ़ आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी सहित राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग में गुणवत्ता और समयबद्धता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्टिंग, यदि प्रभावी और कार्यात्मक हो, सरकार को अपनी आधारभूत नेतृत्व की जिम्मेदारियों, जिनमें रणनीतिक योजना और निर्णय लेना शामिल हैं, को पूरा करने में सहायक होती है।

यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

### 4.1 उपकर/अधिभार की वसूली

उपकर सरकार द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और प्राप्त राशि का विशिष्ट उद्देश्य पर व्यय हो, यह सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त राशि को विशेष लेखांकन के साथ एक पृथक निधि में रखा जाना आवश्यक है।

#### 4.1.1 राजस्थान राज्य सङ्कर विकास निधि में उपकर का कम हस्तांतरण

राजस्थान सरकार ने राज्य मार्गों के विकास और राज्य सङ्कर विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए 2004 में राजस्थान राज्य सङ्कर विकास निधि अधिनियम (अधिनियम) लागू करके राजस्थान राज्य सङ्कर विकास निधि (निधि) का गठन किया। अधिनियम मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में जाना जाता है) की बिक्री पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर क्रमशः ₹1.50 और ₹1.75 प्रति लीटर की दर से उपकर लगाया गया था। अधिनियम की धारा 4 प्रावधित करती है कि लगाया गया उपकर राज्य की संचित निधि<sup>1</sup> में जमा किया जाएगा और बाद में विनियोजन के माध्यम से निधि में जमा किया जाएगा। निधि को लोक लेखा में ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में गठित किया गया था और राज्य सरकार के लेखों में शीर्ष “8225-02-101 राज्य सङ्कर और पुल निधि” के तहत वर्गीकृत किया गया था।

उपकर के संग्रहण और निधि में अंतरण की विगत पांच वर्षों की वर्ष-वार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

1. बजट शीर्ष 0040-800 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर-अन्य प्राप्तियाँ)

तालिका 4.1: उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहित उपकर	कुल (3+4)	निधि में हस्तांतरित की गई राशि	अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016-17	714.33	1,311.78	2,026.11	0	2,026.11
2	2017-18	2,026.11	1,394.37	3,420.48	425.00	2,995.48
3	2018-19	2,995.48	1,409.62	4,405.10	260.34	4,144.76
4	2019-20	4,144.76	1,422.51	5,567.27	1,170.00	4,397.27
5	2020-21	4,397.27	1,176.62	5,573.89	1,011.46	4,562.43

यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 तक ₹4,562.43 करोड़ की राशि राज्य की समेकित निधि से निधि में हस्तांतरण हेतु लम्बित थी।

आगे, वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकार ने पेट्रोल और डीजल उपकर के रूप में ₹1,176.62 करोड़ संग्रहित किये और निधि में ₹1,011.46 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नियमों का उल्लंघन कर निधि में ₹ 165.16 करोड़ का कम हस्तांतरण किया और अपने दायित्व को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कम करके दिखाया गया।

संग्रहित उपकर को निधि में कम हस्तांतरित करने और यह पूछे जाने (अकट्टूबर 2021) पर कि क्या निधि से व्यय नियमों में अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, विभाग ने लेखापरीक्षा को प्रत्युत्तर नहीं दिया।

#### 4.1.2 जल संरक्षण उपकर निधि में उपकर का कम हस्तांतरण

बजट भाषण (संशोधित) 2009-10 के अनुसार राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009 में जल संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में उपभोग की गई ऊर्जा पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से जल संरक्षण उपकर (उपकर) लगाने का प्रावधान किया गया था। उपकर का उद्देश्य बहते हुए जल के लिए जल संचयन संरचनाओं के निर्माण, भूजल पुनर्भरण और लोगों को दैनिक जीवन में पानी के संरक्षण की आदत के बारे में शिक्षित और संवेदनशील करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना था।

तदनुसार, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में 8 जुलाई 2009 से उपकर संग्रह करने का प्रावधान किया गया। उपकर राज्य की संचित निधि<sup>2</sup> में संग्रहित किया जाता है। जल संरक्षण उपकर निधि (निधि) का गठन लोक लेखा में बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि<sup>3</sup> के रूप में किया गया था। संग्रहित उपकर मुख्य शीर्ष 2040-797 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर) को नामे कर राज्य की समेकित निधि से निधि में हस्तांतरित किया जाता है।

2. बजट शीर्ष 0043-800-04 (विद्युत पर कर तथा शुल्क-अन्य प्राप्तियां)।

3.राज्य सरकार के लेखों में शीर्ष '8229-200-11' के अंतर्गत वर्गीकृत।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.2: उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहित उपकर	कुल	निधि में हस्तांतरित की गई राशि	अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष
1	2016-17	908.42	289.56	1,197.98	170.92	1,027.06
2	2017-18	1,027.06	217.51	1,244.57	289.56	955.01
3	2018-19	955.01	182.67	1,137.68	217.51	920.17
4	2019-20	920.47	268.84	1,189.31	182.67	1,006.64
5	2020-21	1,006.64	196.37	1,203.01	268.84	934.17

यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 तक राज्य की संचित निधि से निधि में हस्तांतरण के लिए ₹934.17 करोड़ की राशि लंबित थी।

आगे, 31 मार्च 2021 को राशि ₹234.47 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान निधि से ₹270.68 करोड़ का व्यय किया गया।

यह पूछे जाने पर कि क्या निधि से व्यय अधिनियम में अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जारहा था, विभाग ने प्रत्युत्तर नहीं दिया (अक्टूबर 2021)।

#### 4.1.3 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि में अधिभार का कम हस्तांतरण

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 08.03.2016 से गौ एवं गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन (अधिभार) के लिए अधिभार प्रस्तावित किया था। आगे, गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने नवम्बर 2016 में 'राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि' (निधि) का गठन किया और इस निधि के प्रशासन के लिए 'राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन नियम, 2016 (नियम) जारी किये।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राजस्थान मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत लगाए गए मूल्य वर्धित कर पर अधिभार लगाया, जिसकी आय का उपयोग भी गौ एवं गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य के लिए किया जाना था।

नियमानुसार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम<sup>4</sup> एवं राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम<sup>5</sup> के अन्तर्गत उद्ग्रहित एवं संग्रहित अधिभार को पशुपालन के मुख्य शीर्ष<sup>6</sup> को नामे कर निधि<sup>7</sup> में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। इस निधि का मुख्य उद्देश्य गायों की सुरक्षा एवं विकास तथा गौशाला, घर एवं कांजी हाजसेज के लिए स्थाई संरचना का निर्माण करना था और एक प्रतिशत राशि का उपयोग गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय के लिए किया जाना था।

अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की विगत पांच वर्षों की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

4. शीर्ष 0030-02-800 (मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क-गैर-न्यायिक मुद्रांक-अन्य प्राप्तियां) के अंतर्गत।

5. शीर्ष 0040-800 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर-अन्य प्राप्तियां) के अंतर्गत।

6. शीर्ष 2403-797 (पशुपालन-आरक्षित निधियों को हस्तांतरण) के अन्तर्गत।

7. शीर्ष 8229-104-02 एवं 8229-104-03 के अन्तर्गत।

**तालिका 4.3: अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	प्राप्त अधिभार	कुल (3+4)	निधि में हस्तांतरित की गई राशि	अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2016-17	13.16	138.45	151.61	103.84	47.77
2.	2017-18	47.77	257.98	305.75	173.68	132.07
3.	2018-19*	132.07	536.25	668.32	261.00	407.32
4.	2019-20*	407.32	718.02	1,125.34	490.50	634.84
5.	2020-21*	634.84	1,079.30	1,714.14	599.12	1,115.02

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* प्राप्ति में वैट पर अधिभार भी शामिल है।

यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 तक ₹1,115.02 करोड़ की राशि राज्य की समेकित निधि से निधि में अंतरण हेतु लंबित थी। आगे, वर्ष के अंत में अहस्तांतरित राशि वर्ष 2016-17 से प्रत्येक वर्ष लगातार बढ़ी है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने अधिभार के रूप में ₹1,079.30 करोड़ संग्रहित किए और ₹599.12 करोड़ निधि में हस्तांतरित किए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निधि में ₹480.18 करोड़ का कम हस्तांतरण किया और अपनी देयता को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम करके दर्शाया गया।

गत पांच वर्षों के लिए राज्य की समेकित निधि से निधि को हस्तांतरित राशि और निधि से संवितरण की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 4.4: अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	निधि का प्रारंभिक शेष	निधि में प्राप्ति	निधि की कुल राशि (3+4)	निधि से संवितरित राशि	निधि का अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016-17	-	103.84	103.84	92.22	11.62
2	2017-18	11.62	173.68	185.30	173.55	11.75
3	2018-19	11.75	261.00	272.75	240.57	32.18
4	2019-20	32.18	490.50	522.68	462.45	60.23
5	2020-21	60.23	599.12	659.35	574.01	85.34

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान 31 मार्च 2021 को ₹ 85.34 करोड़ की अव्ययित शेष राशि को छोड़कर निधि से ₹ 574.01 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के वित्त लेखों के अनुसार, निधि का अव्ययित शेष ₹ 72.45 करोड़ था, जबकि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार निधि में अव्ययित शेष ₹ 85.34 करोड़ था, जो ₹12.88 करोड़ का विचलन दर्शाता है।

यह पूछे जाने (अक्टूबर 2021) पर कि क्या निधि से व्यय नियमों में अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, विभाग ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।

#### **4.1.4 राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष में उपकर की राशि का कम हस्तांतरण**

उपरोक्त वर्णित आरक्षित निधियों के अलावा, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष भी बनाया है जिसे व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते के रूप में संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार और लागू करने के लिए भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) जैसे कानून लागू किये। राज्य सरकारों द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु गठित बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि के लिए अधिनियम की धारा 3, केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, अर्ध-सरकारी संगठनों एवं निजी नियोक्ताओं द्वारा किए जा रहे भवन या अन्य निर्माण कार्यों की निर्माण लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं तथा एक प्रतिशत से कम नहीं की दर से उपकर (श्रम उपकर) लगाने का प्रावधान करती है।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2009 बनाये और राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया। उपकर राज्य की समेकित निधि<sup>8</sup> में संग्रहित किया जाता है। बोर्ड राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष (निधि) का संचालन करता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम 1998 (नियम) की धारा 5(3) के अनुसार, एकत्रित उपकर की राशि को संग्रह के 30 दिनों के भीतर निधि में हस्तान्तरित करना आवश्यक है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उपकर के संग्रहण और बोर्ड को इसके हस्तांतरण की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 4.5: उपकर के संग्रहण और बोर्ड को हस्तांतरित राशि की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहित उपकर	कुल (3+4)	बोर्ड को हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित राशि का अन्तिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016-17	322.45	342.69	665.14	322.70	342.44
2	2017-18	342.44	338.60	681.04	342.69	338.35
3	2018-19	338.35	382.59	720.94	338.60	382.34
4	2019-20	382.34	412.82	795.16	382.59	412.57
5	2020-21	412.57	367.55	780.12	412.82*	367.30

\* पीडी खाते में हस्तान्तरित किए बिना विभाग द्वारा सीधे स्वर्च की गई ₹ 55.26 करोड़ की राशि शामिल है।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 तक ₹367.30 करोड़ की राशि राज्य की समेकित निधि से निधि में अंतरण के लिए लंबित थी।

8. मुख्य शीर्ष 'अम एवं रोजगार' (0230-800-06) के अन्तर्गत।

इस संबंध में, जन लेखा समिति (पीएसी) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 पर वर्ष 2015-16 के 85वें प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.5 द्वारा भी नियमों के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने और संग्रहित राशि को समय से बोर्ड को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की। पीएसी की अनुशंसाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु शासन सचिव ने वित्त विभाग के अनुमोदन से संग्रहित उपकर का महालेखाकार कार्यालय के साथ मासिक मिलान और संग्रहित उपकर राशि को मासिक रूप से बोर्ड के पीडी खातों में जमा करने हेतु निर्देशित किया (अगस्त 2016)। तथापि, विभाग ने बताया (सितम्बर 2021) कि संग्रहित राशि को वार्षिक रूप से बोर्ड को हस्तांतरित किया जा रहा था।

आगे, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियम प्रावधानों एवं पीएसी की अनुशंसाओं का पालन नहीं किया जा रहा था तथा संग्रहित उपकर की राशि असामान्य विलम्ब से बोर्ड को हस्तांतरित की जा रही थी। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹412.82 करोड़ और ₹367.55 करोड़ प्राप्ति की दिनांक से तीन से 20 महीने की देरी के साथ बोर्ड को हस्तांतरित किए गए। गत दो वर्षों के लिए उपकर संग्रह की मासिक प्राप्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका 4.6: विगत दो वर्षों के लिए उपकर संग्रह की मासिक प्राप्ति**

(राशि ₹ में)

अवधि	प्राप्ति शीर्ष में प्राप्त राशि	बोर्ड में हस्तांतरण के लिए नियत माह (प्राप्ति के 30 दिन बाद)	राशि के हस्तांतरण का वार्तविक माह	देरी (महीनों में)
अप्रैल-19	43,65,03,575.5	मई-19	फरवरी-21	20
मई-19	37,64,30,489.2	जून-19	फरवरी-21	19
जून-19	30,26,84,994.1	जुलाई-19	फरवरी-21	18
जुलाई-19	28,96,42,317.9	अगस्त-19	फरवरी-21	17
अगस्त-19	41,61,12,896.3	सितम्बर-19	फरवरी-21	16
सितम्बर-19	34,42,12,757.9	अक्टूबर-19	फरवरी-21	15
अक्टूबर-19	40,18,24,419.0	नवम्बर-19	फरवरी-21	14
नवम्बर-19	35,14,39,788.7	दिसम्बर-19	फरवरी-21	13
दिसम्बर-19	19,97,25,160.6	जनवरी-20	फरवरी-21	12
जनवरी-20	29,27,85,545.4	फरवरी-20	फरवरी-21	11
फरवरी-20	31,62,81,830.5	मार्च-20	फरवरी-21	10
मार्च-20	39,98,84,566.4	अप्रैल-20	फरवरी-21	9
अंतरण प्रविष्टि	6,57,574.0			
<b>योग (2019-20)</b>	<b>4,12,81,85,915.50</b>			
अप्रैल-20	9,51,10,561	मई-20	अगस्त-21	14
मई-20	9,81,24,208	जून-20	अगस्त-21	13
जून-20	27,06,82,993	जुलाई-20	अगस्त-21	12
जुलाई-20	33,37,81,766	अगस्त-20	अगस्त-21	11
अगस्त-20	33,13,18,003	सितम्बर-20	अगस्त-21	10
सितम्बर-20	30,04,67,560	अक्टूबर-20	अगस्त-21	9
अक्टूबर-20	26,76,97,111	नवम्बर-20	अगस्त-21	8

नवम्बर-20	28,27,19,500	दिसम्बर-20	अगस्त-21	7
दिसम्बर-20	34,10,43,899	जनवरी-21	अगस्त-21	6
जनवरी-21	41,64,44,350	फरवरी-21	अगस्त-21	5
फरवरी-21	32,45,70,360	मार्च-21	अगस्त-21	4
मार्च-21	61,02,16,989	अप्रैल-21	अगस्त-21	3
अंतरण प्रविष्टि	33,35,103			
<b>योग (2020-21)</b>	<b>3,67,55,12,403</b>			

इस प्रकार, विभाग नियम, प्रावधानों और पीएसी के निर्देशों की पालना करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप निधि के हस्तान्तरण एवं बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए निधि के उपयोग में देरी हुई।

**आरक्षित निधि/जमा निधि में उपकर/अधिभार की अहस्तांतरित राशि इंगित करती है कि राज्य सरकार का राजस्व/राजकोषीय घाटा अहस्तांतरित राशि की सीमा तक कम बताया गया है और राज्य सरकार की बकाया देयता को दर्शाता है।**

#### 4.2 राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना

##### 4.2.1 राज्य सरकार की बजट से इतर उधार एवं आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि

राज्य सरकारें भारत की सीमा के भीतर राज्य की समेकित निधि की प्रत्याभूति पर धन उधार ले सकती हैं और ऐसी उधार की सीमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत विनियमित होती है। इन उधारों के अतिरिक्त राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिला परिषदों/कंपनियों/निगमों द्वारा बाजार/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति भी देती है, जो राज्य के बजट के बाहर परिलक्षित होते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए जुटाई गई निधियां इन जिला परिषदों/कंपनियों/निगमों द्वारा जुटाए गए संसाधनों से चुकायी जानी थी। यद्यपि, वास्तव में इनके द्वारा लिया गया उधार सरकार द्वारा चुकाया जाता है और अंततः राज्य सरकार की देनदारियों में बदल जाता है। तदनुसार, इन्हें बजट से इतर उधार कहा जा सकता है क्योंकि ये उधार बजट में शामिल नहीं हैं और विधायी नियंत्रण से बाहर हैं। राजस्थान में ऐसा एक मामला देखा गया, जिसको नीचे विवेचित किया गया है:

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार ने जिला परिषदों द्वारा मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सीएमबीपीएल) आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु शहरी आवास विकास निगम (हुडको) से प्राप्त ऋण राशि ₹3,948.66 करोड़ के ऋण के संबंध में प्रत्याभूति दी थी जिसमें से जिला परिषदों ने 2020-21 तक 3,624.48 करोड़<sup>9</sup> रुपये की कुल गारंटी का लाभ उठाया था। राज्य सरकार इन ऋणों के पेटे मूलधन और ब्याज का भुगतान करती रही है। लेखापरीक्षा

9. 2011-12: ₹945.37 करोड़, 2012-13: ₹840.19 करोड़, 2013-14: ₹958.51 करोड़, 2014-15: ₹600.64 करोड़, 2015-16: ₹160.52 करोड़, 2016-17: ₹61.34 करोड़, 2017-18: ₹6.34 करोड़, 2018-19: ₹1.16 करोड़, 2019-20: 'शून्य' एवं 2020-21: ₹50.41 करोड़।

संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा ₹282.01 करोड़ (मूलधन के रूप में ₹147.54 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹134.47 करोड़) 31 जिला परिषदों के पीड़ी खातों में, उनके द्वारा सीएमबीपीएल आवास योजना के लिए हुड़को से लिये गए ऋणों पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए हस्तांतरित किए गए थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा ₹1,901.54 करोड़ के प्रारम्भिक बकाया शेष में ₹50.41 करोड़ की प्रत्याभूति जोड़ने और ₹147.54 करोड़ की प्रत्याभूति का समायोजन करने के बाद वर्ष 2020-21 के अंत में ₹1,804.41 करोड़ की प्रत्याभूति शेष रही। वित्त विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2021) कि राज्य सरकार ने जिला परिषदों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इन ऋणों के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान करने के लिए अनुदान दिया।

यह इंगित करता है कि राज्य सरकार अपने योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए बजट से इतर उधार का सहारा ले रही है।

**तालिका 4.7: बजट से इतर उधारों की प्रवृत्ति**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि	जीएसडीपी	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	2018-19	2,137.42	9,21,789	0.23
2.	2019-20	2,901.54	9,98,999	0.29
3.	2020-21	1,804.41	9,57,912	0.19

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2021 के अंत में बकाया बजट से इतर उधार जीएसडीपी का 0.19 प्रतिशत (₹ 9,57,912 करोड़) है जो कि मार्च 2020 के अंत में जीएसडीपी (₹ 9,98,999 करोड़) के 0.29 प्रतिशत की तुलना में कम है। यदि वर्ष के दौरान ₹50.41 करोड़ के बजट से इतर उधार को शामिल किया जाता है तो राजकोषीय घाटा ₹ 59,376 करोड़ से बढ़कर ₹ 59,426 करोड़ हो जाता है जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

इस राशि के अलावा, कोई अन्य बजट से इतर उधार जो राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेगा, को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने पुनर्भुगतान देयता का स्वलासा नहीं किया था। यह भी उल्लेख करना उचित है कि राजस्थान सरकार ने सभी बजट से इतर उधारों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है।

#### 4.3 स्थानीय निधियों की जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 प्रावधित करती है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा-109-पंचायत निकाय निधियां) को संधारित करेंगे, जिसमें अधिनियम के तहत वसूल हुई या वसूली योग्य सभी राशि और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन राशि शामिल होंगी, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और उनका स्व-राजस्व जिसमें पंचायतों की कर और गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 यह परिकल्पित करती है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा धारित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत

वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशियां और नगर पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा-102-नगरपालिका निधि के तहत नगरपालिका निधि में रखी जाती हैं।

31 मार्च, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं की स्थानीय निधियों और नगरपालिका निधि में जमाओं की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे तालिका 4.8 में दी गई है:

**तालिका 4.8: स्थानीय निधियों की जमा**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	जिला परिषद निधि (8448-109-03)				पंचायत समिति निधि (8448-109-02)				वर्ष के अन्त में	नगरपालिका निधि (8448-102)			
		प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	व्यय	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	व्यय	अन्तिम शेष		कुल अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	व्यय
		1,436.20	4,412.58	3,879.91	1,968.87	893.1	1,091.19	967.73	1,016.56	2,985.43	616.93	2,217.67	1,903.89	930.71
1.	2015-16	1,968.87	3,044.50	3,330.05	1,683.32	1,016.56	1,546.68	1,283.19	1,280.05	2,963.37	930.71	2,647.54	2,160.13	1,418.12
2.	2016-17	1,683.32	2,220.82	2,032.13	1,872.01	1,280.05	1,599.99	1,430.26	1,449.78	3,321.79	1,418.12	2,351.12	2,117.23	1,652.01
3.	2017-18	1,872.01	1,781.83	2,144.98	1,508.86	1,449.78	1,776.44	1,762.27	1,463.95	2,972.81	1,652.01	2,527.25	2,775.08	1,404.17
4.	2018-19	1,508.86	1,198.28	1,407.07	1,300.07	1,463.95	3,205.03	3,496.43	1,172.55	2,472.62	1,404.17	2,874.08	2,835.52	1,442.73
5.	2019-20	1,300.07	1,318.54	1,128.13	1,490.48	1,172.55	1,797.45	1,545.79	1,424.21	2,914.69	1,442.73	4,591.66	3,614.48	2,419.91
6.	2020-21													

यह देखा गया कि 2015-21 के दौरान जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं नगरपालिका निधि में उल्लेखनीय शेष था। वर्ष 2020-21 के दौरान इन निधियों में क्रमशः ₹1,490.48 करोड़, ₹1,424.21 करोड़ और ₹2,419.91 करोड़ अन्तिम शेष थे।

ग्राम पंचायतें निकटतम अनुसूचित बैंक की शास्त्रा में भी खाते रखती हैं। ग्राम पंचायतों के इन खातों में शेष अप्रयुक्त निधियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इन विवरणों को न तो पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित किया गया था और न ही कोषालय लेखों में उपलब्ध कराया गया था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि लेखापरीक्षा आक्षेपों की अनुपालना में पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर ग्राम पंचायत लेखों में अप्रयुक्त निधियों के विवरण के संकलन हेतु पुनः निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग ने बजट परिपत्र (सितंबर 2020) के माध्यम से निर्देश दिये कि आईएफएमएस के पे-मैनेजर मॉड्यूल में सभी पीडी खातों की जानकारी नियंत्रण अधिकारी को अग्रेतर जांच/सत्यापित करने हेतु उपलब्ध करायी जाये और निष्क्रिय बैंक खातों को बंद किया जाए। तथापि, मांगे जाने पर भी इन आदेशों के अनुपालन की स्थिति विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई (दिसम्बर 2021)।

#### 4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम (जी एफ एंड ए आर), 2012 के नियम 284 एवं 286 में प्रावधित है कि एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से प्राप्त किए जाने चाहिए और सत्यापन के बाद उनकी स्वीकृति की दिनांक

से एक वर्ष के भीतर जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। इसी तरह, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई निधियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जहां अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया हो।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹41,024.82 करोड़<sup>10</sup> का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹30,686.40 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 12 (सहायतार्थ अनुदान गैर-वेतन) के तहत तथा ₹5,197.63 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 93-'पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान' के अंतर्गत जारी किये।

जून 2021 तक, विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2010-11 से 2019-20 से सम्बंधित ₹2,113.45 करोड़ के 837 उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गए, जैसा कि तालिका 4.9 में उल्लेखित है। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से, 559 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की राशि ₹1,300.07 करोड़ पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान से संबंधित थी। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आयुवार लंबित रहने को नीचे तालिका में सारांशीकृत किया गया है:

**तालिका 4.9: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		प्रस्तुतिकरण के लिए बकाया	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2017-18	62	2.34	308	51.32	175	47.69	195	5.98
2.	2018-19	195	5.98	808	970.43	233	35.80	770	940.61
3.	2019-20	770	940.61	1,364	2,392.01	1297	1219.17	837	2113.45

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

**तालिका 4.10: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्षवार व्योरा**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
1.	2010-11	5	0.03
2.	2011-12	5	0.04
3.	2012-13	7	0.11
4.	2013-14	8	0.06
5.	2014-15	3	0.01
6.	2017-18	111	2.90
7.	2018-19	87	331.62
8.	2019-20	611	1,778.68
	<b>योग</b>	<b>837</b>	<b>2,113.45</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

10. सामान्य उद्देश्य के लिये जारी अनुदान के अलावा जैसे कि वेतन एवं स्थापना और राज्य निधि या केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत योजना के लिए व्यय (₹ 5,132.98 करोड़), जिनके लिए जी एफ एंड ए आर के नियम 285 (4) के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आगे, राशि ₹ 7.81 करोड़ लघु शीर्ष-191 (₹ 2.36 करोड़), लघु शीर्ष-192 (₹ 5.35 करोड़) और लघु शीर्ष-196 (₹ 0.10 करोड़) के अंतर्गत वर्गीकृत की गई।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जून 2021 तक लम्बित 837 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से 282 उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगस्त 2021 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त हो चुके हैं।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की राशि का लगभग 94.59 प्रतिशत मुख्य रूप से परिवार कल्याण विभाग (98 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹1,250.06 करोड़), शिक्षा विभाग (34 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹172.43 करोड़), चिकित्सा शिक्षा विभाग (19 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹156.62 करोड़), स्थानीय निकाय विभाग (47 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 118.47 करोड़ और पंचायती राज विभाग (140 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹72.98 करोड़) से सम्बन्धित थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण नीचे तालिका 4.11 में सारांशीकृत किया गया है और चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है:


**तालिका 4.11: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभागवार स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
1.	परिवार कल्याण	98	1,250.06
2.	शिक्षा	34	172.43
3.	चिकित्सा शिक्षा	19	156.62
4.	स्थानीय निकाय	47	118.47
5.	पंचायती राज	140	72.98
6.	आयुर्वेद	6	33.50
7.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	3	32.90
8.	स्वेल-कूद	7	14.77
9.	आयुक्त, मिड-डे-मील	4	7.91
10.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	156	3.77
11.	वन	9	3.25
12.	अल्पसंस्वेक	2	2.59
13.	कला एवं संस्कृति	29	2.57
14.	विशेष योग्य जन निदेशालय	1	0.01
	योग	555	1,871.83

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

चार्ट 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र



कॉलेज शिक्षा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि अधीनस्थ कार्यालयों से बकाया राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वन विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि राज्यांश देरी से जारी होने के कारण वर्ष 2018-19 के लिए दिया गया अनुदान (₹3.25 करोड़) व्यय नहीं किया जा सका। वर्ष 2019-20 में राशि ₹1.38 करोड़ व्यय की गई और उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा गया। विभाग ने आगे अवगत कराया कि शेष राशि के उपयोग के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिए जाएंगे।

आयुर्वेद निदेशालय ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि स्वीकृत राशि ₹33.50 करोड़ (वर्ष 2019-20 में ₹ 33.13 करोड़ और 2018-19 में ₹ 0.37 करोड़) दिनांक 31.03.2020 को विभाग के पीडी खाते में जमा की गई। इसे वर्ष 2020-21 में कार्यकारी एजेंसियों को हस्तान्तरित किया गया। हस्तान्तरित राशि कार्यकारी एजेंसियों द्वारा व्यय की जा रही है और तदनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिए जाएंगे।

विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, उपरोक्त बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अलावा, निम्नलिखित विभागों/स्वायत्त निकायों को वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 950.99 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹ 602.44 करोड़ (63.35 प्रतिशत) का व्यय हुआ था। हांलाकि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को केवल राशि ₹ 550.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभाग/स्वायत्त निकायवार स्थिति को नीचे **तालिका 4.12** में सरांशीकृत किया गया है:

तालिका 4.12: विभाग/स्वायत्त निकायों के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग/स्वायत्त निकाय का नाम	सहायता अनुदान जारी करने का वर्ष	जारी सहायता अनुदान	व्यय	विभाग द्वारा भेजे गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र (5-6)	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (4-5)	अप्रयुक्त सहायता अनुदान (4-5)	कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014-15 से 2019-20	707.17	399.79	399.79	0	307.38	307.38
2.	राजस्थान स्वारथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	2019-20	47.66	35.03	0	35.03	12.63	47.66
3.	राजस्थान अनु.जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.	2014-15 से 2019-20	192.78	165.16	150.07	15.09	27.62	42.71
4.	राजस्थान मुस्लिम वकफ बोर्ड	2011-12 से 2017-18	3.38	2.46	0.89	1.57	0.92	2.49
	योग		950.99	602.44	550.75	51.69	348.55	400.24

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2011-12 से 2019-20 के दौरान इन स्वायत्त निकायों/विभागों को जारी ₹ 950.99 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान में से अभी तक ₹ 348.55 करोड़ (36.65 प्रतिशत) व्यय किया जाना शेष था। आगे, ₹ 1,871.83 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाण पत्रों के अलावा ₹ 400.24 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (₹ 348.55 करोड़ की अप्रयुक्त निधि और ₹ 51.69 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र) भी बकाया थे।

यह सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि विभागों ने जी एफ एंड ए आर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर खीकृतियों एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के संबंध में आवश्यक सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हक) को उपलब्ध नहीं करायी थी। बकाया रहना, अपर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग को भी दर्शाता है क्योंकि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई अनुदान की अधिकांश राशि विभाग/स्वायत्त निकायों के पास रखी है।

निर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमज़ोर करते हैं बल्कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता का संकेत देते हैं। वित्त विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2021) कि निदेशक, निरीक्षण विभाग ने सभी सम्बंधित विभागों को शीघ्रता से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

#### 4.4.1 अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना

सहायतार्थ अनुदान एक सरकारी निकाय/संस्थान/व्यक्ति द्वारा किसी अन्य सरकारी निकाय/ संस्था/व्यक्ति को दी गई सहायता, दान या योगदान की प्रकृति का भुगतान है। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ

अनुदान को तीन कार्यात्मक शीर्षों में विभाजित किया गया है (i) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन); (ii) 92-सहायतार्थ अनुदान (वेतन) और (iii) 93-पूँजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान। लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2020 के विनियम 88 प्रावधान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकारियों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, ऐसे निकाय और प्राधिकारी जिन्हें अनुदान और/या ऋण ₹10 लाख या उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, का एक विवरण (अ) सहायता की राशि (ब) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी; और (स) निकाय या प्राधिकारी का कुल व्यय दर्शाते हुए सम्बंधित महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार, सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल व्यय का 20.5 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल सहायतार्थ अनुदान ₹39,744.98 करोड़ में से, ₹12,431.88 करोड़ (31.28 प्रतिशत) की राशि 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को संवितरित की गयी, जहां 'अन्य' का अर्थ विभिन्न सरकारी विभागों से है, जैसा कि नीचे तालिका 4.13 में दिया गया है:

तालिका 4.13: संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर सरकारी संगठन, स्वायत्त निकाय, सहकारी समिति और संस्थान और सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण	21,142.87	25,223.22	24,837.17	30,802.52	27,312.80
2.	अन्य	11,749.33	9,761.88	10,025.04	10,222.30	12,431.88
	कुल अनुदान	32,892.20	34,985.10	34,862.21	41,024.82	39,744.68
	कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत	35.72	27.90	28.76	24.92	31.28
3.	राज्य का कुल व्यय	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071
4.	राज्य के कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत	20.94	20.85	18.59	21.21	20.48

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल अनुदान की कुल व्यय से प्रतिशतता 18.59 प्रतिशत से 21.21 प्रतिशत के बीच थी तथा 'अन्य' को दिया गया अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान के 24.92 प्रतिशत से 35.72 प्रतिशत के बीच था।

इसलिए, 'अन्य' प्रकार के संस्थानों के लिए सहायतार्थ अनुदान, राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुदानग्राही संस्थान के उपयुक्त लेखांकन के अभाव में वित्तीय रिपोर्टिंग/लेखों की पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

#### 4.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

##### सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमितता

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तैयार करके राशि आहरित करने के लिए नियंत्रण और संवितरण अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। उन्हें विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) कोषागार के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रस्तुत करना होता है। आगे नियम 220(1) एसी बिलों के आहरण से तीन महीने<sup>11</sup> की अवधि के भीतर डीसी बिलों को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि राज्य सरकार ने 30 जून 2021 को राशि ₹31.37 करोड़ के 117 बिलों के संबंध में डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए। बकाया डीसी बिलों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित तालिका 4.14 में दिया गया है:

तालिका 4.14: डीसी बिलों का बकाया प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	बकाया डीसी बिल	डीसी बिल की राशि
1.	2018-19 तक	17	16.13
2.	2019-20	7	0.29
3.	2020-21	93	14.95
	योग	117	31.37

स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार जून 2021 तक लम्बित 117 डीसी बिलों में से विभिन्न विभागों से अगस्त 2021 तक 69 डीसी बिल प्राप्त हो चुके हैं। बकाया 48 डीसी बिलों का आयु-वार विवरण निम्नलिखित तालिका 4.15 में दिया गया है:

तालिका 4.15: बकाया डीसी बिलों की आयु-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	आयु	बकाया डीसी बिलों की संख्या	राशि
1.	20 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य	5	0.01
2.	11 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य	1	2.92
3.	5 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य	1	1.04
4.	1 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य	10	5.12
5.	0 वर्ष से 1 वर्ष के मध्य	31	9.51
	योग	48	18.60

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि राशि ₹ 2.93 करोड़ की राशि के छह बिल 11 से 30 वर्षों से लम्बित थे और राशि ₹ 6.16 करोड़ की राशि के 11 बिल एक से 10 वर्षों से लम्बित थे।

11. सिवाय विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य सामान साथ पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों में, जहाँ डीसी बिल सक्षम अधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छ: महीने में प्रस्तुत किये जायेंगे।

अगस्त 2021 तक की अवधि के लिए बकाया एसी बिलों के साथ-साथ बकाया राशि का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नलिखित चार्ट 4.2 में प्रस्तुत किया गया है और परिशिष्ट 4.1 में विस्तृत है।

चार्ट 4.2: बकाया डीसी बिलों की विभागवार स्थिति



#### (i) डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना

मार्च 2020 तक आहरित किए गए 12 एसी बिल, जो 1 से 30 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बावजूद असमायोजित रहे, का विवरण निम्नलिखित तालिका 4.16 में दिया गया है।

तालिका 4.16: डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संस्था एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा बताये गए विलम्ब के कारण
1.	निदेशक, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	421/28.3.2018	66.50	अधिकांश उपकरण खरीदे जा चुके हैं। कुछ उपकरणों के लिए उच्च दर की प्राप्ति, तकनीकी बोली की अयोग्यता आदि जैसे कारणों से शेष डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
			285/13.3.2019	261.40	
			286/13.3.2019	161.97	
2.	निदेशक, एनसीसी, जयपुर	2204	77/21.12.2018	2.64	डीसी बिल कोषालय को प्रस्तुत कर दिया गया।
			70/10.12.2019	10.00	विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया (दिसम्बर 2021)।
			80/28.11.2019	0.29	
			59/25.5.2019	0.08	
3.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर	2051	299/6.10.2016	2.00	कार्मिक विभाग द्वारा अप्रचलित करेंसी नोटों को बैंक में समय पर जमा न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये गए हैं।
4.	राजस्व मण्डल, अजमेर	2029	183/5.03.2008	292.18	विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया (दिसम्बर 2021)।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा बताये गए विलम्ब के कारण
5.	सचिव, जीएडी (ग्रुप-4) सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर	2052	473/24.01.2020	1.50	विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया (दिसम्बर 2021)।
6.	आयुक्त राहत एवं आपदा प्रबंधन, जयपुर	2245	813/19.03.2013	103.50	पीडीआर अधिनियम के तहत उप स्पष्ट अधिकारी, राजगढ़ के स्तर पर वसूली की कार्रवाई लम्बित है।
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर	2217	22/11.11.2019	6.00	सम्बंधित कार्यकारी अधिकारी द्वारा बकाया डीसी बिलों को प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आगे, प्राथमिक शिक्षा (जालौर एवं बीकानेर), प्रौढ़ शिक्षा, राजसमंद एवं जिला परिषद, बाड़मेर से संबंधित शेष पांच बिल 1 से 30 वर्ष तक, विभाग में इन बिलों के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अभी भी लंबित हैं। इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार/नियंत्रक अधिकारी/संवितरण अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं।

पिछले वर्षों के लंबित डीसी बिलों की तुलना से पता चलता है कि इस संबंध में सुधार हुआ है। हालांकि, गबन, विमुद्रीकरण, राशि की वसूली और उपकरणों की स्वरीद में समायोजन प्रक्रिया से संबंधित कुछ बिल विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए जाने के बाद भी लंबित हैं। लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

एसी बिल पर धनराशि की निकासी को राज्य की समेकित निधि में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के विरुद्ध लेखाबद्ध किया जाता है। जब तक डीसी बिलों के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर स्थाते का निपटान नहीं हो जाता, तब तक व्यय उस सीमा तक बढ़ा रहता है। डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना, विभागों के साथ-साथ कोषालयों द्वारा अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

#### (ii) डीसी बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के नियम 8 (2) में निर्धारित किया गया है कि निधियों का आहरण तभी किया जाये जब तत्काल भुगतान किया जाना हो एवं व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में वर्ष 2020-21 के दौरान डीसी बिलों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलंब देखा गया। विवरण तालिका 4.17 में दिया गया है।

तालिका 4.17: डीसी बिल प्रस्तुत करने में देरी की मात्रा

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	देरी से जमा किए गए डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	चालान के माध्यम से जमा की गई राशि
1.	प्राचार्य एवं अतिरिक्त प्राचार्य एस पी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1 (1487)	33	0
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1 (1076)	20	0

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	देरी से जमा किए गए डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ)	बिलम् ब की अवधि (महीनों में)	चालान के माध्यम से जमा की गई राशि
3.	एनसीसी निदेशालय, जयपुर	3 (40,46, 20)	10 से 18	1.06
4.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	8 (507, 122, 514, 510, 195, 215, 259, 452)	10 से 20	0.48
5.	राजस्व मण्डल, अजमेर	2 (991, 512)	12 एवं 13	22.98
6.	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	1 (346)	15	0.62
7.	रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1 (87)	8	0
8.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1 (205)	10	0
9.	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	2 (46, 82)	7 एवं 9	0
10.	राज्य निर्वाचन आयोग विभाग, जयपुर	5 (112, 120, 201, 46, 18)	7 से 11	0.13
11.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन एवं सड़क)	1 (23)	7	0
12.	पुलिस महानिदेशक, जयपुर	3(283, 353, 395)	11 से 76	1.73
13.	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	2 (584, 490)	7 एवं 9	0
14.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	3 (368,347,348)	39 से 50	0
15.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1 (38)	15	0
16.	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	1(2029)	14	0
	योग	36		27.00

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, डीसी बिलों को प्रस्तुत करने में 7 महीने से 76 महीने तक की देरी थी जो इंगित करती है कि कुल ₹27 लाख की धनराशि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना आहरित की गई थी।

(iii) लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि एसी बिलों के माध्यम से आहरित ₹60.79 करोड़ के विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹59.44 करोड़ के 517 डीसी बिल प्राप्त हुए। इसके अलावा, 309 मामलों में चालान के माध्यम से ₹ 1.25 करोड़ की राशि सरकार को वापस जमा की गई थी जो दर्शाती है कि यह धनराशि बिना आवश्यकता के एसी बिलों के माध्यम से आहरित की गई थी।

आगे, कई मामलों में यह देखा गया था कि डीसी बिल प्रस्तुत करते समय चालान द्वारा महत्वपूर्ण राशि वापस जमा कर दी गई थी। विवरण निम्नलिखित तालिका 4.18 में दिया गया है।

तालिका 4.18: 25 प्रतिशत से अधिक राशि वापिस जमा करने वाले एसी बिलों का विवरण

क्र. सं.	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	वाउचर संख्या	एसी बिल राशि	शीर्ष	डीसी बिल संख्या एवं दिनांक	जमा की गई राशि	डीसी बिल राशि	(राशि ₹ में) एसी बिल के सम्बन्ध में जमा राशि का प्रतिशत
1.	33045/02-12-19	53879	40,000	3451-090-07-05	5/11-03-20	22,350	17,650	55.88
2.	20/25-06-19	19553	1,24,700	2204-102-01-02-29	1/25-03-21	60,065	64,635	48.17
3.	512/14-10-19	77528	52,00,000	2029-103-07-62	29/01-03-21	18,27,314	33,72,686	35.14

क्र. सं.	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	वाउचर संख्या	एसी बिल राशि	शीर्ष	डीरी बिल संख्या एवं दिनांक	जमा की गई राशि	डीरी बिल राशि	एसी बिल के सम्बन्ध में जमा राशि का प्रतिशत
4.	151/29-11-19	40614	4,00,000	2515-800-01-02-57	1/14-05-20	1,50,605	2,49,395	37.65
5.	282/13-03-20	84709	60,000	2515-800-01-02-57	16/22-06-20	26,400	33,600	44.00
6.	222/29-11-19	86911	39,000	3425-01-800-05-57	65/03-07-20	28,372	10,628	72.75
7.	34/05-11-19	80133	3,10,635	2204-102-01-03-29	54/05-03-20	93,725	2,16,910	30.17
8.	106/24-10-19	61930	32,500	3425-01-800-05-57	24/23-05-20	14,133	18,367	43.49
9.	108/24-10-19	61931	22,400	3425-01-800-05-57	22/23-05-20	6,650	15,750	29.69
10.	132/04-03-20	120967	1,45,000	2851-102-06-30	3/09-11-20	1,13,824	31,176	78.50
11.	138/08-01-20	88045	1,77,257	2204-102-01-03-29	42/20-08-20	51,558	1,25,699	29.09
12.	73/03-01-20	131434	2,22,856	2204-102-01-02-29	55/23-09-20	1,04,459	1,18,397	46.87
13.	55/16-01-20	56354	13,349	2204-102-01-03-29	74/12-03-20	6,208	7,141	46.51
14.	209/09-09-20	34114	1,15,810	2051-103-01-08	397/29-12-20	39,460	76,350	34.07
15.	104/18-11-20	84980	33,048	2204-102-01-03-29	121/05-01-21	10,807	22,241	32.70
16.	107/27-01-21	106393	13,330	2204-102-01-02-29	110/10-02-21	3,617	9,713	27.13
17.	297/19-11-20	49471	95,710	2051-103-01-08	464/15-02-21	25,628	70,082	26.78
18.	121/19-11-20	56019	7,00,000	2515-800-01-02-57	190/08-02-21	3,92,300	3,07,700	56.04
19.	110/11-12-20	79505	1,27,282	2204-102-01-02-29	145/25-02-21	79,387	47,895	62.37
20.	68/22-02-21	119552	29,007	2204-102-01-02-29	80/25-03-21	15,248	13,759	52.57
21.	83/02-03-21	109850	4,90,000	2403-001-02-02-59	96/30-03-21	1,92,268	2,97,732	39.24
22.	105/22-02-21	70729	18,186	2204-102-01-02-29	119/18-03-21	9,709	8,477	53.39
23.	57/28-10-20	57575	61,899	2217-80-191-09-57	159/04-03-21	43,853	18,046	70.85
24.	58/30-10-20	57761	99,840	2217-80-191-09-57	160/04-03-21	78,672	21,168	78.80
25.	149/17-03-21	121626	1,49,268	2851-102-06-29	1/23-04-21	76,460	72,808	51.22
26.	189/04-02-21	66949	1,25,000	2014-105-21-01-29	13/09-04-21	81,965	43,035	65.57
27.	194/08-02-21	66640	75,000	2014-105-21-01-29	12/09-04-21	46,650	28,350	62.20
28.	33012/14-08-20	26250	30,000	2052-090-01-01-05	1/14-10-20	10,800	19,200	36.00
29.	77/12-10-20	32808	10,00,000	2515-800-01-02-57	103/26-10-20	7,03,532	2,96,468	70.35

चालान के माध्यम से जमा की जा रही महत्वपूर्ण राशि इंगित करती है कि वास्तविक आवश्यकताओं के उचित मूल्यांकन के बिना एसी बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित की गई थी।

एसी बिलों के माध्यम से निधियों का अनियमित प्रतिधारण विभागों को बजट प्रावधान के व्यपगत होने से बचने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राशि व्यय करने की बजटीय मजबूरी को दरकिनार करने में सक्षम कर सकता है। इसलिए, राज्य सरकार पहले से आहरित एसी बिलों के लम्बित डीरी बिलों की नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है।

#### 4.6 निजी निक्षेप खाता

निजी निक्षेप खाता लोक लेखे के जमा शीर्ष के अंतर्गत संबंधित कोषालय के साथ स्वोला जाता है। ऐसे खातों को कोषालय में बैंक खाते के रूप में संधारित किया जाता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 260(1) प्रावधान करता है कि सरकारी लेखों में कोई भी धन राशि जमा के लिए प्राप्त नहीं कि जाएगी जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर सरकार की अभिरक्षा में रखने के लिए आवश्यक या अधिकत न हों। निजी निक्षेप खाता खोलने के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए राजस्थान कोषागार नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 37,714.41 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106- व्यक्तिगत जमा के अन्तर्गत निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित/जमा की गई, जिसमें से ₹26,691.69 करोड़ राज्य के समेकित निधि को नामे कर हस्तांतरित की गयी जो कुल व्यय (₹1,94,071 करोड़) का 13.75 प्रतिशत थी। राशि ₹26,691.69 करोड़ में से ₹5,913.31 करोड़ (22.15 प्रतिशत) केवल मार्च 2021 में पीड़ी खातों में हस्तांतरित की गई थी। राज्य बजट नियमावली के अनुसार, बजट अनुदानों के व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से धन का आहरण करने कि प्रथा और ऐसी राशि को सार्वजनिक खाते या बैंक में जमा करने की मनाही है। इसलिए, मार्च माह के दौरान निजी निक्षेप खातों में व्यापक राशि का हस्तांतरण राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है।

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार के निजी निक्षेप खातों (प्रचलित एवं अप्रचलित) की स्थिति नीचे तालिका

#### 4.19 में दी गई है:

तालिका 4.19: प्रचलित और अप्रचलित पीड़ी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	खातों की संख्या (01 अप्रैल, 2020 को)		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		पीड़ी खातों की संख्या (31 मार्च, 2021 को)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रचलित पीड़ी खाते	1,845	16,283.61	82*	37,714.62*	32**	39,616.92**	1,895	14,381.31
2.	अप्रचलित <sup>12</sup> पीड़ी खाते	55	5.46	32**	1.64**	54*	5.46*	33	1.64
	योग	1,900	16,289.07	114	37,716.26	86	39,622.38	1,928	14,382.95

\* 5 अप्रचलित पीड़ी खाते (₹0.21 करोड़) शामिल हैं जिन्हें वर्ष के दौरान प्रचलित किया गया था।

\*\* 32 पीड़ी खाते (₹ 1.64 करोड़) जो वर्ष के दौरान अप्रचलित हो गए तथा वर्ष के दौरान पीड़ी खातों से संवितरित ₹ 39,615.28 करोड़ शामिल हैं।

12. पांच वर्षों से अधिक से प्रचलित नहीं।

1,928 पीड़ी खातों में ₹14,382.95 करोड़ का अव्ययित शेष था जिसमें 22 पीड़ी खाते<sup>13</sup> (प्रत्येक में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की शेष राशि) जिनमें ₹8,610.34 करोड़ अर्थात् कुल अव्ययित शेष का 59.87 प्रतिशत था, शामिल हैं। वर्ष के दौरान 244 पीड़ी खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ पीड़ी खातों और उनकी शेष राशि का आयु-वार विवरण नीचे तालिका 4.20 में दिया गया है:

**तालिका 4.20: 31 मार्च 2021 को पीड़ी खातों का आयुवार विवरण**  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आयु वर्ग	पीड़ी खातों की संख्या	राशि (31 मार्च, 2021 को)
1.	0-1 वर्ष	77	51.73
2.	1-3 वर्ष	269	1,151.83
3.	3-5 वर्ष	216	4,120.5
4.	5-10 वर्ष	487	2,653.64
5.	10 वर्ष से अधिक	679	4,992.41
6.	विवरण उपलब्ध नहीं	200	1,412.84
	योग	1,928	14,382.95

पीड़ी खातों के विस्तृत विश्लेषण के दौरान, निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

#### 4.6.1 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)

राज्य सरकार ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अंशादान का उपयोग करने के लिए डीएमएफटी की स्थापना (जून 2016) की। डीएमएफटी निधि में कुल शेष ₹1,405.13 करोड़ था, जो 31 मार्च 2021 को राजस्थान में डीएमएफटी के 38 पीड़ी खातों में शेष था।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने देश में कोविड-19 के प्रसार के कारण हुई आर्थिक बाधाओं के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत राशि ₹1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा (26 मार्च 2020) की। इस पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकारों को डीएमएफटी में उपलब्ध निधि का उपयोग गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार कोविड-19 से प्रभावित रोगियों के परीक्षण के साथ-साथ महामारी का प्रसार रोकने के लिए चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने हेतु एक बारीय छूट प्रदान की गयी। राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्देशित किया (31 मार्च 2020) कि कोविड-19 से संबंधित व्यय

13. राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर (सचिवालय) (₹1,191.58 करोड़); इंदिरा आवास योजना, जयपुर (सचिवालय) (₹1,092.88 करोड़); प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (₹718.55 करोड़); राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त विकास निगम (₹591.33 करोड़); निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (₹531.36 करोड़); राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (ग्रामीण विकास विभाग) जयपुर (सचिवालय) (₹522.47 करोड़); निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर (सचिवालय) (₹427.52 करोड़); सचिव राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभियान जयपुर शहर (₹381.26 करोड़); राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, जयपुर शहर (₹365.17 करोड़); उप-प्रबंधक, राजस्थान राज्य कार्पोरेशन बैंक जयपुर शहर (₹352.08 करोड़); राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति, जयपुर (सचिवालय) (₹324.22 करोड़); आयुक्त टी.ए.डी., उदयपुर (₹282.24 करोड़); प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सचिवालय) (₹261.26 करोड़); राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर (सचिवालय) (₹235.37 करोड़); डीएमएफटी, चित्तौड़गढ़ (₹242.17 करोड़); डीएमएफटी, उदयपुर (ग्रामीण) (₹234.52 करोड़); जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर (₹148.40 करोड़); कृषक कल्याण कोष (के-3) जयपुर (शहर) (₹170.00 करोड़); डीएमएफटी, राजसमन्द (₹157.35 करोड़); राजस्थान अक्षय उर्जा विकास कोष, जयपुर (₹132.41 करोड़); अध्यक्ष, डीएमएफटी निधि, अजमेर (₹131.47 करोड़) एवं कोटा स्मार्ट सिटी लि., कोटा (₹116.73 करोड़)।

डीएमएफटी में उपलब्ध शेष राशि के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जिलों द्वारा डीएमएफटी निधि से कोविड-19 के लिए निधियों के उपयोग की सूचना नीचे **तालिका 4.21** में दी गई है:

**तालिका 4.21: कोविड-19 के लिए डीएमएफटी निधियों के उपयोग की जिलेवार स्थिति\***

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिले का नाम	31 मार्च, 2020 को शेष	मार्च, 2020 को शेष राशि का 30 प्रतिशत	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	उदयपुर	238.73	71.62	-	0.0
2.	झुंझुनू	22.04	6.61	0.84	12.7
3.	बाँसवाड़ा	15.27	4.58	0.14	3.1
4.	बूदी	14.84	4.45	0.43	9.7
5.	चितौड़गढ़	220.09	66.03	0.25	0.4
6.	बीकानेर	28.93	8.68	2.37	27.3
7.	अलवर	15.84	4.75	0.72	15.2
8.	जैसलमेर	37.04	11.11	-	0.0
9.	जोधपुर (ग्रामीण)	2.76	0.83	0.70	84.3
10.	हनुमानगढ़ <sup>#</sup>	5.07	1.52	-	0.0
11.	पाली	157.07	47.12	2.48	5.25
12.	भीलवाड़ा	876.08	262.82	3.41	1.30

\* अगस्त 2021 तक

# अप्रैल 2021 और जून 2021 में ₹ 1.08 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार कोविड-19 उपायों के लिए डीएमएफटी निधियों का उपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई एक बारीय छूट का लाभ नहीं उठा सकी क्योंकि जोधपुर (ग्रामीण) को छोड़कर, व्यय शून्य से 27.3 प्रतिशत के बीच रहा। शेष जिलों के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

#### 4.6.2 राजस्थान राज्य सङ्करित विकास एवं निर्माण लिमिटेड (आरएसआरडीसी)

एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नए मुर्दाघर के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राशि ₹215.36 लाख स्वीकृत<sup>14</sup> की गई थी। यह कार्य एक वर्ष में पूर्ण करना था। स्वीकृत राशि में से ₹100 लाख की राशि सितम्बर 2013 में आरएसआरडीसी के पीडी स्वाते<sup>15</sup> में हस्तांतरित<sup>16</sup> कर दी गई थी जो इस कार्य के लिए निष्पादन एजेन्सी थी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी (जुलाई 2021) जानकारी के अनुसार, नौ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी न तो कार्य पूर्ण हुआ और न ही आरएसआरडीसी द्वारा राशि को सरकारी स्वाते में वापस जमा किया गया। विभाग के उत्तर (जुलाई 2021) के अनुसार, नये मुर्दाघर का निर्माण कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया जा चुका है।

14. आदेश क्रमांक एफ-18 (16)/एमबी/ग्रुप.I/2012 दिनांक 21.06.2013

15. पीडी स्वाता सं. 3798

16. बजट शीर्ष 4210-03-105-01-90-17

इस सम्बन्ध में आरएसआरडीसी का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)। यह राज्य सरकार के स्तर पर अनुश्रवण में कमी और सरकारी धन के अवरुद्धिकरण की ओर इंगित करता है।

#### 4.6.3 निजी निक्षेप खातों का मिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264 (5) के अन्तर्गत पीड़ी खातों के प्रशासकों को इन खातों के शेष को कोषालय अधिकारियों (जहां विस्तृत लेखों को कोषालयों द्वारा संधारित किया जाता हैं) के साथ मिलान करना आवश्यक है। राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 99 में बताया गया है कि कोषालय/उप-कोषालय अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि के संबंध में प्रत्येक पीड़ी खाते के प्रशासक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2021 के अंत तक पीड़ी खाते के शेष की पुष्टि के संबंध में 8 कोषालयों<sup>17</sup> द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि 5 कोषालयों<sup>18</sup> के 5 पीड़ी खातों के मामले में कोषालयों और प्रशासकों के शेष के आंकड़ों में अंतर था, जो नियमानुसार मिलान की कमी को दर्शाता है।

पीड़ी खाते में शेष राशि का समय-समय पर मिलान नहीं करना सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए, पीड़ी खातों के प्रशासकों या कोषालय अधिकारियों द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ पीड़ी खातों की शेष राशि के मिलान के लिए एक प्रणाली विकसित की जा सकती है। आगे, राज्य सरकार द्वारा पीड़ी खातों में योजनावार शेष की सूचना संधारित नहीं की जाती है। राज्य को सभी पीड़ी खातों के लिए योजनावार लेखे संधारित करने चाहिए।

वित्त विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि सभी कोषालयों को पीड़ी खातों के प्रशासकों के साथ शेष राशि का मिलान करने और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वित्त विभाग ने निर्देश जारी किये (दिसम्बर 2021) कि पीड़ी खातों की शेष राशि का पीड़ी खातों के प्रशासकों द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ मिलान किया जावे।

#### 4.6.4 निजी निक्षेप खातों में प्रतिकूल शेष राशि

पीड़ी खातों के शेष की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि तीन पीड़ी खातों में ऋणात्मक शेष थे। विवरण नीचे तालिका 4.22 में दिया गया है:

तालिका 4.22: पीड़ी खाते में प्रतिकूल शेष

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कोषालय का नाम	पीड़ी खाता संस्था	पीड़ी खाते का विवरण	31 मार्च 2021 को शेष
1.	दौसा	3059	जिला अल्प बचत अधिकारी, दौसा	(-) 8,06,673
2.	दौसा	3064	वरिष्ठ उप जिला.शि.अ. सह ख.प्रा.शि.अ. सिकराय, दौसा	(-) 1,01,64,509
3.	जोधपुर (शहर)	4144	अधिशासी अभियन्ता, जन.स्वा.अभि. विभाग, खण्ड-II, जोधपुर (शहर)	(-) 23,35,858

17. अलवर, दौसा, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जयपुर (सचिवालय), सीकर, झुंझूनू एवं सवाई माधोपुर।

18. दौसा (1), जयपुर (शहर) (1), जयपुर (सचिवालय) (1), अलवर (1) एवं सीकर (1)

ऋणात्मक शेष उपलब्ध शेष/निधि से अधिक भुगतान को दर्शाता है जो कोषालय स्तर पर मिलान और पर्याप्त जांच की कमी को दर्शाता है।

वित्त (आर्थिक मामले) विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि सभी कोषालयों को महालेखाकार के कार्यालय के साथ पीड़ी खातों का तिमाही आधार पर मिलान एवं इस संबंध में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं (फरवरी 2021)।

#### 4.6.5 अप्रचलित निजी निष्क्रिय खाते

राजस्थान कोषागार नियम 2012 का नियम 98 प्रावधित करता है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने के लिए कोषाधिकारी प्रचलित पीड़ी खातों की समीक्षा करेगा और उन खातों की सूची तैयार करेगा जो पिछले पांच वर्षों से लगातार अप्रचलित रहे हैं।

विभिन्न विभागों के पीड़ी खातों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2021 तक, कुल 33 पीड़ी खाते जिनमें ₹1.64 करोड़ शेष थे पिछले पांच वर्षों (2016-21) से निष्क्रिय थे। इसमें से 12 निष्क्रिय पीड़ी खातों में पिछले पांच वर्षों से शून्य शेष हैं। इन पीड़ी खातों की वर्तमान स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है। सम्बन्धित कोषालयों द्वारा उपलब्ध करायी (जुलाई 2021) गई सूचना के अनुसार चार अप्रचलित पीड़ी खाते बंद कर दिए गए हैं।

पांच वर्षों से अप्रचलित रहने के बावजूद पीड़ी खातों को बंद न करना जी एफ एंड ए आर के नियम 264(2) और राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 98 के प्रावधानों का उल्लंघन है और कोषालय स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

#### 4.7 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां और 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राप्तियों या व्यय की बुकिंग को प्राप्तियों और व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है क्योंकि ये शीर्ष विशिष्ट योजनाओं / कार्यक्रमों आदि जिनसे राशि सम्बन्धित है को प्रकट नहीं करते हैं।

राज्य बजट नियमावली का परिशिष्ट 'अ' निर्धारित करता है कि प्राकलन अधिकारियों को पर्याप्त सावधानी यह सुनिश्चित करने के लिए रखनी चाहिए कि व्यय उचित विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और जहां तक संभव हो अन्य व्यय की श्रेणी के अन्तर्गत बुकिंग से बचा जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखों के शीर्ष जिनमें लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत बुक की गई राशि कुल प्राप्ति/व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है नीचे **तालिका 4.23** में दिए गए हैं:

तालिका 4.23: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत दर्ज


क्र. सं.	विवरण	प्राप्ति		व्यय	
		राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
1.	100%	128.33	0035, 0056, 0211, 0217, 0220, 0801,	4.55	2047, 5425

क्र. सं.	विवरण	प्राप्ति		व्यय	
		राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
			0851, 0852, 1452, 0235		
2.	75% से 99% के मध्य	511.86	0230, 0401, 0425, 0435, 515	25.36	3425, 4235
3.	50% से 74% के मध्य	885.18	0029, 0058, 0700, 0406, 1475	2,943.15	2040, 2700, 2701, 2702, 3055, 4401, 4575, 4885, 5475
	योग	1,525.37		2,973.06	


लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने पांच वर्ष की अवधि 2016-21 के दौरान इस लघु शीर्ष का बड़े पैमाने पर संचालन किया है। वे मामले जहां व्यय और प्राप्तियों के अत्यधिक भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, को **परिशिष्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के संचालन की सीमा संबंधित शीर्षों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.3** एवं **चार्ट 4.4** में दी गई हैं।

चार्ट 4.3: वर्ष 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



चार्ट 4.4: वर्ष 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन



सम्बंधित शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष-800 में दर्ज अत्यधिक राशि वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

#### 4.8 मुख्य उच्चत शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उच्चत शीर्ष, राज्य के शेषों को प्रभावित करने वाले नामे एवं जमा लेनदेनों के अंतिम समायोजन बकाया रहने तक अस्थाई सुविधा के लिए अभिप्रेत है। केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले लेनदेनों का लेखा भी इसी शीर्ष में रखा जाता है।

प्रेषण में सभी समायोजन शीर्ष शामिल हैं, जिसके अंतर्गत कोषालयों के मध्य नकद प्रेषण और विभिन्न लेखांकन क्षेत्रों के बीच हस्तांतरण प्रकट होते हैं। इन संभागों में शीर्ष के प्रारम्भिक नामे या जमा अंततः सम्बंधित प्राप्तियों या भुगतानों द्वारा या तो उसी क्षेत्र के खाते के बीच या किसी अन्य क्षेत्र के खाते में समायोजित हो जाती है। वित्त लेखे उच्चत और प्रेषण शीर्षों में निवल शेष को प्रतिबिम्बित करते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे और जमा शेष को अलग-अलग समेकित कर निकाला जाता है। उच्चत और प्रेषण मद का निपटान राज्य कोषालयों/निर्माण और वन खण्डों आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता है। भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा उच्चत शेषों के खाते उप/विस्तृत शीर्षवार संधारित करना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 8658-उच्चत खाता के अंतर्गत उच्चत लघु शीर्ष 101- पीएओ उच्चत, 102- उच्चत लेखा (सिविल) और 112- स्नोतों पर कर कटौती में लेनदेनों एवं निवल शेषों को नीचे **तालिका 4.24** में वर्णित किया गया है।

तालिका: 4.24 उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु शीर्ष	2018-19		2019-20		2020-21	
	<b>मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त</b>						
1	101- पीएओ उचन्त	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
	निवल	<b>नामे 122.83</b>		<b>नामे 119.42</b>		<b>नामे 135.72</b>	
2	102 - उचन्त लेखे- सिविल	0.83	3.15	0.38	76.18	6.69	111.49
	निवल	<b>जमा 2.32</b>		<b>जमा 75.80</b>		<b>जमा 104.80</b>	
3	106 -संचार लेखा कार्यालय उचन्त	-*	-	-*	-	-*	
	निवल	<b>नामे -*</b>		<b>नामे -*</b>		<b>नामे -*</b>	
4	109 - रिजर्व बैंक उचन्त मुख्यालय	-	-	-#	-@	-#	
	निवल	<b>-</b>		<b>नामे-\$</b>		<b>नामे -#</b>	
5	112-स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त	-	<b>48.14</b>	-	<b>42.98</b>	-	<b>136.75</b>
	निवल	<b>जमा 48.14</b>		<b>जमा 42.98</b>		<b>जमा 136.75</b>	
6	123-असिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	-	0.16	-	0.17	-	0.17
	निवल	<b>जमा 0.16</b>		<b>जमा 0.17</b>		<b>जमा 0.17</b>	
7	129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 3.20	-	(-) 3.27	-	(-) 3.50
	निवल	<b>जमा (-) 3.20</b>		<b>जमा (-) 3.27</b>		<b>जमा (-) 3.50</b>	
8	139-स्रोत पर जीएसटी कटौती उचन्त	-	-	-	33.62	-	52.70
	निवल	<b>-</b>		<b>जमा 33.62</b>		<b>जमा 52.70</b>	
	निवल योग	<b>नामे 75.41</b>		<b>जमा 29.88</b>		<b>जमा 155.20</b>	
	<b>मुख्य शीर्ष 8782-नकद प्रेषण</b>						
9	102-पी डब्लू प्रेषण	32.95	33.28	27.98	30.57	26.47	28.78
	निवल	<b>जमा 0.33</b>		<b>जमा 2.59</b>		<b>जमा 2.31</b>	
10	103-वन प्रेषण	1.75	0.14	0.05	0.13	0.05	0.13
	निवल	<b>नामे 1.61</b>		<b>नामे 0.08</b>		<b>नामे 0.08</b>	
11	108-अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	-	0.03	-	0.03	-
	निवल	<b>नामे 0.03</b>		<b>नामे 0.03</b>		<b>नामे 0.03</b>	
12	129-इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत हस्तांतरण	77.41	76.67	77.41	76.67	77.41	76.67
	निवल	<b>नामे 0.74</b>		<b>नामे 0.74</b>		<b>नामे 0.74</b>	
	निवल योग	<b>नामे 2.05</b>		<b>जमा 1.79</b>		<b>जमा 1.62</b>	

\* ₹588 मात्र, # ₹4213 मात्र @ ₹240 मात्र \$ ₹3973 मात्र

गत तीन वर्षों के लिए मुख्य उचंत और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति से पता चलता है कि वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेख' के अंतर्गत कुल निवल शेष में 2019-20 से 2020-21 तक ₹ 125.32 करोड़ की जमा शेष वृद्धि दर्ज की गई है।

#### ● भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ)-उचन्त (लघु शीर्ष 101)

यह लघु शीर्ष एक केन्द्रीय भुगतान और लेखा अधिकारी, संघ शासित प्रदेशों के अलग लेखा अधिकारी और महालेखाकार जहाँ अन्य पक्ष भुगतान और लेखा अधिकारी है, के लेखों में होने वाले अंतर-सरकारी लेन-देनों के प्रारम्भिक अभिलेख के लिए अभिप्रेत है। इस शीर्ष में प्रत्येक लेखाधिकारी, जिसके साथ लेनदेनों का समायोजन किया जाना है, के लिए पृथक से उप-शीर्ष खोला जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया नामे शेष भुगतानों, जो वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा दूसरों की ओर से किए गए हैं और अभी तक वसूल नहीं किए जा सके हैं को इंगित करते हैं और जमा शेष, राशि जिसका अभी भुगतान किया जाना है को प्रदर्शित करते हैं।

मार्च 2021 के अंत में इस स्थाते में बकाया नामे शेष ₹143.76 करोड़ और जमा शेष ₹8.04 करोड़ था। बकाया नामे शेष मुख्य रूप से पीएओ, केन्द्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (₹135.25 करोड़) और पीएओ (एनएच), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (₹7.95 करोड़) से संबंधित है, जबकि जमा शेष मुख्यतः पीएओ (एनएच), स्वनन मंत्रालय (₹ 6.78 करोड़) से सम्बन्धित है।

#### ● उचंत लेखा सिविल (लघु शीर्ष 102)

यह लघु शीर्ष महालेखाकार द्वारा संचालित होता है, जो लेनदेनों में पाए गए अंतरों को अंतिम रूप से समायोजित करने के लिए होता है, जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति/व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लेखे में प्राप्तियों को जमा तथा व्यय को नामे किया जाता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर क्रमशः ऋणात्मक जमा और ऋणात्मक नामे कर निपटान किया जाता है।

मार्च 2021 के अंत तक इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया मुख्य जमा शेष विफल ई-भुगतान (₹105.07 करोड़), आरआईएसएल शुल्क (सिविल जमा: ₹ 2.09 करोड़ और कार्य जमा: ₹4.23 करोड़), सीडीए<sup>19</sup> (पेंशन), इलाहाबाद (₹ 0.02 करोड़) और सीडीए (एससी<sup>20</sup>), पुणे (₹0.34 करोड़) के संबंध में थे।

#### ● स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त (लघु शीर्ष 112)

यह लघु शीर्ष स्रोतों पर आयकर कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के लिए है। टीडीएस प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखा के अंतर्गत लघु शीर्ष 112- टीडीएस उचन्त में जमा किया जाता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत तक इन जमाओं को समायोजित किया जाता है और आयकर विभाग को जमा किया जाता है।

यद्यपि, 31 मार्च 2021 को इसमें ₹136.75 करोड़ का बकाया था, जो आयकर विभाग को जमा किया जाना था।

---

19. रक्षा लेखा नियन्त्रक

20. दक्षिणी कमान

### • डीडीआर शीर्षों में प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष लेखों के उन शीर्षों में प्रकट होने वाले नकारात्मक शेष हैं, जहाँ नकारात्मक शेष नहीं होने चाहिए और इसके विपरीत हैं।

31 मार्च 2021 को 12 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के 66 मामलों<sup>21</sup> में ₹ 2,294.60 करोड़ की राशि के प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यतः नगर परिषदों / नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन निधि (₹ 2,288.87 करोड़) के अंतर्गत था। इन डीडीआर शीर्षों में प्रतिकूल शेषों को प्राथमिकता के आधार पर अंक मिलान और समायोजित करने की आवश्यकता है।

### 4.9 विभागीय आँकड़ों का मिलान

आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्ति और व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। जी एफ एंड एआर के नियम 11(3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आँकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आँकड़ों से मिलान करना आवश्यक है।

वर्ष 2020-21 के दौरान (i) 434 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल व्यय ₹2,35,093.90 करोड़ (निवल) और (ii) 182 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल प्राप्तियों ₹2,24,659.49 करोड़ (निवल) (विविध पूंजीगत प्राप्तियों सहित) का शत प्रतिशत अंक मिलान किया गया। वास्तव में, गत पांच वर्षों से राज्य सरकार व्यय एवं प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंक मिलान पूर्ण करती रही है।

### 4.10 नकद शेष का मिलान

‘रिजर्व बैंक के पास जमा’ का शेष सरकारी लेखे के अनुसार शेष को प्रदर्शित करता है, जिसमें 15 अप्रैल 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित अन्तर सरकारी मौद्रिक परिशोधन शामिल है। खाते में दर्शाए गए आँकड़े [₹ 20.99 करोड़ (नामें)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए [₹ 18.92 करोड़ (जमा)] आँकड़े के बीच ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का निवल अंतर था। इसमें से ₹ 1.96 करोड़ (जमा) का अंक मिलान कर निपटान कर दिया गया है, जबकि ₹ 0.11 करोड़ (जमा) अंक मिलान हेतु लंबित है (जून 2021)।

### 4.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति संघ एवं राज्यों के लेखों के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में जवाबदेही तंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक निर्धारित करने के लिए सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी

21. भवन ऋण (एक प्रकरण: मात्र ₹21,420); फसल कृषिकर्म के लिए ऋण (एक प्रकरण: मात्र ₹200); सहकारिता के लिए ऋण (एक प्रकरण: ₹0.03 करोड़); अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण (एक प्रकरण: मात्र ₹5000); सरकारी कर्मचारियों को ऋण (45 प्रकरण: ₹2.82 करोड़); राज्य प्रावधारी निधि (एक प्रकरण: ₹0.01 करोड़); बीमा एवं पेंशन निधियां (एक प्रकरण: ₹2,288.87 करोड़); सिविल डिपोजिट (एक प्रकरण: मात्र ₹10); स्थानीय निधि जमा (तीन प्रकरण: ₹0.01 करोड़); रोकड़ प्रेषण एवं समान अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन (तीन प्रकरण: ₹2.74 करोड़) एवं अंतर-राज्य उचंत स्थाता (सात प्रकरण: मात्र ₹0.10 करोड़)।

लेखांकन मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए। निम्न तालिका 4.25 इन तीन लेखांकन मानकों के अनुपालन की स्थिति को दर्शाती है।

**4.25: लेखांकन मानकों का अनुपालन**

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
1.	आईजीएएस :1—सरकार द्वारा की गई गारंटी प्रकटीकरण की आवश्यकताएं	इस मानक में सरकार को अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान (वर्ष और क्षेत्रवार) अधिकतम गारंटी राशि के साथ वृद्धि, कमी, नहीं चुकाई गई, चुकाई गई और वर्ष के आरम्भ और अन्त में बकाया, अनुदानदाता कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।	अनुपालना की गई	---
2.	आईजीएएस:2— सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण	सरकार को, सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में अंतिम उपयोग पर विचार किये बिना वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान को प्रफृट करने की आवश्यकता होती है।	आंशिक रूप से अनुपालन, वर्धोंकि राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है।	लेखांकन मानक के अनुसार सहायतार्थ अनुदान की प्रकृति के प्रकटीकरण का अभाव पाया गया।
3.	आईजीएएस:3- सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की पहचान, माप और मूल्यांकन और रिपोर्टिंग तथा अपने वित्तीय विवरणों में सरकार द्वारा लिए दिये गये ऋण एवं अग्रिम को पूर्ण, सही और एक समान लेखांकन और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया। अवसूलनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे साते डालने, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर इकाई वार जमा व्याज का विवरण, वर्ष के दौरान वितरित नए ऋण एवं अग्रिम के कारण, और बकाया मूलधन और व्याज के विवरण जहाँ विस्तृत लेखे राज्य द्वारा संधारित किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के प्रकटीकरण की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है।

#### **4.12 स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना**

राज्य के 43 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों<sup>22</sup> के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपी गयी। सितम्बर 2021 तक, सभी 43 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2019-20 तक के लेखे, सिवाय कैम्पा के वर्ष 2013-14 से 2019 -20 तक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), प्रतापगढ़ के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के और भवन

22. राजस्थान सादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू), जयपुर; राजस्थान विद्युत नियामक निगम; राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा); राज्य क्षतिपूरक वनीकरण एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा); राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसीडब्लू) के 2019-20 के लेखों को छोड़कर प्राप्त हो चुके हैं।

#### 4.13 विभागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कंपनियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करना आवश्यक है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 प्रतिवेदित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उक्त एजीएम में उनके विचार के लिए रखे जाने चाहिए। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, किसी सरकारी कम्पनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन इस वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन माह में तैयार किये जाने चाहिए। इस प्रकार की तैयारी के शीघ्र बाद ही वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और इस पर सीएजी द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी अथवा पूरक के साथ राज्य विधानसभा के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए।

लेखों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधानमंडल के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच से बच जाते हैं। इसके फलस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय यदि कोई आवश्यक हो, समय से नहीं लिए जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, राज्य के 45 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनकी कुल चुकता पूँजी ₹52,112.06 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश ₹51,265.97 करोड़ शामिल था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित घाटा ₹96,905.95 करोड़ था (**परिशिष्ट 4.4**)। पूँजी निवेश की तुलना में संचित घाटे की अधिक मात्रा यह दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समग्र पूँजी पूर्ण रूप से अपक्षरित हो चुकी है और नकारात्मक निवल मूल्य ₹44,793.89 करोड़ में परिणित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, निवेश और संचित घाटे (हानि) (96,905.95 करोड़) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 45 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 13 में यह अपक्षरण (₹61,810.93 करोड़) हुआ है। निवेश के अपक्षरण में ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का मुख्य योगदान था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया लेखों का आयु-वार विश्लेषण नीचे **तालिका 4.26** में दिया गया है :

**तालिका 4.26:** लेखों का आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखे कब से लंबित हैं	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	सरकारी निवेश
1.	2015-16	01	6.01
2.	2016-17	00	0.00
3.	2017-18	02	52.16
4.	2018-19	01	21.95
5.	2019-20	02	86.50

क्र.सं.	लेखे कब से लंबित हैं	सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों की संख्या	सरकारी निवेश
	योग	06	160.62

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 30 सितम्बर 2021 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 45 उपकरणों में से 6 उपकरणों के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लेखे बकाया हैं, जिनमें सरकार द्वारा कुल ₹160.62 करोड़ निवेश किया हुआ है।

#### 4.14 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखा हुआ सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियां, टिकटों, भंडार या अन्य सम्पत्ति की हानि दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान, हानि इत्यादि के कारण नुकसान जो कोषालय या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में ज्ञात होती है की सूचना संबंधित अधिकारी अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ महालेखाकार को तुरन्त देंगे।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 तक विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन (302) और चोरी/हानि (461) के राशि ₹118.30 करोड़ के 763 प्रकरण सूचित किये, जिस पर अंतिम कार्यवाही जून 2021 तक लंबित थी। विवरण नीचे तालिका 4.27 में दिया गया है।

तालिका 4.27: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन, हानि, चोरी के प्रकरण	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निरस्तारण में देशी के कारण						
			विभागीय और आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया (वसूली और अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित)		आपराधिक कार्यवाही पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित (न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित)		
			प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
1.	निर्माण विभाग	262	9.77	64	4.57	181	3.47	17	1.72
2.	शिक्षा विभाग	153	50.20	45	39.50	83	9.51	25	1.20
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	119	25.36	98	22.46	18	1.34	3	1.55
4.	चिकित्सा विभाग	69	7.22	39	4.81	8	0.98	22	1.44
5.	राजस्व विभाग	55	12.62	37	4.69	11	7.62	7	0.30
6.	स्वायत्तं शासन विभाग	8	0.45	1	0.03	7	0.43	0	0.00
7.	अन्य विभाग	97	12.68	31	2.13	54	9.36	12	1.19
	योग	763	118.30	315	78.19	362	32.71	86	7.40

लंबित प्रकरणों का विभाग वार विश्लेषण **परिशिष्ट 4.5** में दिया गया है। लंबित प्रकरणों की एक रूपरेखा तथा चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के प्रत्येक श्रेणी में लंबित प्रकरणों की संख्या को नीचे **तालिका 4.28** में सारांशीकृत किया गया है:

**तालिका 4.28: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि का विवरण**

क्र.सं.	लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	चोरी/हानि	461	20.21
2.	दुर्विनियोजन	302	98.09
	<b>कुल लंबित प्रकरण</b>	<b>763</b>	<b>118.30</b>

आगे विश्लेषण उन कारणों को इंगित करता है, जिनके कारण प्रकरण बकाया थे और निम्नलिखित **तालिका 4.29** में सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

**तालिका 4.29: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण**

क्र.सं.	प्रकरणों के देरी/बकाया के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	विभागीय कार्यवाही अपेक्षित	315	78.19
2.	वसूली के आदेश प्रतीक्षित	326	32.04
3.	अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	36	0.67
4.	न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित	86	7.40
	<b>योग</b>	<b>763</b>	<b>118.30</b>

लंबित दुर्विनियोजन प्रकरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रकरण मुख्यतः रोकड़ पुरितिका में जालसाजी, भंडार में रखे स्टॉक में गोलमाल, जाली बिलों/चैको द्वारा भुगतान/आहरण, सरकारी धनराशि बैंक में जमा नहीं करने इत्यादि से सम्बन्धित थे। चोरी/हानि के प्रकरण रोकड़, भंडार / स्टॉक, वाहन तथा वाहनों के कलपुर्जे, मशीनों एवं उपकरण इत्यादि की चोरी से सम्बन्धित थे। कुल 763 प्रकरणों में से राशि ₹ 32.71 करोड़ के 362 प्रकरण<sup>23</sup> वसूली/अपलेखन के लिए आदेशों की अपेक्षा में लम्बित थे तथा शेष प्रकरण विभागीय और न्यायिक कार्यवाही की अपेक्षा में लंबित थे।

#### 4.15 पेंशन का अधिक/कम भुगतान

**कोषागार द्वारा निर्धारित जाँच करने में विफलता पेंशन/पारिवारिक पेंशन का कम/अधिक/अनियमित भुगतान का कारण बनी**

राजरथान सिविल सेवा नियम, 1996 (पेंशन) के परिशिष्ट VI (क्रम संख्या 9) प्रावधित करता है कि कोषाधिकारी (टीओ) अपने द्वारा संधारित अभिलेखों के सन्दर्भ में बैंक द्वारा किए गए भुगतानों की यथार्थता की जांच करेगा तथा लेनदेन को उसके लेखों में शामिल करेगा।

नौ जिलों में 11 बैंकों, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय और 57 कोषालयों/उप-कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) में पाया गया कि 09 बैंकों और 23 कोषालयों/उप-कोषालयों में 146 मामलों में ₹94.49 लाख की अनियमितताएं और पेंशन / पारिवारिक

23. 326 वसूली के आदेशों की प्रतीक्षा में + 36 अपलेखन के आदेशों की प्रतीक्षा में।

पेंशन का अधिक भुगतान किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 4.6** में वर्णित है। आगे, यह भी देखा गया कि 10 बैंकों ने 31 पेंशनभोगियों को ₹28.59 लाख का कम भुगतान किया।

पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अधिक/कम भुगतान के मामलों का उल्लेख वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल/जीएंडएसएस/राज्य वित्त) में भी किया गया है। विभाग के आदेश/निर्देश (अप्रैल 2014/फरवरी 2017) और भविष्य में पेंशन के भुगतान में इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के सम्बन्ध में जन लेखा समिति (पीएसी) (फरवरी 2018) की सिफारिश का सतर्कता से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन के अधिक/कम भुगतान के मामलों की पुनरावृत्ति हुई।

#### **4.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही**

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 राज्य विधानसभा में अगस्त 2020 में प्रस्तुत किया गया था। पीएसी ने वर्ष 2016-17 तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा और सिफारिशों की। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदनों के लिए आठ विभागों (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, स्वान, माध्यमिक शिक्षा, वन, उच्च शिक्षा, विकित्सा शिक्षा, पीएचईडी और महिला एवं बाल विकास) से सम्बन्धित चार अनुच्छेदों पर पीएसी चर्चा आयोजित की गई थी। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सात अनुच्छेद चर्चा/प्रतिवेदन लेखन के लिए लंबित हैं। ये अनुच्छेद प्रमुख परियोजना/नीतिगत पहलों और बजट भाषण 2018-19 पर की गई कार्यवाही की स्थिति, निरन्तर बचतें, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी, निजी निक्षेप स्वातंत्र्य, लिंग आधारित बजट और आरक्षित निधि से संबंधित हैं।

बकाया एटीएन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के अनुच्छेदों पर 13 विभागों से संबंधित 9 एटीएन 30 सितम्बर 2021 तक लम्बित थे।

#### **4.17 निष्कर्ष**

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
एसी बिलों की घटती संख्या	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बढ़ती संख्या
व्यय और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत मिलान	स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया वार्षिक लेखे
	लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत अत्यधिक राशि की बुकिंग
	ग्राम पंचायतों के बैंक स्थानों के शेषों के विवरण का पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर संकलन नहीं होना
	पीडी खातों में योजनावार शेष का संधारण नहीं किया जाना

#### **4.18 सिफारिशें**

- ऋण जिनके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, को राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में सरकार के दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए।
- सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर सकती है।

- iii. वित्त विभाग सभी पीडी खातों की यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा कर सकता है कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से शेष सभी राशियों को यथाशीघ्र समेकित निधि में भेज दिया गया है। इसके अलावा, सभी पीडी खातों के लिए योजना-वार खाता संधारित किया जाना चाहिए।
- iv. दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकती है।
- v. सरकार सारांशीकृत आकस्मिक बिलों का समायोजन निर्धारित अवधि के भीतर करने पर विचार कर सकती है और लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का नियमित अनुश्रवण कर सकती है।

## अनादि मिश्र

जयपुर,  
22 मार्च, 2022

(अनादि मिश्र)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)  
राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,  
23 मार्च, 2022

  
(गिरीश चंद्र मुक्के)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



## परिशिष्ट -1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

### राज्य के वित्तीय आंकड़े<sup>१</sup>

#### वित्तीय आंकड़े

चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के सन्दर्भ में	सीएजीआर		सीएजीआर		वार्षिक वृद्धि		वार्षिक वृद्धि		
	2011-12 से 2014-15		2015-16 से 2018-19		2018-19 से 2019-20		2019-20 से 2020-21		
	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	
(प्रतिशत में )									
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	13.49	17.01	11.85	11.19	2.08	1.63	-4.56	-4.14
ख.	स्व-कर राजस्व	11.86	15.07	11.04	10.34	2.12	3.25	-4.43	1.75
ग.	कर-भिन्न राजस्व	14.75	12.98	10.88	19.40	23.38	-15.53	-35.60	-13.12
घ.	कुल व्यय	14.99	21.63	10.54	4.39	4.16	3.16	4.54	0.32
ङ.	पूंजीगत व्यय कर्जे एवं अग्रिम सहित	13.26	26.87	3.45	-29.25	-5.55	-18.21	-2.36	-7.13
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.28	18.75	8.89	18.06	11.97	-2.98	-1.32	4.16
छ.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	19.11	22.23	14.74	16.52	8.27	2.64	14.65	2.80
ज.	बैतन एवं मजदूरी	10.09	14.03	10.33	24.39	9.07	-1.45	2.27	5.20
झ.	पेंशन	12.99	17.60	15.32	23.36	10.46	1.79	6.02	8.09

१ राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित वित्तीय आंकड़े।

**परिशिष्ट-1.2**

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 9)

**31 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार की सारान्शीकृत वित्तीय स्थिति**

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2020 को	31.03.2021 को
आंतरिक ऋण -	2,42,077.41	2,84,788.78
ब्याज वाले बाजार ऋण	1,68,858.92	2,20,037.92
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.08	0.05
भारतीय जीवन बीम निगम से ऋण	15.36	12.53
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अत्य बचत निधि को जारी विशेष प्रतिमूलियां	13,823.56	12,238.80
अन्य संस्थानों से ऋण	59,379.49	52,499.48
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम -	17,302.50	23,532.15
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	5.40	5.41
गैर-आयोजना ऋण	19.46	15.55
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	2,751.70	2,245.17
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.05	-
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	11.31	3.05
राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित राज्यों के लिए अन्य ऋण	14,514.58	21,262.97
आकर्षिकता निधि	500.00	500.00
लघु बचतें, सामान्य भविष्य निधि, इत्यादि	51,468.62	56,325.69
जमायें	33,842.46	36,713.81
आरक्षित निधियां	9,881.68	11,242.77
प्रेषण शेष	-	1.50
योग	3,55,072.67	4,13,104.70

सम्पत्तियां	31.03.2020 को	31.03.2021 को
स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय-	2,02,806.46	2,18,062.87 <sup>1</sup>
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	52,208.91	52,784.40
अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,50,597.55	1,65,278.47
ऋण एवं अग्रिम-	9,847.92	9,965.41
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	5,641.14	5,516.08
अन्य विकासात्मक ऋण	4,208.56	4,451.19
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-)1.78	(-)1.86 <sup>2</sup>
आरक्षित निधि निवेश	1,870.87	2,103.74
अग्रिम	3.21	3.17
प्रेषण शेष	10.37	-
उचंत एवं विविध शेष	120.15	4.06

- वर्ष के अंत तक सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 14.08 करोड़ (पूँजीगत विनिवेश) की प्रोफोर्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियां ‘शून्य’ दर्शायी गयी हैं।
- ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

सम्पत्तियां	31.03.2020 को	31.03.2021 को
<b>रोकड़-</b>	<b>5,833.54</b>	<b>4,383.77</b>
कोषालयों में रोकड़ तथा रथानीय प्रेषण	(-) 26.91	(-) 80.96
रिजर्व बैंक के पास जमा	49.03	20.99
विभागीय रोकड़ शेष	0.85	0.77
स्थायी अग्रिम	2.84	2.84
रोकड़ शेष निवेश	5,807.73	4,440.13
<b>सरकारी लेखे पर घाटा-</b>	<b>1,34,580.15</b>	<b>1,78,581.68</b>
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	36,371.29	44,001.53
(ii) आकरिमकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	98,208.86	1,34,580.15
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
योग	<b>3,55,072.67</b>	<b>4,13,104.70</b>

### परिशिष्ट 1.2 एवं 2.1 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

पूर्व वृत्ति विवरण पत्रों में दिए गये सारान्शीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गयी टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखों में घाटा, जैसा **परिशिष्ट 1.2** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टाक आंकड़ों में अंतर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गए चैक, राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटान बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये गये आंकड़ों के मध्य ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का अंतर था। आगे, ₹ 0.11 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी बकाया है और समायोजन के अधीन है।

## परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 19)

वर्ष 2020-21 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ	1,40,113.81	1,34,307.88	I. राजस्व व्यय	1,76,485.10	1,61,561.21	16,748.20	1,78,309.41
कर राजस्व	59,244.98	60,283.44	सामान्य सेवायें	56,186.29	60,107.40	36.44	60,143.84
			सामाजिक सेवायें	68,313.23	63,185.91	10,823.68	74,009.59
कर-भिन्न राजस्व	15,714.16	13,653.02	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	33,525.28	32,091.51	2,818.68	34,910.19
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11,661.63	9,373.81	2,614.33	11,988.14
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	36,049.14	35,575.77	जलापूर्ति, स्पष्टता, आवासन एवं शहरी विकास	7,743.32	8,389.86	1,147.02	9,536.88
			सूचना एवं प्रसारण	90.15	147.26	-	147.26
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्गों का कल्याण	1,755.18	964.34	587.18	1,551.52
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम एवं श्रम कल्याण	932.44	1,113.26	24.89	1,138.15
			समाज कल्याण एवं पोषण	12,544.64	11,046.52	3,631.58	14,678.10
			अन्य	60.59	59.35	-	59.35
केंद्र एवं केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	आर्थिक सेवायें	51,985.51	38,267.83	5,888.08	44,155.91
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	10,315.88	11,499.48	550.99	12,050.47
			ग्रामीण विकास	12,604.64	7,118.48	4,628.05	11,746.53

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
केंद्र प्रवर्तित योजनायें	14,966.05	12,595.43	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.55	0.74	0.03	0.77
			सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	1,795.35	1,994.74	2.10	1,996.84
वित्त आयोग अनुदान	7,331.55	6,236.50	उर्जा	22,749.71	14,266.71	-	14,266.71
			उद्योग एवं स्थानिज	402.04	268.47	-	268.47
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	6,807.93	5,963.72	परिवहन	2,583.00	1,761.89	100.37	1,862.26
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	15.46	14.37	1.82	16.19
			सामान्य आर्थिक सेवायें	1,517.88	1,342.95	604.72	1,947.67
			सहायतार्थ अनुदान एवं अंशादान	0.07	0.07	-	0.07
योग	1,40,113.81	1,34,307.88	योग	1,76,485.10	1,61,561.21	16,748.20	1,78,309.41
II. अनुभाग-ख को अग्रेषित किया गया राजस्व घाटा	36,371.29	44,001.53	II. अनुभाग-ख को अग्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग	1,76,485.10	1,78,309.41	योग	1,76,485.10	1,61,561.21	16,748.20	1,78,309.41
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41	III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	20.42	14.08	IV. पूँजीगत परिव्यय	14,718.05	12,482.71	2,787.78	15,270.49
			सामान्य सेवायें	463.42	321.15	77.02	398.17
			सामाजिक सेवायें	5,489.68	5,470.81	2,170.77	7,641.58
			शिक्षा, सेल, कला एवं संस्कृति	766.07	851.24	429.25	1,280.49
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	482.23	454.75	177.10	631.85

परिशिष्ट

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21	
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता
						योग
			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	3,907.01	3,984.90	1,366.62
			सूचना एवं प्रसारण	2.11	1.06	-
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	222.63	72.93	180.31
			समाज कल्याण एवं पोषण	42.19	8.24	11.21
			अन्य	67.44	97.69	6.28
			आर्थिक सेवायें	<b>8,764.95</b>	<b>6,690.75</b>	<b>539.99</b>
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	206.59	330.56	73.87
			ग्रामीण विकास	375.04	239.15	-
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	103.22	45.13	21.60
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,289.66	2,509.48	76.69
			उर्जा	2,362.48	589.71	-
			उद्योग एवं स्थानिज	28.08	49.75	-
			परिवहन	3,200.80	2,638.10	366.83
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.78	0.28	-
			सामान्य आर्थिक सेवायें	198.30	288.59	1.00
			योग	<b>14,718.05</b>	<b>12,482.71</b>	<b>2,787.78</b>
			V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	<b>2,255.18</b>	-	-
V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	<b>15,669.75</b>	<b>373.52</b>				<b>491.01</b>

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
विद्युत परियोजनाओं से	14,879.91	171.74	विद्युत परियोजनाओं के लिये	1,844.38	-	-	46.68
सरकारी कर्मचारियों से	0.76	0.08	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-
अन्यों से	789.08	201.70	अन्यों को	410.80	-	-	444.33
VI. अधोनित राजस्व अधिशेष	-	-	VI. अधोनित राजस्व घटा	36,371.29			44,001.53
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	46,173.72	89,964.01	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	20,032.69	-	-	41,022.99
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	41,964.36	82,827.84	अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	19,198.43	-	-	40,116.47
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4,209.36	7,136.17	भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	834.26			906.52
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	-	-	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,93,165.05	2,08,446.75	X. लोक लेखा संवितरण	1,79,741.07	-	-	1,99,229.24

परिशिष्ट

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	12,203.83	13,705.60	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	8,213.29	-	-	8,848.53
आरक्षित निधियाँ	7,692.20	6,227.67	आरक्षित निधियाँ	3,361.89	-	-	4,866.58
उचंत एवं विविध	115.23	107.40	उचंत एवं विविध	28.73	-	-	(-) 8.69
प्रेषण	3,753.05	7,750.02	प्रेषण	3,761.37	-	-	7,738.15
जमा एवं अग्रिम	1,69,400.74	1,80,656.06	जमा एवं अग्रिम	1,64,375.79	-	-	1,77,784.67
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-	-	XI. अंत में रोकड़ शेष	7,704.41	-	-	6,487.51
			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 26.91	-	-	(-) 80.96
			रिजर्व बैंक के पास जमाये	49.03	-	-	20.99
			विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	3.69	-	-	3.61
			रोकड़ शेष निवेश	5,807.73	-	-	4,440.13
			चिन्हित निवेश निधियाँ	1,870.87	-	-	2,103.74
योग	2,60,822.69	4,40,810.65	योग	2,60,822.69			4,40,810.65

स्रोत: वित्त लेखे।

## परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 23)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>भाग क. प्राप्तियाँ</b>					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,09,026	1,27,307	1,37,873	1,40,114	1,34,308
(i) कर राजस्व	44,372(41)	50,605(40)	57,380(42)	59,245(42)	60,283(45)
कृषि आय पर कर	— <sup>3</sup>				
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	—	12,137(24)	22,938(40)	21,954(37)	20,755(34)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	28,558(64)	19,008(38)	14,791(26)	15,843(27)	17,479(29)
राज्य उत्पाद शुल्क	7,054(16)	7,276(14)	8,694(15)	9,592(16)	9,853(16)
वाहनों पर कर	3,623(8)	4,363(9)	4,576(8)	4,951(8)	4,368(7)
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,053(7)	3,675(7)	3,886(7)	4,235(7)	5,297(9)
भू-राजस्व	315(1)	364(1)	290(1)	364(1)	280(1)
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	803(2)	341(1)	51(—)	41(—)	45(—)
अन्य कर	966(2)	3,441(7)	2,154(3)	2,265(4)	2,206(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	11,615(10)	15,734(12)	18,603(13)	15,714(11)	13,653(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	33,556(31)	37,028(29)	41,853(30)	36,049(26)	35,576(27)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	19,483(18)	23,940(19)	20,037(15)	29,106(21)	24,796(18)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	28	16	20	20	14
3. ऋण एवं अधिमों की वसूलियाँ	1,713	15,134	15,158	15,670	373
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,10,767	1,42,457	1,53,051	1,55,804	1,34,695
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	43,889	28,557	37,847	46,173	89,964
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	40,434(92)	27,000(95)	35,205(93)	41,964(91)	82,828(92)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	—	—	—	—	—
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3,455(8)	1,557(5)	2,642(7)	4,209(9)	7,136(8)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,54,656	1,71,014	1,90,898	2,01,977	2,24,659
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,56,045	1,56,811	1,70,528	1,93,165	2,08,447
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	3,10,701	3,27,825	3,61,426	3,95,142	4,33,106
<b>भाग ख. व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	39,203(31)	43,451(30)	54,364(33)	56,186(32)	60,144(34)
सामाजिक सेवायें	49,372(39)	53,064(36)	65,687(39)	68,313(39)	74,009(41)
आर्थिक सेवायें	38,565(30)	49,327(34)	46,722(28)	51,986(29)	44,156(25)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	— <sup>4</sup>				
11. पूँजीगत व्यय	16,980	20,623	19,638	14,718	15,271
सामान्य सेवायें	437(2)	527(3)	588(3)	463(3)	398(3)
सामाजिक सेवायें	6,214(37)	7,221(35)	6,913(35)	5,490(37)	7,642(50)

3. 2016-17: मात्र ₹ 202, 2017-18: ₹ 0.02 लाख, 2018-19: ₹ 0.23 लाख, 2019-20: 'शून्य' एवं 2020-21: ₹ 0.04 लाख।

4. 2016-17: ₹ 0.06 करोड़, 2017-18: ₹ 0.11 करोड़, 2018-19: ₹ 0.09 करोड़, 2019-20: ₹ 0.07 करोड़ एवं 2020-21:

₹ 0.07 करोड़।

**परिशिष्ट**

(₹ करोड़ में )

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आर्थिक सेवायें	10,329(61)	12,875(62)	12,137(62)	8,765(60)	7,231(47)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	12,965	1,334	1,113	2,255	491
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071
14. लोक ऋण का पुनर्गतान	5,015	11,674	16,915	20,032	41,023
आंतरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,441(89)	11,041(95)	16,137(95)	19,198(96)	40,116(98)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम	574(11)	633(5)	778(5)	834(4)	907(2)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	1,62,100	1,79,473	2,04,439	2,13,490	2,35,094
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,48,886	1,47,088	1,60,570	1,79,741	1,99,229
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	3,10,986	3,26,561	3,65,009	3,93,231	4,34,323
<b>भाग ग: घाटा</b>					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 36,371	(-) 44,001
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473	(-) 37,654	(-) 59,376
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778	(-) 14,011	(-) 34,174
<b>भाग घ: अन्य आंकड़े</b>					
23. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	17,677	19,720	21,695	23,643	25,202
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	32,892	34,985	34,862	41,025	39,745
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	04	99
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	04	99
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर व्याज	-	-	-	0.29	13.85
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) <sup>®</sup>	7,60,587	8,28,661	9,21,789 $\Sigma$	9,98,999 <sup>₹</sup>	9,57,912 <sup>**</sup>
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	2,55,002	2,81,182	3,11,374	3,52,702	4,10,500 <sup>\$</sup>
29. बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष के अंत में) (व्याज सहित)	51,159	61,761	70,430	80,631	82,612
30 दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676	1,56,822
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	197	247	279	329	-*
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	17,668	20,176	26,409	31,374	-*
<b>भाग झ: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशतता में)</b>					
I संशाधन गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	5.8	6.1	6.2	5.9	6.3
स्व-कर-भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	1.5	1.9	2.0	1.6	1.4
केन्द्रीय हस्तांतरण/जीएसडीपी	7.0	7.4	6.7	6.5	6.3
<b>II व्यय प्रबंधन (प्रतिशतता में)</b>					
कुल व्यय / जीएसडीपी	20.7	20.2	20.3	19.4	20.3
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ	144.1	131.8	136.0	138.1	144.5
राजस्व व्यय / कुल व्यय	80.9	86.9	88.9	91.2	91.9
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	31.4	31.6	35.0	35.3	38.1
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	24.6	29.4	24.9	26.9	22.8
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	10.8	12.3	10.5	7.6	7.9
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	10.5	12.0	10.2	7.4	7.7
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन</b>					

(₹ करोड़ में )

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा (अधिशेष+ )/जीएसडीपी	(-) 2.4	(-) 2.2	(-) 3.1	(-) 3.6	(-) 4.6
राजकोषीय घाटा /जीएसडीपी	(-) 6.1	(-) 3.1	(-) 3.7	(-) 3.8	(-) 6.2
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 3.8	(-) 0.7	(-) 1.4	(-) 1.4	(-) 3.6
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	39.1	73.1	83.8	96.6	74.1
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी	<b>33.53</b>	<b>33.93</b>	<b>33.78</b>	<b>35.31</b>	<b>42.37<sup>5</sup></b>
राजकोषीय देयताएं /राजस्व प्राप्तियां	<b>233.9</b>	<b>220.9</b>	<b>225.8</b>	<b>251.7</b>	<b>305.6</b>
ऋण मोचन (मूलधन + व्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	<b>86.1</b>	<b>96.5</b>	<b>95.9</b>	<b>92.6</b>	<b>88.8</b>
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
निवेश पर प्रतिलाभ	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.01</b>
वित्तीय परिसंपत्तियां /देयताएं	<b>0.80</b>	<b>0.76</b>	<b>0.69</b>	<b>0.62</b>	<b>0.57</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उप-शीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

② स्रोत: आर्थिक एवं सांखिकीय निदेशालय, राजस्थान सरकार।

**Σ संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I एवं ## अग्रिम अनुमान**

\* सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

<sup>5</sup> प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं ₹ 4,05,896 करोड़ होगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

5. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

## परिशिष्ट -2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 62)

## ऋण की शब्दावली

मट	अर्थ क्या है
मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)	यह केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए सुविधा है जो कि रिजर्व बैंक से उधार लेकर अपनी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को सही करने में सहायता करता है। इस तरह के अग्रिमों को अग्रिम लेने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर चुकाया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 से (31 मार्च 2021 तक) निपटने के लिए मार्गोपाय अग्रिम की सीमा में 60 प्रतिशत अतिरिक्त की घोषणा की।
ओवर ड्राफ्ट	सरकारों को उनकी मार्गोपाय अग्रिम से अधिक मात्रा में राशि निकालने की अनुमति है। कोई भी राज्य एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए आरबीआई के साथ ओवर ड्राफ्ट नहीं चला सकता है। एक राज्य 14 से 21 लगातार कार्य दिवसों और एक तिमाही के दौरान 36 से 50 कार्य दिवसों तक ओवर ड्राफ्ट में रह सकता है।
सरकारी प्रतिभूतियाँ	एक सरकारी प्रतिभूति (सेक्शन-जी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारम्परिक साधन है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्प कालिक (आमतौर पर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ ट्रेजरी बिल कहा जाता है) या दीर्घकालिक ((आमतौर पर एक वर्ष या अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती हैं। भारत में केंद्र सरकार, ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती हैं, जबकि राज्य सरकार केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है।
टी-बिल	ट्रेजरी बिल केन्द्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ हैं। उनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है। इन प्रतिभूतियों को छूट पर बेचा जा सकता है और इसका भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है, जिससे निवेशक अपना पैसा बनाते हैं। वर्तमान में 91 दिनों के टी-बिल, 182 दिनों के टी-बिल और 364 दिनों के टी-बिल सक्रिय हैं।
टी-नोट्स	ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी बिलों की तुलना में लम्बी परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। उनकी परिपक्वता अवधि दो, तीन, पाँच, सात और 10 वर्ष हो सकती है। व्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।
टी-बांड	ट्रेजरी बांड 30 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ दीर्घकालिक निवेश है। व्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।

## परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 79)

## बजट संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

- 1. वर्ष के 'लेखे' या 'वास्तविक'** – 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशियाँ हैं, जो अन्तिम रूप से लेखा प्राधिकारी की पुस्तकों में दर्ज की गई है (जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखों से तात्पर्य अनुकैशित लेखों से है।
- 2. योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'** - व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के साथ लिया गया, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिये वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।
- 3. 'वार्षिक वित्तीय विवरण'** - जिसे बजट के रूप में भी जाना जाता है, का मतलब संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
- 4. 'विनियोग'** - का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि जो विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाईयों या उसके हिस्से के अन्तर्गत व्यय के लिए संवितरण अधिकारी को प्रदान की जाती है।
- 5. 'प्रभारित व्यय'** - का अर्थ है कि ऐसा व्यय जो संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के मत हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
- 6. 'भारत/राज्य की समेकित निधि'** - संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा एकत्र किये गये ऋण और भारत/राज्य की समेकित निधि से दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्राप्त समस्त राशियाँ संघ/राज्य की समेकित निधि की रचना करती हैं। इस कोष से राशि को कानून के अनुसार और संविधान में दिए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
- 7. 'आकस्मिकता निधि'** - एक अग्रदाय/पेशागी की प्रकृति के रूप में है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यपालिका/सरकार को वर्ष के दौरान ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अग्रिम देना है जिनका संसद/विधानसभा द्वारा प्रधिकृतिकरण लम्बित है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/विधानसभा के अनुपोदन के पश्चात प्रतिपूर्ति की जाती है।
- 8. 'नियंत्रण अधिकारी (बजट)'** - का अर्थ है ऐसा अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय को नियंत्रित करने और/या राजस्व के संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
- 9. 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' (डी.डी.ओ)** - का अर्थ है कार्यालयाध्यक्ष तथा किसी भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिलों के आहरण तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान करने हेतु नामित किया गया है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष भी शामिल होगा जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
- 10. 'आधिक्य अनुदान'** - आधिक्य अनुदान का अर्थ है कि मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत किये गये प्रावधान से अधिक और ज्यादा व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अन्तर्गत संसद/विधानसभा के द्वारा नियमन की आवश्यकता होती है।

11. 'नई सेवा'- संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (अ)/ 205 (1)(अ) के अनुसार नई सेवा का अर्थ है एक नई गतिविधि या निवेश के नये रूप सहित एक नवीन नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाला ऐसा व्यय जिसे पूर्व में संसद/ विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया ।
12. 'सेवा का नया साधन'— का अर्थ है कि मौजूदा गतिविधि में महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत अधिक व्यय से है ।
13. 'लोक लेखा'- का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित लोक लेखा से है । प्राप्तियां और संवितरण जैसे कि जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती, लोक लेखा में शामिल होती है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है, क्योंकि वे भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी किया गया धन नहीं हैं ।
14. 'पुनर्विनियोजन'- का अर्थ किसी अनुदान/प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है से दूसरी इकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तान्तरण से है ।
15. 'संशोधित अनुमान'- एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का वह अनुमान है जो उस वर्ष के दौरान पहले से दर्ज किये गए लेन देनों और पहले से जारी आदेशों के अनुसरण में शेष वर्ष के लिए पूर्वानुमान के सन्दर्भ में संरचित किया जाता है।
16. 'अनुदानों के लिए अनुपूरक माँगे'- का अर्थ विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक मांगों से है जिसमें उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से ज्यादा और अधिक आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाई जाती है। अनुपूरक की मांग टोकन, तकनीकी या मूल/नगदी हो सकती है।
  - अ) नगद अनुपूरक मूल बजट प्रावधानों से अधिक और ज्यादा है तथा माँग/अनुदान के लिए आंवटन में वृद्धि का परिणाम है। इसे अन्तिम उपाय के रूप में और यथोचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का अनुसरण राज्य द्वारा किया जाता है।
  - ब) प्रत्येक माँग के चार खण्ड होते हैं अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्राभारित, पूँजीगत दत्तमत और पूँजीगत प्रभारित। तकनीकी अनुपूरक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, किसी भी अन्य खण्ड/अनुभाग के लिए किसी एक खण्ड/अनुभाग की बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।
  - स) टोकन अनुपूरक अनुदान के उसी खण्ड के तहत बचत के उपयोग की अनुमति देता है।
17. 'मुख्य शीर्ष'- राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्ज करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य खाता है । एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के तहत आने वाला, सामान्यतः सरकार के किसी एक कार्यकलाप जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए होता है।
18. 'उप-मुख्य शीर्ष'- का अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके नीचे लघु शीर्ष के बीच दर्शाये गये मध्यवर्ती लेखाशीर्ष से है, जब लघु शीर्ष अधिक होते हैं तो उन्हे इस मध्यवर्ती लेखाशीर्ष के अन्तर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है ।
19. 'लघु शीर्ष'- का अर्थ एक प्रमुख शीर्ष या एक उप प्रमुख शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है । मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाये गये कार्यकलाप के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम की पहचान करता है ।

20. 'उप-शीर्ष'- का अर्थ लघु शीर्ष के अधीन अगले लेखे की इकाई है जो सामान्यतया लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।
21. 'मुख्य कार्य'- का अर्थ मूल कार्य जिसकी अनुमानित लागत, विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।
22. 'लघु कार्य'- का अर्थ मूल कार्य जिसकी अनुमानित लागत, विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
23. 'संशोधित अनुदान या विनियोग'- का अर्थ किसी विनियोग के उप-शीर्ष को आवंटित राशि जो कि पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त स्वीकृत या अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति के बाद प्राप्त होती है।
24. 'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग'- का अर्थ उस वर्ष के विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग विधेयक में शामिल प्रावधान से है।
25. 'नये व्यय की अनुसूची'- का अर्थ नये व्यय हेतु आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित मदों का विवरण है।
26. 'टोकन मांग'- का अर्थ विधानसभा से मांग की गई एक मामूली या टोकन राशि से है जो उदाहरण के लिये स्वीकृत बजट अनुदान में बचत से नयी सेवा पर सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिये प्रस्तावित है।
27. 'सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर'- ब्याज भुगतान/ [(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि/2)]\*100

## परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 84)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		

## निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

1	9-वन	2406-01-001-02 अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध	511.20	0	(-) 38.62	472.58	471.21	(-) 1.37
2	21-सङ्क एवं पुल	5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I (ए डी बी)	295.85	0	(+) 90.09	385.94	392.25	(+) 6.31
3	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत बाढ़	2245-02-114-09-01	40.00	210.00	(-) 7.04	242.96	216.40	(-) 26.56
4		2245-02-114-09-02 ओलावृष्टि	60.00	177.50	(-) 140.26	97.24	95.57	(-) 1.67
5	39-पशुपालन एवं विकित्सा	4403-101-15-01 निर्माण कार्य	₹ 1000	16.80	(-) 10.80	6.00	-	(-) 6.00
6		4403-101-16-01 निर्माण कार्य	₹ 1000	0	(+) 14.00	14.00	20.00	(+) 6.00
7	46-सिंचाई	2700-39-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	12.56	0	(+) 1.21	13.77	12.11	(-) 1.66
8		4700-80-001-01-01 राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया	263.33	0	(-) 137.84	125.49	124.41	(-) 1.08
9		4700-32-001-01-01 निर्माण कार्य	557.57	0	(+) 109.13	666.70	646.50	(-) 20.20
10		4700-39-001-01-01 निर्माण कार्य	119.00	0	(+) 35.85	154.85	111.64	(-) 43.21
11		4702-101-02-02 निर्माण कार्य	86.67	0	(+) 3.59	90.26	85.73	(-) 4.53
12	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-107-05-02 प्री-मेट्रिक छात्रवृत्तियां	85.80	0	(-) 10.55	75.25	73.62	(-) 1.63
13		4700-32-789-01 निर्माण कार्य	160.88	0	(-) 29.60	131.28	129.31	(-) 1.97

क्र. सं	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन								
14	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सेक्टर प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी द्वितीय चरण (ईएपी)निर्माण कार्य	₹ 1,000	0	(+) 2.58	2.58	(-) 2.74	(-) 5.32
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन								
15	16-पुलिस	2055-109-10-04 यातायात पुलिस -प्रतिबद्ध	124.36	0	(+) 17.02	141.38	128.80	(-) 12.58
16	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-107-07 अन्य पिछळी जाति के छात्रों को प्री-मेट्रिक छात्रवृत्तियां	35.00	0	(+) 29.20	64.20	63.16	(-) 1.04
17	27-पेय जल योजना	4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जलापूर्ति योजनायें	375.42	0	(+) 80.25	455.66	454.57	(-) 1.09
18	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-107-06-02 प्री-मेट्रिक छात्रवृत्तियां	71.89	0	(+) 9.69	81.58	79.53	(-) 2.05
19	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-106-08-01 सड़कों की मरम्मत एवं पुनः रखापना	50.00	150.00	(-) 79.92	120.08	114.16	(-) 5.92

स्रोत: विनियोग लेखे

## परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 85)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वार्तविक	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के अलावा बचतें
<b>राजस्व प्रभारित</b>								
1	2049-व्याज अदायगियां	25,494.20	₹ 52,000	25,494.20	25,201.81	292.39	284.81	(-) 7.58
<b>राजस्व दत्तमत</b>								
2	6-न्याय प्रशासन	1,123.56	0	1,123.56	1,020.19	103.37	102.99	(-) 0.38
3	8-राजस्व	884.87	0	884.87	741.74	143.13	142.97	(-) 0.16
4	9-वन	785.27	156.88	942.15	799.25	142.89	141.24	(-) 1.65
5	10-विविध सामान्य सेवाएं	556.13	0	556.13	440.52	115.61	115.61	0
6	12-अन्य कर	860.58	0	860.58	708.39	152.19	159.35	(+) 7.16
7	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	23,391.70	0	23,391.70	22,432.42	959.28	882.85	(-) 76.43
8	16-पुलिस	6,908.12	₹ 9,000	6,908.12	6,385.06	523.06	489.75	(-) 33.31
9	19-लोक निर्माण कार्य	563.99	₹ 1,000	563.99	437.10	126.90	127.05	(+) 0.15
10	21-सड़कें एवं पुल	2,745.23	0	2,745.23	1,557.09	1,188.14	1,285.38	(+) 97.24
11	23-श्रम तथा रोजगार	1,212.29	0	1,212.29	1,039.94	172.35	172.29	(-) 0.06
12	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	32,096.19	₹ 6,000	32,096.19	29,712.30	2,383.89	2,380.30	(-) 3.59
13	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	10,711.31	₹ 13,000	10,711.31	9,782.31	929.00	926.66	(-) 2.34
14	27-पेयजल योजना	4,137.89	₹ 2,000	4,137.89	3,735.14	402.75	394.19	(-) 8.56
15	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	5,336.72	1,088.69	6,425.41	5,047.40	1,378.01	1,377.48	(-) 0.53
16	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	13,948.89	442.05	14,390.94	13,173.56	1,217.38	1,206.38	(-) 11.0
17	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,303.53	1,685.35	8,988.88	8,697.86	291.02	243.12	(-) 47.9
18	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2,690.97	3,210.29	5,901.26	4,946.02	955.24	899.15	(-) 56.09
19	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	522.23	0	522.23	382.97	139.26	139.25	(-) 0.01
20	36-सहकारिता	3,418.20	508.05	3,926.25	3,642.18	284.07	284.05	(-) 0.02
21	37-कृषि	2,699.16	815.37	3,514.53	3,158.83	355.70	352.71	(-) 2.99
22	41-सामुदायिक विकास	5,656.08	946.63	6,602.71	4,432.20	2,170.52	2,170.17	(-) 0.35
23	46-सिंचाई	2,260.29	₹ 5,000	2,260.29	2,062.90	197.39	166.57	(-) 30.82
24	48-विद्युत	10,427.42	₹ 6,000	10,427.42	8,815.73	1,611.69	1,611.69	0
25	50-ग्रामीण रोजगार	2,289.01	₹ 1000	2,289.01	2,142.97	146.05	146.05	0

क्र. सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वार्ताविक	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के अलावा बचतें
26	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	15,196.04	2,007.78	17,203.82	15,487.34	1,716.47	1,712.23	(-)4.24
<b>पूंजीगत दत्तमत</b>								
27	19-लोक निर्माण कार्य	1,033.73	₹ 3,000	1,033.73	468.56	565.17	563.53	(-)1.64
28	21-सड़कें एवं पुल	4,238.48	0	4,238.48	2,943.41	1,295.06	1,320.41	(+)25.35
29	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	1,001.94	112.27	1,114.21	916.28	197.93	197.32	(-)0.61
30	27-पेयजल योजना	3,312.49	₹ 4,000	3,312.49	2,674.07	638.42	825.33	(+)186.91
31	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	306.00	0	306.00	149.94	156.06	156.06	0
32	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,438.37	₹ 6,000	3,438.37	2,159.08	1,279.29	1,302.18	(+)22.89
33	43- खनिज	206.53	0	206.53	72.60	133.93	133.93	0
34	46-सिंचार्इ	2,345.12	0	2,345.12	1,859.85	485.27	421.56	(-)63.71
35	48-विद्युत	1,333.44	0	1,333.44	300.05	1,033.39	1,033.39	0
36	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4,654.93	₹ 7,000	4,654.93	2,681.51	1,973.42	1,988.71	(+)15.29
	<b>योग</b>	<b>2,05,090.90</b>	<b>10,973.36</b>	<b>2,16,064.26</b>	<b>1,90,208.57</b>	<b>25,855.69</b>	<b>25,856.71</b>	<b>(+) 1.02</b>

स्रोत: विनियोग लेखे

## परिशिष्ट-3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 88)

## ₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	अनअभ्यर्पित राशि
<b>राजस्व प्रभारित</b>				
1	2049-ब्याज अदायगियां	292.39	284.81	7.58
2	015-पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4.79	2.00	2.79
<b>राजस्व दत्तमत</b>				
3	07-निर्वाचन	42.02	39.64	2.38
4	09-वन	142.89	141.24	1.65
5	15-पेशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	959.28	882.85	76.43
6	16-पुलिस	523.06	489.75	33.31
7	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2,383.89	2,380.80	3.09
8	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	929.00	926.65	2.35
9	27-पेयजल योजना	402.75	394.19	8.56
10	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,217.38	1,206.38	11.00
11	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	291.02	243.12	47.90
12	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	955.24	899.15	56.09
13	37-कृषि	355.69	352.71	2.98
14	46-सिंचाइ	197.39	166.57	30.82
15	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,716.47	1,712.23	4.24
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>				
16	19-लोक निर्माण कार्य	565.17	563.53	1.64
17	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	60.56	52.09	8.47
18	46-सिंचाइ	485.27	421.56	63.71
	योग	<b>11,524.26</b>	<b>11,159.27</b>	<b>364.99</b>

स्रोत: विनियोग लेखे

## परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ अनुच्छेद 3.4.1; पृष्ठ 91)

## एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ 5 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
1.	19-लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-03-01 नवीन उच्च न्यायालय भवन जोधपुर (आरएसआरडीसीसी के माध्यम से)	34.00	19.71
2.		4059-80-051-03-02 राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आरएसआरडीसीसी के माध्यम से)	5.00	0.00
3.		4059-80-051-03-03 अन्य न्यायिक भवन	125.40	56.89
4.		4059-80-051-04-01 मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	11.44	3.83
5.		4059-80-051-05-01 मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	56.87	28.86
6.		4059-80-051-27 सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)	9.59	3.14
7.		4070-003-01-90 निर्माण कार्य	10.62	4.95
8.		4210-03-001-01-90 निर्माण कार्य	4.20	0.00
9.		4210-03-105-04-90 निर्माण कार्य	12.54	4.37
10.		4210-03-105-11-90 निर्माण कार्य	479.35	117.61
11.	20-आवास	4216-01-700-01-90 निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)	53.10	12.28
12.	21-सड़के एवं पुल	5054-03-337-16-01 एनसीआर सड़कों का निर्माण	88.61	70.75
13.		5054-04-800-02-01 ग्रामीण सड़के	738.57	316.90
14.		5054-04-800-14-90 निर्माण कार्य	468.06	305.59
15.		5054-04-800-23-90 निर्माण कार्य	182.36	60.13
16.		4202-01-202-17-01 माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण कार्य	30.00	15.00
17.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4202-01-202-18-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	63.00	51.80
18.		4202-01-202-20-01 माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा के लिए निर्माण कार्य	420.00	264.57
19.		4202-01-203-07-01	44.58	8.10

**परिशिष्ट**

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य		
20.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	4210-01-110-07-01 निर्माण कार्य	20.13	8.30
21.	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-86 ईशरदा बांध का निर्माण कार्य ( जल संसाधन विभाग के माध्यम से )	104.73	6.73
22.		4215-01-102-01-51 बत्तीसा नाला पर बांध बनाकर, सिरोही जिले हेतु पेय जल योजना (ग्रामीण)	10.30	0.00
23.		4215-01-102-79 ईशरदा बांध का निर्माण ( जल संसाधन विभाग के माध्यम से )	215.00	60.16
24.	30-जनजाति क्षेत्र विकास	4055-796-02-90 निर्माण कार्य	9.32	3.94
25.		4202-01-796-16-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य	8.49	1.54
26.		4210-03-796-09-90 निर्माण कार्य	110.65	30.00
27.		4215-01-796-02-45 ईशरदा बांध का निर्माण कार्य ( जल संसाधन विभाग के माध्यम से )	19.98	1.35
28.		4225-02-796-11-03 एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	25.00	16.00
29.		4225-02-796-11-11 स्ले छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण	10.00	0.00
30.		4225-02-796-11-14 राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	8.00	0.00
31.		4225-02-796-24-02 टी ए डी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण	8.53	0.00
32.		4700-32-796-01 निर्माण कार्य	116.24	81.16
33.		4700-34-796-01 निर्माण कार्य	39.62	7.00
34.		4701-73-796-01-01 निर्माण कार्य	5.61	0.52
35.		4702-796-01-02 निर्माण कार्य	62.73	53.95
36.		5054-04-796-18-90 निर्माण कार्य	35.79	11.83
37.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4235-02-800-10-01 रेम्प एवं लिफ्ट इत्यादि का निर्माण	15.00	8.61
38.	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	4403-101-15-01 निर्माण कार्य	16.80	0.00
39.	46-सिंचार्इ	4700-34-001-01-01 निर्माण कार्य	221.00	33.50
40.		4701-62-001-01 निर्माण कार्य	21.98	10.85
41.		4701-63-001-01-01	24.49	18.30

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
42.	46-सिंचाई	निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन-भत्ते)		
		4701-72-001-01-01	30.60	8.71
43.		निर्माण कार्य		
		4701-80-800-03-01	34.50	0.00
44.		निर्माण कार्य		
		4702-101-07-01 निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से )	30.34	16.38
45.		4711-01-103-03-03 अन्य जिले	16.53	10.59
46.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4055-789-02-90 निर्माण कार्य	12.17	0.39
47.		4202-01-789-11-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य	10.61	1.93
48.		4210-01-789-01-90 निर्माण कार्य	56.22	35.00
49.		4210-02-789-01-90 निर्माण कार्य	6.22	1.17
50.		4210-03-789-09-90 निर्माण कार्य	147.50	40.00
51.		4215-01-789-01-56 ईशरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से )	107.95	29.92
52.		4215-01-789-02-45 ईशरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से )	27.28	1.78
53.		4700-05-789-01-01 पंजाब में इंदिरा गांधी फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई, पंजाब)	45.00	18.00
54.		4700-32-789-01 निर्माण कार्य	160.88	129.31
55.		4700-34-789-01 निर्माण कार्य	64.38	8.87
56.		4701-80-789-01-01 निर्माण कार्य	9.00	0.00
57.		5054-04-789-06-90 निर्माण कार्य	121.50	79.33
58.		5054-04-789-15-90 निर्माण कार्य	47.34	15.54
		योग	4,874.70	2,095.14

स्रोत: विनियोग लेखे

## परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.3; पृष्ठ 95)

## योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वार्ताविक व्यय
1.	9-वन	2406-01-102-26-01 राज्य वन विकास अभियान	1.59	0.00	0.00
2.		2406-04-103-02-01 जलागम क्षेत्र योजना के तहत व्यय	2.00	0.00	0.00
3.		2406-04-103-05-01 प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय	1.00	0.20	0.00
4.	16-पुलिस	2070-107-03-02 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सीमा नागरिक सुरक्षा हेतु राशि	1.51	0.73	0.00
5.	19-लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-03-02 राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आरएसआरडीसीसी के माध्यम से)	5.00	₹ 1000	0.00
6.		4059-80-051-07-02 पंजीयक, सहकारिता विभाग के माध्यम से	1.58	0.00	0.00
7.		4059-80-051-47 सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन)	1.15	0.44	0.00
8.		4210-03-001-01-90 निर्माण कार्य	4.20	₹ 2000	0.00
9.	21- सड़कें एवं पुल	3054-80-797-03 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण (100% केन्द्र)	650.00	250.00	0.00
10.		3054-02-337-01-02 संधारण एवं जीर्णोद्धार	173.49	₹ 1000	0.00
11.		5054-03-337-17-01 सड़क सुरक्षा प्रबन्धन	2.78	2.78	0.00
12.		5054-02-337-03 सीमावर्ती सड़क विकास मंडल के माध्यम से	42.00	₹ 1000	0.00
13.	22-क्षेत्र का विकास	4575-01-101-01-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	3.69	0.00	0.00
14.	23-श्रम तथा रोजगार	2230-03-101-04-01 कौशल संवर्धन	1.00	0.00	0.00
15.		3475-108-02-02 आई ई सी एकिटपिटीज	2.00	0.20	0.00
16.		4250-203-04-01 संयन्त्र एवं उपकरण	5.81	5.00	0.00
17.		4250-203-10-01 संयन्त्र एवं उपकरण	1.00	1.00	0.00
18.		2202-02-109-23 लैपटॉप वितरण	33.12	₹ 1000	0.00
19.		2202-02-113-02-04 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी ई )	7.40	3.40	0.00
20.		2202-03-102-05 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अनुदान-प्रतिबद्ध	5.95	5.95	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वारतविक व्यय
21.		2202-03-102-11 बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को अनुदान	4.00	₹ 3000	0.00
22.		2202-03-104-02 महाविद्यालयों को अनुदान	1.00	₹ 2000	0.00
23.		2203-104-20-01 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर को अनुदान	1.00	0.00	0.00
24.		2204-102-07-01 महाराव शेसाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण आकादमी, सीकर को सहायता	10.00	₹ 1000	0.00
25.		4202-04-106-05 एस एम एस टाउन हॉल तथा जलेब चौक में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम की स्थापना हेतु	1.00	0.05	0.00
26.	26-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	2210-05-105-03-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	42.60	8.20	0.00
27.		2210-05-105-08-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी	16.48	₹ 6000	0.00
28.		2211-200-01 परम्परागत गर्भनिरोधक	14.00	14.00	0.00
29.		4210-01-110-03 आयुर्वेद विभाग के माध्यम से	2.00	₹ 1000	0.00
30.	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-45 पोकरण-फलसुंड (फलोदी) जलप्रदाय योजना	6.86	0.00	0.00
31.		4215-01-101-01-81 चम्बल-मीलवाड़ा जलापूर्ति योजना-वलस्टर	10.30	0.00	0.00
32.		4215-01-101-11-05 झूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना	13.56	0.00	0.00
33.		4215-01-101-10-01 मूल्य ह्लास आरक्षित निधि के विरुद्ध जलापूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार	67.11	67.11	0.00
34.		4215-01-101-01-87 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेस-I, पार्ट-II (शहरी)	13.55	₹ 1000	0.00
35.		4215-01-101-01-88 जवाई-पाली पाइपलाइन परियोजना फेस-II पार्ट-बी (शहरी)	8.71	₹ 1000	0.00
36.		4215-01-101-01-95 अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बारां (शहरी)	2.59	₹ 1000	0.00
37.		4215-01-102-01-51 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेय जल योजना (ग्रामीण)	10.30	0.00	0.00
38.		4215-01-102-01-54 जास्तम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गावों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	5.30	0.00	0.00
39.		4215-01-102-01-60 झाली जी का बराना पेयजल परियोजना	3.45	0.00	0.00
40.		4215-01-102-01-67 हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना, जिला कोटा	3.24	0.00	0.00
41.		4215-01-102-02-03 2215-जलापूर्ति एवं सफाई 02-001(09) से स्थानांतरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)	107.01	106.41	0.00
42.		4215-01-102-03-05 2215-जलापूर्ति एवं सफाई -01-102 से स्थानांतरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता प्रभार (ओ एंड एम)	91.47	91.47	0.00
43.		2217-05-190-02-03	2.75	0.00	0.00

**परिशिष्ट**

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वारतविक व्यय
44.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड			
		2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी	100.00	96.00	0.00
		2217-80-191-36-01 स्वच्छ भारत मिशन	20.47	15.35	0.00
		2217-80-192-39-01 स्वच्छ भारत मिशन	48.22	36.16	0.00
		2217-80-192-49-01 सामान्य	20.61	6.87	0.00
		4217-03-800-01-05 विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य	4.80	4.80	0.00
49.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-113-02-06 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी ई) अनुसूचित जनजातियों के लिए	1.63	0.70	0.00
50.		2202-02-796-04 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्ड/प्रोत्साहन पुरस्कार	6.50	₹ 1000	0.00
51.		2202-02-796-18 लैपटॉप का वितरण	6.48	₹ 1000	0.00
52.		2210-05-796-02-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी	5.35	₹ 2000	0.00
53.		2217-80-191-36-03 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	4.02	3.01	0.00
54.		2217-80-192-39-03 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	9.46	7.09	0.00
55.		2217-80-192-49-03 जन जाति क्षेत्र उप-योजना	4.04	1.35	0.00
56.		2225-02-796-02-44 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु अनुदान (वि के स)	3.00	0.00	0.00
57.		2225-02-796-02-56 विद्युत/डीजल पंप सेट वितरण, कुओं का विद्युतीकरण, पी वी सी पाइपलाइन तथा ड्रिप/सिप्रेक्लर सेट हेतु अनुदान	10.00	0.00	0.00
58.		2225-02-796-04-11 विशेष केन्द्रीय साहायता के अंतर्गत बिसरी क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम	1.50	0.00	0.00
59.		2235-02-796-15-01 महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग	3.50	0.55	0.00
60.		2401-796-64-12 डेयरी विभाग के माध्यम से	3.17	0.00	0.00
61.		2401-796-64-13 राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)	4.17	0.00	0.00
62.		2425-796-31 समग्र सहकारी विकास के लिए सहायता	1.99	0.00	0.00
63.		3454-02-796-02-24 विकास केंद्र	2.14	0.50	0.00
64.		4202-02-796-01 निर्देशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	3.71	2.71	0.00
65.		4210-03-796-04-01 विकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1.27	0.47	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वारतविक व्यय
66.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4210-03-796-05-03 विकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	15.00	6.00	0.00
67.		4210-03-796-08-02 विकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	5.00	1.80	0.00
68.		4215-01-796-01-02 2215-जलापूर्ति एवं सफ्राई -01-102 से स्थानांतरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता प्रभार (ओ एंड एम)	24.15	24.15	0.00
69.		4215-01-796-01-73 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेय जल योजना (ग्रामीण)	2.03	0.00	0.00
70.		4215-01-796-01-75 जास्थम बांध से प्रतापगढ़ जिला के गावों हेतु पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	1.01	0.00	0.00
71.		4215-01-796-02-40 चम्बल-भीलवाड़ा जलापूर्ति योजना-कलस्टर	2.03	0.00	0.00
72.		4215-01-796-02-29 पोकरण-फलसुंड जलापूर्ति परियोजना(शहरी)	1.36	0.00	0.00
73.		4215-01-796-02-43 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	3.67	0.27	0.00
74.		4215-01-796-02-46 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेस-1, पार्ट-II (शहरी)	1.89	₹ 1000	0.00
75.		4215-01-796-02-47 जवाई-पाली पाइपलाइन परियोजना फेस-II पार्ट-बी (शहरी)	1.70	₹ 1000	0.00
76.		4215-01-796-02-56 झुंगरपुर, आसपुर एवं डोवड़ा पेयजल परियोजना	4.93	0.00	0.00
77.		4225-02-796-11-05 हैंडपंप स्थापना सहित पेयजल योजनायें	8.00	0.00	0.00
78.		4225-02-796-11-07 सामुदायिक भवनों का निर्माण	2.00	0.00	0.00
79.		4225-02-796-11-11 सैल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण	10.00	0.00	0.00
80.		4225-02-796-11-14 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	8.00	0.00	0.00
81.		4225-02-796-11-16 चारदीवारी का निर्माण एवं मरम्मत	3.00	0.00	0.00
82.		4225-02-796-11-17 राजकीय शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त निर्माण कार्य	4.00	0.00	0.00
83.		4225-02-796-24-02 टी ए डी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण	8.53	0.00	0.00
84.		4250-796-01-01 संयत्र एवं उपकरण	3.50	3.50	0.00
85.		4401-796-07-06 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	2.88	0.00	0.00
86.		4425-195-05-03 समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता	3.33	0.00	0.00
87.		4575-01-796-01-01 झांग क्षेत्र का विकास	1.05	0.00	0.00
88.		4701-24-796-01-01	9.37	0.00	0.00

**परिशिष्ट**

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वारतविक व्यय
89.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	निर्माण कार्य 4701-80-796-01-01 निर्माण कार्य			
90.		4801-80-796-03 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	6.50	2.60	0.00
91.		4853-01-796-04-02 स्थनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं रवारथ्य विभाग के माध्यम से	1.96	0.00	0.00
92.		6801-796-04-01 राजस्थान अक्षय उर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए डी बी)	34.11	-	0.00
93.	32-नागरिक आपूर्ति	5475-102-09 उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण	4.19	2.68	0.00
94.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-01-793-01 अनुसूचित जाति उप-परियोजना	36.00	₹ 5000	0.00
95.		2225-04-102-01-01 अल्पसंस्थक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार सृजन/ स्व-रोजगार योजना	2.00	0.80	0.00
96.		2225-04-800-01-01 राजस्थान वकफ बोर्ड को अनुदान	2.85	1.00	0.00
97.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-101-14-02 वृद्ध, अशक्त एवं निः सहाय बच्चों के लिए राहत	6.00	1.00	0.00
98.		2245-01-102-11-01 ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	14.00	14.00	0.00
99.		2245-01-102-11-02 नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	1.20	1.20	0.00
100.		2245-01-102-11-03 पशु शिविरों में जलापूर्ति	1.00	1.00	0.00
101.		2245-01-104-09-02 पशु पोषण केंद्र	10.00	10.00	0.00
102.		2245-01-105-04-01 औषधियों एवं टीका-दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	2.00	2.00	0.00
103.		2245-01-800-03-01 अन्य विशेष राहत	2.00	2.00	0.00
104.		2245-01-800-04-02 सम्बंध पक्षों/कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	1.00	1.00	0.00
105.		2245-01-800-04-03 राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं के आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहायता	1.00	1.00	0.00
106.		2245-01-800-04-05 आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण	2.00	2.00	0.00
107.		2245-02-101-16-01 अन्य गद	2.00	2.00	0.00
108.		2245-02-101-16-02 अंग भंग या चक्षु क्षति पर आनुगृहिक राहत	1.00	1.00	0.00
109.		2245-02-101-16-04 वृद्ध, अशक्त एवं निः सहाय बच्चों के लिए राहत	1.00	1.00	0.00
110.		2245-02-101-16-07 जीवन बचाव हेतु नाव किराया	2.00	2.00	0.00
111.		2245-02-101-16-08	1.00	1.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वारतविक व्यय
112.	राहत	34-प्राकृतिक आपदाओं से आवश्यक वस्तुओं की हवाई आपूर्ति 2245-02-102-04-01 मानवीय जलापूर्ति			
113.		2245-02-102-04-02 पशुओं के लिए जलापूर्ति	2.00	2.00	0.00
114.		2245-02-104-02-01 आपदाओं से प्रभावितों को चारे की पूर्ति	2.00	2.00	0.00
115.		2245-02-105-05-01 औषधियों एवं टीका-दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	1.00	1.00	0.00
116.		2245-02-109-02-01 बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत	6.00	10.00	0.00
117.		2245-02-113-09-03 पूर्ण क्षतिग्रस्त झौपड़ी	10.00	10.00	0.00
118.		2245-02-115-02-01 भूमि से रेत/गाद/लवणता इत्यादि हटाने हेतु सहायता	1.00	1.00	0.00
119.		2245-02-191-02-01 बाढ़ प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता	1.00	1.00	0.00
120.		2245-02-192-02-01 बाढ़ प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों/नगर परिषदों को सहायता	2.00	2.00	0.00
121.		2245-02-193-02-01 बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता	2.00	6.00	0.00
122.		2245-02-282-07-02 मृत शरीरों एवं लाशों का निपटारा	1.00	1.00	0.00
123.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	3454-02-203-01-26 विकास केंद्र	10.39	1.00	0.00
124.	36-सहकारिता	2425-107-25 कोर बैंकिंग	22.28	0.00	0.00
125.		2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	210.00	210.00	0.00
126.		2425-001-01 निर्देशन	5.00	0.00	0.00
127.	37-कृषि	2401-800-27-04 डेयरी विभाग के माध्यम से	17.50	0.00	0.00
128.		2435-60-800-01-01 राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, को सहायता	80.00	40.00	0.00
129.		6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को उधार	50.00	-	0.00
130.	38-लघु सिंचाई एवं मृदा संरक्षण	4702-102-01-01 मशीनरी आदि का क्रय	1.30	0.00	0.00
131.	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-108-01-01 पशु बीमा	2.00	2.00	0.00
132.	42-उद्योग	2852-80-190-04-01 रीको को सहायता	75.00	0.00	0.00
133.		6885-60-800-03-01 दिल्ली-मुम्बई इन्डरियल कारीडोर (डीएमआईरी)	10.00	-	0.00
134.	43-स्वनिज	4853-01-004-07-02	5.00	0.00	0.00

**परिशिष्ट**

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वारतविक व्यय
		स्थनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
135.	46-सिंचाई	2700-02-800-01-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	1.85	0.00	0.00
136.		2700-22-800-02 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	10.64	0.00	0.00
137.		2701-02-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	3.53	3.42	0.00
138.		2701-24-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	16.72	16.37	0.00
139.		4701-02-001-02-01 निर्माण कार्य	3.00	0.00	0.00
140.		4701-80-800-03-01 निर्माण कार्य	34.50	13.77	0.00
141.	48-विजली	4801-80-190-03 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	151.25	69.60	0.00
142.		6801-190-02-01 राजस्थान अक्षय उर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए डी बी)	136.45	-	0.00
143.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-113-02-05 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी ई ) अनुसूचित जाति के लिए	1.97	0.90	0.00
144.		2202-02-789-03 अनुसूचित जाति क्षेत्र की छात्राओं के लिए गार्ड/प्रोत्साहन पुरस्कार	8.50	₹ 1000	0.00
145.		2202-02-789-14 लैपटॉप वितरण	8.40	₹ 1000	0.00
146.		2202-03-789-07-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	1.50	1.80	0.00
147.		2205-789-04-01 पुरातत्व विभाग के माध्यम से	3.99	4.01	0.00
148.		2210-05-789-02-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी	2.68	₹ 2000	0.00
149.		2217-80-191-36-02 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	5.31	3.99	0.00
150.		2217-80-192-39-02 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	12.52	9.38	0.00
151.		2217-80-192-49-02 अनुसूचित जाति के लिए उप-योजना	5.35	1.78	0.00
152.		2225-01-196-12 सम्बल ग्रामों के विकास हेतु अनुदान	2.00	₹ 1000	0.00
153.		2235-02-789-03-01 महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग	4.50	0.74	0.00
154.		2401-789-03-04 डेयरी विभाग के माध्यम से जारी अनुदान	10.00	5.15	0.00
155.		2401-789-03-08 राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)	5.00	0.00	0.00
156.		2515-198-34-03 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	142.82	142.82	0.00
157.		2701-80-789-01-01	5.97	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वारतविक व्यय
158.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट संघटक योजना	निर्माण कार्य 3454-02-789-01-24 विकास केंद्र	2.75	0.50	0.00
159.		4202-02-789-02 भवन	4.15	0.00	0.00
160.		4202-03-789-01 स्थेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल	3.59	0.75	0.00
161.		4210-03-789-04-01 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1.71	0.66	0.00
162.		4215-01-789-01-78 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले के लिए पेयजल योजना (ग्रामीण)	2.67	0.00	0.00
163.		4215-01-789-02-29 पोकरण-फलसुंड जलप्रदाय परियोजना(शहरी)	1.78	0.00	0.00
164.		4215-01-789-02-40 चम्बल-भीलवाड़ा जलापूर्ति योजना-क्लस्टर	2.67	0.00	0.00
165.		4215-01-789-02-43 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	5.08	0.36	0.00
166.		4215-01-789-02-46 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेस-।, पार्ट-॥ (शहरी)	3.53	₹ 1000	0.00
167.		4215-01-789-02-47 जवाई-पाली पाइपलाइन परियोजना फेस-॥ पार्ट-बी (शहरी)	2.26	₹ 1000	0.00
168.		4215-01-789-02-56 झूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना	6.10	0.00	0.00
169.		4701-80-789-01-01 निर्माण कार्य	9.00	3.60	0.00
170.		4801-80-789-03 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	82.50	18.42	0.00
171.		4853-01-789-02-02 सनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं रक्वार्थ विभाग के माध्यम से	2.95	0.00	0.00
172.		6801-789-04-01 राजस्थान अक्षय उर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए डी बी)	73.10	-	0.00
173.		4215-01-789-01-65 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता प्रभार	17.87	17.87	0.00
174.		4575-01-789-01-01 डांग क्षेत्र विकास	1.30	0.40	0.00
175.		4217-03-789-08-01 विभिन्न शहरी निकायों की जलापूर्ति योजनाओं में नवीनीकरण कार्य	1.25	1.25	0.00
176.		4215-01-789-02-29 पोकरण-फलसुंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)	1.78	0.00	0.00
177.		2401-789-06-02 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-बीज एवं पौधारोपण सामग्री	1.07	0.00	0.00
178.		2202-03-789-07-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	1.50	1.80	0.00
		योग	3,278.60		0.00

स्रोत: विनियोग लेखे।

## परिशिष्ट - 3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.3; पृष्ठ 95)

मामले जहाँ विगत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	लेखाशीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
1.	022-क्षेत्र का विकास	2575-02-102-01-01 मुख्यालय	0.60	0.60	0.59
2.	027-पेयजल योजनायें	4215-01-101-11-05 झूंगरपुर, आसपुर एवं दोबड़ा पेयजल परियोजना	6.20	13.25	13.56
3.		4215-01-102-01-54 जास्थम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गावों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	25.81	3.45	5.30
4.		4215-01-102-01-60 झाली जी का बराना पेयजल परियोजना	12.40	3.45	3.45
5.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी	141.40	15.00	100.00
6.		4217-03-800-01-05 विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय परियोजनाओं में सुधार का कार्य	3.96	4.35	4.80
7.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4210-03-796-05-03 चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	14.17	15.00	15.00
8.		4215-01-796-01-75 जास्थम बांध (ग्रामीण) से प्रतापगढ़ जिले के गावों के लिए पेयजल परियोजना	5.07	0.65	1.01
9.		4215-01-796-02-56 झूंगरपुर, आसपुर एवं दोबड़ा पेयजल परियोजना	1.30	5.25	4.93
10.		4853-01-796-04-02 सनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.96	1.96	1.96
11.		2245-01-101-14-02 बृद्ध, अशक्त एवं असहाय बच्चों के लिए राहत	5.00	5.00	6.00
12.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-102-11-02 नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	1.00	1.00	1.20
13.		2245-01-102-11-03 पशु शिविरों में जलापूर्ति	0.40	0.40	1.00
14.		2245-01-105-04-01 ओषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	2.50	2.50	2.00
15.		2245-01-800-03-01 अन्य विशेष राहत	1.00	1.00	2.00
16.		2245-01-800-04-02 सम्बंध पक्षों/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	1.00	1.00	1.00
17.		2245-01-800-04-03 राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं के आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहायता	1.00	1.00	1.00
18.		2245-01-800-04-05 आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण	1.00	1.00	2.00

क्र.सं.	अनुदान	लेखाशीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
19.		2245-02-101-16-02 अंग भंग या चक्षु क्षति पर अनुग्रहिक राहत	0.05	0.10	1.00
20.		2245-02-101-16-04 वृद्ध, अशक्त एवं अस्वाय बच्चों के लिए राहत	0.20	0.20	1.00
21.		2245-02-101-16-07 जीवन बचाव हेतु नाव फिराया	0.10	0.20	2.00
22.		2245-02-102-04-01 मानवीय जलापूर्ति	0.05	0.20	2.00
23.		2245-02-102-04-02 पशुओं के लिए जलापूर्ति	0.05	0.20	2.00
24.		2245-02-105-05-01 औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	0.10	0.10	1.00
25.		2245-02-109-02-01 बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत	2.50	2.50	6.00
26.		2245-02-115-02-01 भूमि से रेत/गाद/लवणता इत्यादि हटाने हेतु सहायता	1.00	1.00	1.00
27.		2245-02-191-02-01 बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता	1.00	1.00	1.00
28.		2245-02-192-02-01 बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों/नगरपरिषदों को सहायता	2.00	2.00	2.00
29.		2245-02-193-02-01 बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता	1.00	1.00	2.00
30.		2245-02-282-07-02 मृत शरीरों एवं लाशों का निपटान	0.10	0.10	1.00
31.	36-समन्वय	2425-107-25 कोर बैंकिंग	22.28	22.28	22.28
32.	43-स्थानिज	4853-01-004-07-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	5.00	5.00	5.00
33.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2515-198-34-03 कार्यकलाप/ गतिविधियाँ	61.84	40.11	142.82
34.		4215-01-789-02-56 झूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना	2.50	6.50	6.10
35.		4853-01-789-02-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	2.95	2.95	2.95
36.		4217-03-789-08-01 विभिन्न शहरी निकायों की जलापूर्ति योजनाओं में नवीनीकरण कार्य	1.03	1.13	1.25
		योग	329.52	162.43	369.20

स्रोत: विनियोग लेखे।

## परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.4; पृष्ठ 99)

**व्यय का प्रवाह (जहाँ अन्तिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)।**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	के दौरान हुये व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
1	9-वन	2406-02-110-01 बाघ परियोजना, रणथम्भौर	7.48	6.88	11.40	65.59	60.34
2		4406-01-101-11 जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक	7.70	6.27	12.71	60.61	49.36
3		4406-01-102-14 नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य	20.93	17.79	22.84	91.67	77.89
4	12-अन्य कर	2030-02-101-01 स्टाम्प मुद्रण	41.03	41.03	61.03	67.23	67.23
5		3055-800-08 समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	11.94	11.19	21.74	54.92	51.46
6	14-बिक्री कर	2040-800-02 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी	425.93	415.06	786.42	54.16	52.78
7	19-लोक निर्माण	4210-03-105-11 नए चिकित्सा महाविद्यालय	112.41	64.41	117.61	95.58	54.76
8	21-सड़के एवं पुल	5054-04-800-22 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़के	300.17	300.17	405.17	74.08	74.08
9	23-श्रम तथा रोजगार	2230-01-103-07 भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान-प्रतिबद्ध	412.82	412.82	412.82	100.00	100.00
10	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-112-02 राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड- डे-मील)	32.50	32.50	32.50	100.00	100.00
11		2202-01-800-05 मदरसा विद्यालय	34.83	34.83	64.80	53.75	53.75
12		2202-04-200-05 पढ़ना एवं लिखना अभियान	6.68	6.68	6.68	100.00	100.00
13	27-पेयजल योजना	2215-01-101-15 जल उपकर	12.07	12.07	12.07	100.00	100.00
14		4215-01-101-11 अभिवृद्धि शहरी जलापूर्ति योजना	20.93	16.58	24.13	86.77	68.72
15		4215-01-102-39 पोकरण-फलसुंड जलापूर्ति योजना	16.50	16.50	16.89	97.66	97.66
16		4215-01-102-50 बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेस-II	10.62	10.63	15.69	67.70	67.77
17		4215-01-102-96 नर्मदा नहर में जल संसाधन विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि	20.67	20.67	20.67	100.00	100.00
18		2501-05-196-08	227.99	217.32	261.77	87.09	83.02

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	के दौरान हुये व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
		जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय					
19		2501-05-196-10 राजीव गांधी जल संचय योजना	31.51	31.51	31.76	99.22	99.22
20	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-10 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू जीकेवाई )	10.94	0	10.94	100.00	0
21	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	183.90	183.90	334.99	54.90	54.90
22		2217-80-191-29 सार्वजनिक रोशनी	48.91	48.91	53.85	90.83	90.83
23		2217-80-191-41 अन्नपूर्णा योजना	11.11	11.11	11.11	100.00	100.00
24		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	465.88	464.06	846.90	55.01	54.80
25		2217-80-192-33 सार्वजनिक रोशनी	82.57	82.57	82.57	100.00	100.00
26		2217-80-192-36 विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण	84.43	84.43	84.43	100.00	100.00
27		2217-80-192-40 ठोस मल प्रबन्धन	21.23	21.23	21.23	100.00	100.00
28		2217-80-192-44 अन्नपूर्णा योजना	25.73	25.73	25.73	100.00	100.00
29		2217-80-192-50 सीवरेज लाइन की सफाई	21.23	21.23	21.23	100.00	100.00
30		4217-03-800-02 शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर औ बी)	15.80	15.80	23.47	67.31	67.31
31		4217-60-50-07 राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आरयुएसडीआईपी)	93.89	75.08	140.74	66.72	53.35
32	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-01-796-12 मिड-डे-मील	84.51	73.08	129.69	65.16	56.34
33		2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	36.09	36.09	65.74	54.90	54.90
34		2217-80-191-38 ठोस मल प्रबन्धन	1.77	1.77	1.77	100.00	100.00
35		2217-80-191-41 अन्नपूर्णा योजना	2.18	2.18	2.18	100.00	100.00
36		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	91.84	91.16	166.20	55.26	54.85
37		2404-796-01-01 मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना	32.50	32.50	48.75	66.67	66.67
38		2515-196-25	26.32	19.04	38.00	69.28	50.12

**परिशिष्ट**

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	के दौरान हुये व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
		ग्रामीण बीपीएल आवास					
39		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत पंचायत समितियों को अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)	38.92	38.92	38.92	99.84	99.84
40		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान	247.58	233.65	294.07	84.19	79.45
41		4210-03-796-01 अस्पताल एवं औषधालय-विकित्सा शिक्षा	27.39	25.25	42.97	63.73	58.77
42		4225-02-796-24 जनजाति उप-योजना क्षेत्र के विकास हेतु, पूँजीगत निर्माण (एस सी ए)	7.42	7.42	11.75	63.15	63.15
43		4403-796-01 पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उप-फेन्डों का निर्माण-नाबार्ड आर आई डी एफ टी-XXIV	14.50	14.50	17.00	85.29	85.29
44		5054-04-796-16 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	57.28	57.28	76.78	74.60	74.60
45		5054-04-796-17 हवाई पटियों का निर्माण एवं विस्तार	1.58	0	2.33	67.94	0
46	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-09 सूखे के अंतर्गत चारों की पूर्ति	9.12	9.03	12.01	75.89	75.18
47		2245-02-282-07 बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वारक्ष्य	785.07	751.82	1,126.41	69.70	66.74
48	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	5475-800-08 सूचना प्रोटोकोली एवं संचार विभाग	127.60	114.36	198.84	64.17	57.51
49	36-सहकारिता	2425-107-20 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	283.51	240.50	388	73.07	61.98
50	37-कृषि	2401-119-26 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपांतरण हेतु (प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना- सूक्ष्म सिंचाई)	65.82	64.71	125.91	52.28	51.39
51		2401-800-37 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना	78.87	78.83	101.86	77.42	77.39
52		4401-800-03 राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (एस सी ए)	61.41	53.84	78.20	78.53	68.85
53	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2404-195-04 मुस्यमन्त्री दुध उत्पादक सम्बल योजना	35.00	35.00	52.50	66.67	66.67
54		4403-101-14	35.00	35.00	40.00	87.50	87.50

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	के दौरान हुये व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
		पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उप-केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आरआईडीएफटी-XXIV					
55		4403-101-16 राज्य स्तर, जिला पोली विल्सनिक, पशु चिकित्सालय/अस्पतालों एवं उप-केन्द्र/औषधालयों का निर्माण- नाबार्ड (आरआईडीएफ-XXVI)	14.00	14.00	20.00	70.00	70.00
56	41-सामुदायिक विकास	2515-196-25 ग्रामीण बीपीएल आवास	132.48	95.55	192.78	68.72	49.57
57		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों को अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)	197.45	197.45	197.80	99.82	99.82
58		2515-198-33 चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए बुनियादी अनुदान	12.98	12.98	15.21	85.38	85.38
59	46-सिंचाई	2702-01-800-09 राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)	20.38	19.50	25.12	81.12	77.62
60	51-अनुसूचित जाति के कल्याण	2202-01-789-05 मिड-डे-मील	113.23	97.14	163.45	69.28	59.43
61	हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-01-789-06 राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड-डे-मील)	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
62		2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	47.74	47.74	86.95	54.90	54.90
63		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	121.47	120.58	219.83	55.26	54.85
64		2403-797-02 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि को अंतरण	175.00	175.00	175.00	100.00	100.00
65		2404-789-01 मुख्यमन्त्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना	32.50	32.50	48.75	66.67	66.67
		कुल	5,848.84	5,547.33	8,210.72	71.23	67.56

स्रोत: योनियोजन लेखे।

## परिशिष्ट -3.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5.5; पृष्ठ 103)

## विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत ध्यान में आयी उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	विभाग द्वारा अवगत कराये गए बचत के कारण
1.	2401-001-01 संचालन	6.01	4.92	1.09	विभाग कोविड-19 महामारी के कारण प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर सका।
2.	2401-001-06-01 स्थापना व्यय	14.29	13.17	1.12	डीए प्रीज तथा विभाग द्वारा व्यय में मितव्ययिता के लिए जारी निर्देशों के अनुसार बजट प्रावधान कम किया गया।
3.	2401-105-11 स्थाय एवं उर्वरक योजनायें	7.04	2.55	4.49	वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के लिए जारी निर्देशों के अनुसार बजट प्रावधान को कम कर दिया गया।
4.	2401-105-13 स्थापना व्यय	11.47	10.17	1.30	कोविड-19 महामारी के कारण डीए फ्रिज करने के कारण।
5.	2401-102-01-02 राष्ट्रीय स्थाय सुरक्षा मिशन — दालें	2.09	0.39	1.70	कोविड-19 महामारी के कारण जिलों में जिप्सम की कम आपूर्ति।
6.	2401-109-13 इनोवेटिव कार्यक्रम/मिनीकिट वितरण	3.50	1.94	1.56	वित्त विभाग के निर्देशानुसार केवल बीज मिनी किट की पूर्व देनदारी का भुगतान किया गया तथा सूक्ष्म पोषक कार्यक्रम के प्रावधान को कम किया गया।
7.	2401-109-06-09 कृषि विस्तार सेवाएँ	2.02	0.23	1.79	वित्त विभाग के निर्देशानुसार महिला प्रशिक्षण के पूर्व दायित्व का ही भुगतान किया गया तथा बजट प्रावधान कम किया गया।
8.	2401-196-06-11 कृषि प्रदर्शन/मिनीकिट वितरण	2.52	0.18	2.34	वित्त विभाग के निर्देशानुसार केवल पूर्व दायित्व का भुगतान किया गया तथा बजट प्रावधान कम किया गया।
9.	2401-196-06-31 परम्परागत कृषि विकास योजना	29.29	5.81	23.48	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता जारी नहीं करने के कारण।
10.	2401-196-06-35 सतत कृषि मिशन- कृषि वानिकी	2.40	0.72	1.68	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत कृषि वानिकी के लिए भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं की गई थी।
11.	2401-196-06-36 बीज विकास	3.50	0.90	2.60	वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार बजट प्रावधान कम कर दिया गया।
12.	2401-196-09-01 स्थापना व्यय प्रतिबद्ध	59.27	55.16	4.11	कोविड-19 महामारी के कारण डीए फ्रिज करने के कारण।
13.	2401-197-02 पंचायत समिति स्तर पर स्थापना व्यय	62.03	55.49	6.54	डीए प्रीज होने, कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं सेवानिवृति के बाद पदों का रिक्त रहना।
14.	2401-197-04-01 स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध	243.36	198.57	44.79	कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति में देरी के कारण, डीए फ्रिज एवं वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के निर्देश जारी होने के कारण।
15.	2401-800-27-02 वानिकी विभाग के माध्यम से	35.84	9.98	25.86	बागवानी विकास परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन न करने और आवेदन की कम प्राप्ति तथा गैर-एन एच एम जिलों में संरक्षित सेती।
16.	2401-800-27-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	6.67	1.64	5.03	पशु स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम की पशु स्वास्थ्य उप योजना के तहत दवाओं एवं टीकों की कम स्तरीद और स्वीकृत योजना के तहत पशु स्वास्थ्य उप-योजना के अंतर्गत कम स्तरीद।
17.	2401-800-27-17 गोपालन विभाग के माध्यम से	3.50	1.83	1.67	राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा केवल गोपालन विभाग की कम लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति के कारण। इसके अलावा, बैंकों द्वारा लाभार्थियों को ऋण की गैर/ कम स्वीकृति।
18.	2401-800-27-18 श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के माध्यम से	3.66	1.18	2.48	श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा कम राशि स्वीकृत।
19.	2401-800-31-01 कृषि विभाग के माध्यम से	76.77	20.36	56.41	वित्त विभाग और भारत सरकार द्वारा रैपाड (द्वितीय चरण) की स्वीकृति जारी नहीं करने एवं विश्व बैंक द्वारा परियोजना को 30 जून 2020 से आगे बढ़ाने से मना कर देने के कारण।

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	विभाग द्वारा अवगत कराये गए बचत के कारण
20.	2401-800-35-02 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	8.80	1.91	6.89	वित्त विभाग के मितव्यधिता रखने के परिपत्र के मद्देनजर मशीनरी की स्सरीद और सामग्री की आपूर्ति पर नया सर्व नहीं किया जा सका।
21.	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से	134.23	101.86	32.37	भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्रीय सहायता कम जारी करने के कारण।
22.	4401-800-03-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	6.00	4.48	1.52	राजस्थान राज्य कृषि विषयन बोर्ड द्वारा निर्माण कार्यों के लिए बजट की कम मांग के कारण।
23.	2401-109-16-05 कृषि में ई शासन योजना	2.52	0.87	1.65	भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान जारी न करने के कारण।
24.	2401-119-25 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	61.20	41.31	19.89	बजट नियंत्रण अधिकारी ने कोषागार कार्यालयों द्वारा ईसीएस बिलों की कमी और कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन को बचत के लिए जिम्मेदार ठहराया।
25.	2401-116-32 प्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान	10.99	4.48	6.51	बजट नियंत्रण अधिकारी ने कोषागार कार्यालयों द्वारा ईसीएस बिलों की कमी और कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन को बचत के लिए जिम्मेदार ठहराया।
26.	2401-119-36 सोलर पंप सेट पर अतिरिक्त अनुदान	183.40	60.20	123.20	बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के कारण, सौर ऊर्जा स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की परियोजनाओं के लिए कम लागत की स्वीकृति के कारण।
27.	2401-800-27-16 राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से	2.88	0.75	2.13	राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की परियोजनाओं के लिए कम लागत की स्वीकृति के कारण।
28.	2401-800-27-20 कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के माध्यम से	4.30	2.00	2.30	राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की परियोजनाओं के लिए कम लागत की स्वीकृति के कारण।
29.	2401-800-40-01 कृषि विभाग के माध्यम से	3.40	1.49	1.91	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
30.	2415-01-004-01 स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को राहायता अनुदान	6.50	3.98	2.52	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
31.	2415-01-277-01-01 स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायता अनुदान	5.85	1.92	3.93	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
32.	2415-01-277-01-03 श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायता अनुदान	33.62	15.83	17.79	निर्माण कार्यों का कम निष्पादन के कारण।
33.	2415-01-277-01-05 कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को सहायता अनुदान	25.83	23.48	2.35	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
34.	2415-01-277-01-07 महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर— प्रतिबद्ध	74.00	64.00	10.00	महगाई भत्ता नहीं बढ़ाने के कारण।
35.	2415-01-277-01-08 श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर — प्रतिबद्ध	48.50	42.00	6.50	वित्त विभाग के मितव्यधिता के दिशा निर्देशों के कारण रिक्त पदों को नहीं भरना।
36.	2415-01-277-01-09 कृषि विश्वविद्यालय, कोटा — प्रतिबद्ध	16.00	9.00	7.00	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
37.	4401-800-02-01 भवन	4.00	1.10	2.90	कोविड-19 के कारण बजट प्रावधान कम कर दिया गया है।
38.	6401-800-10-01 कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) उदयपुर को ऋण	25.50	15.00	10.50	कुछ निर्माण कार्यों के आंशिक रूप से ध्वस्त होने एवं निर्माण कार्यों के कोविड-19 से बाधित होने के कारण।
योग		1,232.75	780.85	451.90	

**परिशिष्ट-4.1**

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 132)

वर्ष 2020-21 तक के बकाया आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष/एसी बिल संख्या	वर्ष	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि	
1	जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर	2202 (3)	1989-90	प्राचार्य, डाईट, बीकानेर	0.30	
2	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जालौर		1990-91	सहायक निदेशक, डाईट, जालौर	0.30	
3	निदेशक, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, राजसमन्द		1996-97	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	0.08	
4	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	4202 (2)	1990-91	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	0.30	
			1992-93		0.24	
5	सचिव, राजस्थान सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर	2052 (1)	2019-20	आहरण एवं संवितरण अधिकारी कलेक्टर, जयपुर	1.50	
6	पंजीयक, राजस्व मंडल, अजमेर	2029 (1)	2007-08	अजमेर 089002	292.18	
7	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055 (3)	2017-18	उप-निदेशक (लेखा)	66.50	
			2018-19	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस राज. जयपुर	423.37	
8	मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), राजस्थान जयपुर	2059 (1)	2020-21	अधिकारी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग (सर्वे एवं गुणवत्ता नियंत्रण), उदयपुर	0.20	
9	निदेशक, एनसीसी निदेशालय, जयपुर	2204 (7)	2018-19	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	2.64	
			2019-20	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	10.00	
				कमांड अधिकारी-III, राज. नेवल यूनिट एन सी सी जयपुर	0.37	
			2020-21	कमांड अधिकारी-I, राज. आर्म्ड स्कवाइडन एन सी सी जयपुर	0.62	
				कमांडेंट 1 राज. बटालियन एन सी सी जयपुर	0.26	
				प्रशासनिक अधिकारी, एन सी सी मुख्यालय, जयपुर	5.27	
10	प्राचार्य, सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	4210 (3)	2020-21	आहरण एवं संवितरण अधिकारी सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	834.00	
11	जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2217 (21)	2019-20	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	6.00	
			2020-21	जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली	9.87	
				जिला निर्वाचन अधिकारी, श्री गंगानगर	1.00	
				जिला निर्वाचन अधिकारी, बूदी	54.76	
				जिला निर्वाचन अधिकारी, डूगरपुर	9.11	
				जिला निर्वाचन अधिकारी, चूरु	14.00	
				जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमन्द	1.25	
				आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कलकट्टे (निर्वाचन), जयपुर	0.50	
			2515 (3)	2020-21	जिला निर्वाचन अधिकारी, सिरोही	0.78
					जिला निर्वाचन अधिकारी, बूदी	7.08
12	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	2245 (1)	2012-13	जिलाधीश एवं कलपटर, अलवर	103.50	
13	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर	2051 (2)	2016-17	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2.00	
			2020-21	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	12.10	
	योग	48			1,860.08	

## परिशिष्ट-4.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.6.5; पृष्ठ 140)

वर्ष 2016-21 के दौरान अप्रचलित रहे पीड़ी खातों का व्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	वर्ष 2016-21 के दौरान शेष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बताये गए कारण
1	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	3.87	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
2	प्राचार्य, आईटीआई, रैनी, अलवर	1.64	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
3	उप-निदेशक, आईसीडीएस एवं परियोजना निदेशक (बाल विकास), अलवर	22.33	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
4	कृषि अधिकारी उद्यान, बारां	2.91	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
5	नये मोटर वाहन अग्रिम ओ बी सी, बारां	0.03	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
6	अधीक्षक आईटीआई, भरतपुर	7.80	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
7	जिला महिला विकास अधिकारी, चूरू	1.66	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
8	उप-निदेशक, कृषि विस्तार, धौलपुर	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
9	भवन निर्माण अग्रिम, एस बी बी जे, डुंगरपुर	1.22	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
10	भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर (शहर)	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
11	प्राचार्य, आईटीआई, केन्द्रीय कारागार, जयपुर (शहर)	2.60	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
12	31.03.2004 तक एसबीबीजे जयपुर (शहर) को भवन ऋण का पुनर्भुगतान	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
13	एच डी एफ सी, जयपुर (शहर) को भवन निर्माण अग्रिम का पुनर्भुगतान	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
14	एसबीबीजे जयपुर (शहर) को भवन निर्माण अग्रिम का पुनर्भुगतान	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
15	आईटीआई, सांभर लेक, जयपुर (ग्रामीण)	1.82	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
16	निदेशक, इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, जयपुर (सचिवालय)	0.00	पी डी स्नाता बंद किया जा चुका है।
17	राजस्थान एक्स-सर्विस, जयपुर (सचिवालय)	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
18	राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर, भरतपुर, जयपुर (सचिवालय)	29.45	पी डी स्नाता बंद किया जा चुका है।
19	राजस्थान सहा. जयपुर (सचिवालय)	6.24	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
20	राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जयपुर (सचिवालय)	0.00	पी डी स्नाता बंद किया जा चुका है।
21	सहायक निदेशक, एनिमल फर्टिलिटी सेंटर डग, झालावाड	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
22	उप-निदेशक, परियोजना निदेशक, आईसीडीएस, झुन्झुनू	0.00	पी डी स्नाता बंद किया जा चुका है।
23	प्राचार्य कृषि, भू-संरक्षण, जोधपुर (शहर)	5.59	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
24	अधीक्षक, जिला ग्रामीण आईटीआई, कोटा	0.19	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
25	क्षेत्रीय स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण एवं समन्वय, कोटा	0.09	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
26	कोषाधिकारी, मोटर वाहन अग्रिम की वसूली एसबीबीजे, नागौर	0.60	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
27	सहायक निदेशक, कैटल ब्रीडिंग सेंटर, नागौर	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
28	अधिशासी अभियंता, सिंचाई/जल संशाधन, पाली	23.55	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
29	उप-निदेशक (आईसीडीएस), जिला महिला विकास एजेंसी, पाली	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
30	सचिव, नगर विकास न्यास, पाली	0.40	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
31	माधव यूनिवर्सिटी पिण्डवाडा, सिरोही	0.05	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
32	अधिशासी अभियंता, सिंचाई संड सलूखर, उदयपुर (ग्रामीण)	51.98	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
33	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, जोधपुर (ग्रामीण)	0.03	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
	योग	164.05	

## परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 141)

## लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर	912.38	1375.45	66.33
2.	2047 अन्य राजकोषीय सेवाएँ	4.27	4.27	100.00
3	2700 बहुत सिंचाई	1,172.44	1,615.05	72.59
4	2701 मध्यम सिंचाई	127.44	209.02	60.97
5	2702 लघु सिंचाई	78.82	152.94	51.54
6	3055 सङ्क परिवहन	273.10	393.26	69.45
7	3425 अन्य परिवहन सेवाएँ	12.94	13.01	99.46
8	4235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	12.42	14.58	85.19
9	4236 पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	3.56	4.87	73.10
10	4401 फ़सल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय	107.94	161.44	66.86
11	4575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	42.06	66.73	63.03
12	4885 उद्योग एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	25.14	49.69	50.59
13	5425 अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय शोध पर पूँजीगत परिव्यय	0.28	0.28	100.00
14	5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	200.27	270.12	74.14
	योग	<b>2,973.06</b>	<b>4,330.71</b>	

## लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0029 भू-राजस्व	169.19	279.32	60.57
2	0035 कृषि भूमि के अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	62.71	62.96	99.60
3	0056 कारागार	0.59	0.59	100.00
4	0058 स्टेशनरी एवं मुद्रण	3.87	6.10	63.44
5	0211 परिवार कल्याण	0.13	0.13	100.00

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
6	0217 शहरी विकास	3.93	3.93	100.00
7	0220 सूचना एवं प्रचार-प्रसार	0.21	0.21	100.00
8	0230 श्रम एवं नियोजन	374.98	392.96	95.42
9	0235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	25.11	25.13	99.92
10	0401 फ़सल कृषिकर्म	10.40	10.47	99.33
11	0406 वन एवं वन्य जीवन	41.04	73.67	55.71
12	0425 समन्वय	91.37	95.75	95.43
13	0435 अन्य कृषि कार्यक्रम	11.01	11.24	97.95
14	0515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	24.10	25.04	96.25
15	0700 मुख्य सिंचाई	157.36	215.62	72.98
16	0801 विद्युत	30.71	30.71	100.00
17	0851 ग्राम एवं लघु उद्योग	3.55	3.55	100.00
18	0852 उद्योग	0.75	0.75	100.00
19	1452 पर्यटन	0.64	0.64	100.00
20	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	513.72	805.34	63.79
	योग	<b>1,525.37</b>	<b>2,044.11</b>	

**परिशिष्ट**

**परिशिष्ट-4.4**

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.13; पृष्ठ 147)

**सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूँजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल पूँजी	प्रदत्त	संचित लाभ/हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार)
1	राजस्थान राज्य स्वनन एवं स्वनिज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2019-20	77.55	2,182.76	0	77.55	
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड	2019-20	210.19	1,932.92	0	193.69	
3	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2020-21	100.00	142.98	0	100.00	
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2019-20	180.39	211.62	0	180.59	
5	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	21.95	(141.56)	0	21.95	
6	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2016-17	2.16	(9.74)	0	2.16	
7	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	46.06	(-) 50.53	(-) 4.47	45.51	
8	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2019-20	6.96	(-) 25.12	(-) 18.16	6.64	
9	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2019-20	2.00	72.48	0	2.00	
10	बाड़मेर लिम्नाईट स्वनन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य स्वनन एवं स्वनिज लिमिटेड की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2019-20	20.00	1.68	0	0	
11	राजस्थान राज्य पैट्रोलियम निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य स्वनन एवं स्वनिज लिमिटेड की सहायक)	2019-20	67.08	(-) 1.67	0	0	
12	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2019-20	4,656.57	(-) 1,231.88	0	4,691.04	
13	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	10,444.30	(-) 5,507.05	0	10,451.23	
14	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	11,447.43	(-) 28,872.34	(-) 17,424.91	11,447.43	
15	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	10,452.96	(-) 28,054.76	(-) 17,601.80	10,571.89	
16	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	10,487.99	(-) 31496.60	(-) 21,008.01	10,636.96	
17	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2019-20	12.94	225.24	0	12.94	
18	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	0.05	(-) 0.05	0	0	

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल पूँजी	प्रदत्त	संचित लाभ/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार)
19	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	370.05	(-) 1,542.82	(-) 1,172.77	0	
20	छबड़ा पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	0.05	(-) 0.04	0	0	
21	राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	0.05	29.64	0	0	
22	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	0.05	(-) 9.92	(-) 9.87	0	
23	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	0.05	(-) 18.91	(-) 18.86	0	
24	राजकाम्प इन्को सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	5.00	91.15	0	5.00	
25	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2020-21	1.27	(-) 1.43	(-) 0.16	1.27	
26	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवाएँ निगम लिमिटेड	2020-21	90.00	18.65	0	90.00	
27	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	129.87	8.33	0	0	
28	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2020-21	50.00	0.00	0	50.00	
29	राजस्थान वित्त निगम	2019-20	160.43	(-) 114.69	0	128.31	
30	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2019-20	638.96	(-) 5,127.40	(-) 4,488.44	612.13	
31	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड	2018-19	48.67	25.37	0	33.51	
32	जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2019-20	1,694.04	(-) 328.19	0	1,494.04	
33	राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2020-21	5.00	26.25	0	5.00	
34	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20	5.00	51.73	0	5.00	
35	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2020-21	0.05	(-) 13.05	(-) 13.00	0.05	
36	राजस्थान राज्य स्वाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	50.00	36.73	0	50.00	
37	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2020-21	7.59	140.42	0	6.33	

**परिशिष्ट**

---

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल पूँजी	प्रदत्त	संचित लाभ/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार)
38	राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2014-15	6.01	(-) 54.67	(-) 48.66	4.13	
39	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2019-20	7.85	337.27	0	3.93	
40	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	1.00	3.70	0	1.00	
41	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	2019-20	4.49	(-) 6.31	(-) 1.82	4.49	
42	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	(-) 0.12	0	100.00	
43	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	8.23	0	65.40	
44	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0	0	0	64.80	
45	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	4.45	0	100.00	
	योग		<b>52,112.06</b>	<b>(-)96,905.95</b>	<b>(-) 61,810.93</b>	<b>51,265.97</b>	

## परिशिष्ट-4.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 149)

## विभिन्न विभागों में श्रेणीवार चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	26	128.87	29	1132.87	55	1261.74
2.	शिक्षा	87	141.00	66	4,879.52	153	5,020.52
3.	चिकित्सा	23	251.56	46	470.26	69	721.82
4.	सार्वजनिक निर्माण	03	1.41	16	462.33	19	463.74
5.	जल संसाधन	02	0.62	02	33.95	04	34.57
6.	भू-जल	05	6.18	02	3.40	07	9.58
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	01	3.42	00	00	01	3.42
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	06	12.56	05	69.73	11	82.29
9.	वन	03	26.43	02	77.32	05	103.75
10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	199	198.94	16	80.42	215	279.36
11	न्याय	04	1.67	10	118.92	14	120.59
12	पुलिस	14	16.27	06	27.85	20	44.12
13	महिला एवं बाल विकास	00	00	03	6.04	03	6.04
14	स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान	02	4.61	06	40.67	08	45.28
15	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	63	1,109.30	56	1,426.50	119	2,535.80
16	विविध	23	118.69	37	979.19	60	1097.88
	योग	461	2,021.53	302	9,808.97	763	11,830.50

## परिशिष्ट-4.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 150)

## पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण

(₹ लास में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21 के दौरान किये अधिक भुगतान	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	निर्धारित अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन कम नहीं होना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62)	04	2.16
2	रूपान्तरण के पश्चात भी पेंशन कम नहीं होना (नियम 28)	67	13.75
3.	पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात भी पेंशन का भुगतान	07	6.44
4.	पेंशन और मंहगाई राहत का स्वीकार्य दर से अधिक दर पर भुगतान किया जाना	6	21.02
5.	ग्रेचुर्टी भुगतान से बकाया की वसूली न होना	32	24.09
6.	विविध (अतिरिक्त पेंशन, एकमुश्त वसूली का अभाव आदि)	30	27.03
	योग	146	94.49



© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>



<https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi>